यूनियन सृजन

वर्ष - 3 अंक - 1 • जुलाई-सितंबर, 2018, मुंबई

भाषा और बोली विशेषांक

यूनियन बैंक ऑफ इंडिया
Union Bank of India

यूनियन सृजन

प्रकाशन तिथि : 09.11.2018

यूनियन बैंक ऑफ इंडिया की तिमाही हिन्दी पत्रिका

वर्ष - 3 अंक - 1 जुलाई-सितंबर, 2018

संरक्षक

राजकिरण रै. जी.
प्रबंध निदेशक एवं सीईओ

प्रधान संपादक

श्री ब्रजेश्वर शर्मा
महाप्रबंधक (मा.सं.)

कार्यकारी संपादक

राजेश कुमार
सहायक महाप्रबंधक (राजभाषा)

संपादक

डॉ. सुलभा श्रीकांत कोरे
मुख्य प्रबंधक (राजभाषा)

संपादन मंडल

आर. के. कश्यप
डी. सी. चौहान
महाप्रबंधक

ब्रिगे. आशुतोष सिरौठिया, सेना मेडल
मुख्य सुरक्षा अधिकारी

राजभाषा कार्यान्वयन प्रभाग

यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, केंद्रीय कार्यालय, मुंबई द्वारा आंतरिक परिचालन हेतु प्रकाशित

ई-मेल: rajeshj@unionbankofindia.com
sulabhakore @unionbankofindia.com
9820468919, 022-22896595

Printed and Published by Dr. Sulabha Shrikant Kore on behalf of Union Bank of India, Printed at Uchitha Graphic Printers Pvt. Ltd., 65, Ideal Ind Estate, Mathuradas Mill Compound, S. B. Marg, Lower Parel, Mumbai - 400 013, and Published from Union Bank of India, 239, Union Bank Bhawan, Vidhan Bhawan Marg, Nariman Point, Mumbai - 400 021.

Editor : Dr. Sulabha Shrikant Kore

इस पत्रिका में प्रकाशित विचार लेखकों के अपने हैं. प्रबंधन का इनसे सहमत होना आवश्यक नहीं है.

यूनियन बैंक ऑफ इंडिया Union Bank of India

अनुक्रमणिका

- परिदृश्य 3
- गृह मंत्री जी का हिन्दी दिवस संदेश 4-5
- संपादकीय 6
- भाषा और भाषा विज्ञान 7-8
- भाषाएं और लिपियाँ 8-9
- साहित्य सृजन- नासिरा शर्मा 10-11
- अपूर्व, अद्‌भुत, अक्षुण्ण संस्कृत 12-13
- भाषा की विकास यात्रा 14-15
- भारतीय भाषाओं का विकास 16-17
- काव्य सृजन 18-19
- हिन्दी भाषा का मानक स्वरूप 20-21
- विश्व की दस प्रमुख भाषाएँ 22-23
- देश को देश से जोड़ने में हिंदी की भूमिका 24-25
- हिन्दी भाषा के विकास में बाधाएं 26-28
- बैंकिंग, बाजार, ग्राहक की भाषा 29
- सेंटर स्प्रेड - जादुई जापान 30-31
- भाषाओं की भविष्यगत यात्रा 32-33
- राजभाषा पुरस्कार 34-35
- द्रविडियन एवं आर्यन भाषाएँ 36-37
- पूर्वोत्तर भारत की भाषाएँ 38-40
- दक्षिण भारतीय भाषाएँ एवं बोलियाँ 41-43
- भाषाओं का मानकीकरण 44-45
- मातृभाषा 46-47
- लिपिहीन भाषाएँ, मौखिक बोलियाँ 48-49
- भविष्य की भाषाएँ 50-51
- विलुप्त होती भाषाओं की शोकांतिका 52-53
- हिन्दी दिवस समारोह, 2018 54-55
- यात्रा सृजन- माउंट आबू 56-57
- आयुष्मान् भव 58
- आपकी नजर में 59
- बैक कवर 60

परिदृश्य

प्रिय साथियों,

11 नवंबर, 2018 को हम बैंक के शताब्दी वर्ष में प्रवेश करने जा रहे हैं, जिसके लिए आप सभी को ढेरों शुभकामनाएँ. हमारे लिए बड़ी खुशी की बात है कि बैंकिंग के वर्तमान चुनौतीपूर्ण माहौल में भी बैंक ने शताब्दी वर्ष में प्रवेश करते ही अपनी गरिमामयी परंपरा के अनुरूप वित्तीय वर्ष की पहली तिमाही से पुन: लाभ अर्जन आरंभ किया है. नि:संदेह यह आप सबकी मेहनत, लगन और समर्पण का परिणाम है. लेकिन वर्तमान आर्थिक परिदृश्य को देखते हुए हमें और अधिक परिश्रम करने की आवश्यकता है. तभी हम इसे आगे भी जारी रख पाएंगे. वैसे भी एक गौरवशाली इतिहास से एक उज्ज्वल और उत्कृष्ट भविष्य गढ़ने के लिए निरंतर प्रयासों के साथ दूरदर्शिता की जरूरत होती है. आज की इस इक्कीसवीं सदी में दो बातों को अपनाने की बेहद जरूरत है- 'स्पेशलाइजेशन' और 'परिवर्तन'. आज हम जितनी जल्दी और सहजता से इन्हें स्वीकार करेंगे, हमारे विकास की गति उतनी ही तेज होगी.

यूनियन बैंक के लिए सितंबर तिमाही का विशेष महत्व होता है. एक ओर बैंकिंग में हम जहां आधा रास्ता तय कर, आगामी भविष्य की योजनाएँ प्रशस्त करते हैं, वहीं दूसरी ओर हिन्दी के उत्सव का जश्न भी मनाते हैं. मैं 'हिन्दी दिवस' को एक राष्ट्रीय पर्व की तरह देखता हूँ. यह पर्व न सिर्फ हमारी राजभाषा हिन्दी के गौरव और सम्मान का है बल्कि हिन्दी के प्रतिनिधित्व के माध्यम से यह भारतीय भाषाओं की गरिमा का त्योहार भी है. मुझे पता है आप सभी हिन्दी के प्रति समर्पित हैं और अपना अधिक से अधिक कार्य हिन्दी में करते हैं.

'यूनियन सृजन' के जरिए आप के इसी भाषा प्रेम को हम उजागर करने जा रहे हैं. यूनियन सृजन का यह अंक 'विशेषांक' है और बेहद अनूठा भी. क्योंकि यूनियन सृजन का यह अंक भारत की 'भाषाओं और बोलियों' को समर्पित है. सचमुच यह एक सराहनीय प्रयास है. वर्तमान में जहां संवाद सिर्फ मोबाइल चैट, सोशल मीडिया और कंप्यूटर तक सीमित होता जा रहा है, वहीं लोग अपनी अपनी भाषाओं को भूलने लगे हैं. ऐसे में यह एक ऐसा विषय है, जिस पर चर्चा होनी चाहिए. भाषाओं का महत्व कम होना, बोलियों का लुप्त होना सिर्फ उस भाषा या बोली तक ही सीमित नहीं होता बल्कि उस भाषा, बोली के साथ-साथ उनसे जुड़ी परंपरा, संस्कृति और जीवन मूल्यों को भी लुप्त करता जाता है. भाषाओं की उत्पत्ति और विकास तथा मानव सभ्यता का विकास, दोनों एक दूसरे के पूरक रहे हैं. ऐसे में भाषाओं का यूं लुप्त होते जाना, अपने आप में गंभीर चिंतन का विषय है. यह बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है, लेकिन हमारा ध्यान इनकी ओर आसानी से नहीं जाता. 'यूनियन सृजन' का यह ईमानदार प्रयास निश्चित रूप से भाषा के पहलुओं पर आपको गंभीरता से सोचने के लिए बाध्य करेगा.

शुभकामनाओं के साथ!

आपका

राजकिरण रै जी

(राजकिरण रै. जी.)

प्रबंध निदेशक एवं सीईओ

सत्यमेव जयते

राजनाथ सिंह

RAJNATH SINGH

गृह मंत्री, भारत

HOME MINISTER INDIA

प्रिय देशवासी बहनो एवं भाइयो!

हिंदी दिवस पर आपको मेरी हार्दिक शुभकामनाएँ.

भाषा किसी भी राष्ट्र की सामाजिक एवं सांस्कृतिक धरोहर की संवाहिका होती है और भाषायी एकता से ही राष्ट्र की अखण्डता सुदृढ़ होती है. कोई भी देश स्वभाषा के बिना अपने राष्ट्रीय व्यक्तित्व को मौलिक रुप से परिभाषित नहीं कर सकता.

पुरातन काल से 'हिंदी' हमारे राष्ट्रीय व्यक्तित्व का प्रतिनिधित्व करती आ रही है और आज वह भारतीय संस्कृति के मूल तत्वों की अभिव्यक्ति का माध्यम होने के साथ-साथ भारत के संविधान में वर्णित भावनात्मक एकता को मजबूत करने का भी माध्यम है. हिंदी ने भारतीय संस्कृति से संविधान निर्माण प्रक्रिया तक और पुरातन युग से स्मार्ट फोन के प्रयोग तक का लंबा सफर तय करते हुए हमारी सामासिकता को अक्षुण्ण रखने में महती भूमिका निभाई है और देशवासियों में अनेकता में एकता की भावना को भी पुष्ट किया है.

जिस देश के नागरिक अपनी भाषा में सोचें और लिखें, विश्व उस देश को सम्मान की दृष्टि से देखता है. भारत जैसे विशाल, बहुभाषी और प्रजातांत्रिक देश की चहुँमुखी विकास प्रक्रिया में हिंदी के साथ ही अन्य भारतीय भाषाओं की भी अहम भूमिका रही है. हमारे देश की सभी भाषाएँ और बोलियाँ हमारी राष्ट्रीय एवं सांस्कृतिक धरोहर है और इनका प्रयोग एवं प्रचार-प्रसार करना, यह हमारा कर्तव्य है.

भारतीय संविधान द्वारा दिनांक 14 सितंबर, 1949 को धार्मिक, सांस्कृतिक और राजनैतिक परंपराओं को जोड़ने की कड़ी और अधिकांश देशवासियों द्वारा बोली एवं समझी जाने वाली, 'हिंदी भाषा' को 'संघ की राजभाषा' के रुप में चुना गया था. इसके साथ ही, संघ सरकार को यह महत्वपूर्ण दायित्व भी सौंपा गया कि वह अन्य भारतीय भाषाओं के रुप, शैली एवं पदावली को आत्मसात करते हुए हिंदी भाषा का विकास करे ताकि वह भारतीय संस्कृति के सभी तत्वों की अभिव्यक्ति का माध्यम बन सके.

आज कोई भी भाषा कंप्यूटर तथा अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों से दूर रहकर जन-मानस से जुड़ी नहीं रह सकती. वर्तमान में डेटाबेस के आधार पर मशीनी अनुवाद के जरिए पूरे विश्व में अनुवाद कार्य किया जा रहा है. केंद्र सरकार के कामकाज में अत्यधिक मात्रा में नियमित आधार पर किए जाने वाले अनुवाद कार्य में लगने वाले अतिशय मानव संसाधन और समय को बचाने के लिए राजभाषा विभाग ने सी-डेक, पुणे की सहायता से 'कंठस्थ' नामक अनुवाद सॉफ्टवेयर भी तैयार किया है. भारत सरकार के राजभाषा विभाग ने भी एक अभिनव पहल करते हुए 'हिंदी प्रोद्योगिकी संसाधन केंद्र' की स्थापना की है ताकि कंप्यूटर पर हिंदी में कार्य करने के लिए नवीन ई-टूल्स विकसित किए जा सकें.

निज भाषा के प्रति स्वाभिमान और हिंदी भाषा का समुचित ज्ञान एवं तकनीकी कुशलता ही हिंदी में कार्य करने का मुख्य आधार है. मुझे विश्वास है कि केंद्र सरकार के मंत्रालयों एवं विभागों आदि में इन सॉफ्टवेयरों के अधिकाधिक प्रयोग से द्विभाषीकरण यानि अनुवाद कार्य अपेक्षाकृत सरल होगा और इससे राजभाषा कार्यान्वयन को गति मिलेगी.

सूचना प्रौद्योगिकी के मौजूदा दौर में हमें हिंदी के विभिन्न ई-टूल्स जैसे यूनिकोड, हिंदी की-बोर्ड, लीला स्वयं हिंदी शिक्षण सॉफ्टवेयर, अनुवाद ई-लर्निंग प्लेटफार्म, श्रुतलेखन, ई-महाशब्दकोश आदि का अधिकाधिक प्रयोग सुनिश्चित करना चाहिए.

मॉरीशस में 18-20 अगस्त, 2018 को आयोजित किए गए 11वें विश्व हिंदी सम्मेलन में भी यह तथ्य उजागर हुआ है कि वैश्विक स्तर पर हिंदी तेजी से अपनी नई पहचान स्थापित कर रही है. तथापि पहले हमें राष्ट्रीय स्तर पर हिंदी को वह उच्चतम स्थान दिलाने के लिए कटिबद्ध होना होगा जिसकी वह अधिकारिणी है. मुझे पूर्ण विश्वास है कि हमारे सामूहिक एवं सार्थक प्रयासों से निकट भविष्य में हमें सकारात्मक परिणाम अवश्य प्राप्त होंगे.

मेरे प्रिय देशवासियो, हमें हिंदी का प्रचार-प्रसार केवल सरकारी स्तर तक सीमित न रख कर इसे भारत के जन-जन तक ले जाना होगा ताकि सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ देश के प्रत्येक नागरिक को मिल सके. साथ ही, हमें न केवल भारत अपितु पूरे विश्व में हिंदी भाषा का प्रकाश फैलाने के लिए अपना योगदान देना होगा.

हिंदी दिवस के अवसर पर आप सब को मेरी हार्दिक शुभकामनाएँ!

जय हिंद!

राजनाथ सिंह

नई दिल्ली

14 सितंबर, 2018

संपादकीय

हिन्दी के प्रति समर्पित हमारे सभी पाठकों तथा यूनियन बैंक के सभी सदस्यों को हिन्दी दिवस की हार्दिक शुभकामनाएँ. यह उत्सव, यह जश्न भाषा का है. हमारी अपनी भाषा का, इस मिट्टी, संस्कृति, परंपरा और मान्यताओं का! आपको मुबारक हो, यह उत्सव. यह जश्न आपकी जिंदगी में निरंतर अपनी उपस्थिति दर्ज करे, यही मेरी कामना है.

'यूनियन सृजन' के पिछले 'फिल्मी दुनिया' विशेषांक को आप सभी की बेहतरीन सराहना प्राप्त हुई. इस सराहना ने हमारा भी मनोबल बढ़ाया और संपादकीय समिति द्वारा निर्णय लिया गया कि हिन्दी दिवस के उपलक्ष्य में हम अपनी भाषाओं का सम्मान करते हुए 'यूनियन सृजन' का 'भाषा और बोली' विशेषांक प्रकाशित करेंगे. अत: भारतीय भाषाओं की यात्रा को समाहित करनेवाला यह विशेषांक आपके समक्ष प्रस्तुत करते हुए मुझे बेहद खुशी हो रही है.

आज के इस 'माइक्रो परिवार' के वातावरण में परिवार के गिने-चुने लोग भी कंप्यूटर या मोबाइल में इतने उलझे रहते हैं कि उन्हें एक दूसरे के साथ संवाद करने के लिए भी समय नहीं मिलता. जब संवाद नहीं होगा तो भाषा का उपयोग नहीं होगा और जब उपयोग नहीं होगा तब भाषा अपने आप विलुप्त होने लगती है. हमारी अपनी भाषाओं और बोलियों के साथ भी यही हो रहा है. यह अत्यंत भयावह स्थिति है. इस तरह से यदि हमारी भाषाएँ, बोलियाँ खत्म होने लगेंगी तो हमें फिर पुराने युग में लौटना पड़ेगा जहां आदमी प्रतीकों, इशारों एवं भंगिमाओं से बात करता था और यह बात प्रगति और विकास के लिए भयावह होगी, जो हमारे भविष्य को भी अंधकार में धकेल देगी. इसलिए अपनी भाषाओं, बोलियों को बचाना हमारा प्रथम कर्तव्य है क्योंकि ये भाषाएँ और बोलियाँ ही हमारे कल की प्रगति, विकास और उज्ज्वल भविष्य का आगाज करेंगी. भाषाओं के जरिए ही हम आपसी सौहार्द और संवाद को पुख्ता कर मानवीयता को एक नया अंजाम दे सकेंगे.

साथियों, अपनी भाषा से प्रेम करना, अपनी भाषा में संवाद करना यानि खुद से प्रेम करना. जो व्यक्ति स्वयं से प्रेम करता है, वह पूरी दुनिया से प्रेम करता है, पूरी मानवीयता से प्रेम करता है.

इस विशेषांक के लिए आपकी राय/ प्रतिक्रिया/ संवाद का हमें इंतजार रहेगा.

भाषायी शुभकामनाओं के साथ...

आपकी

डॉ. सुलभा कोरे
संपादक

भाषा और भाषा विज्ञान

भाषा विज्ञान, भाषा के अध्ययन की वह शाखा है, जिसमें भाषा की उत्पत्ति, स्वरूप, विकास आदि का वैज्ञानिक एवं विश्लेषणात्मक अध्ययन किया जाता है. भाषा विज्ञान का अध्ययन करनेवाले 'भाषा विज्ञानी' कहलाते हैं. भाषा विज्ञान, व्याकरण से भिन्न है. व्याकरण में किसी भाषा का कार्यात्मक अध्ययन किया जाता है जबकि भाषा विज्ञानी इसके आगे जाकर भाषा का अत्यन्त व्यापक अध्ययन करते हैं. अध्ययन के अनेक विषयों में से आजकल भाषा-विज्ञान को विशेष महत्त्व दिया जा रहा है.

डॉ. श्याम सुन्दर दास ने अपने ग्रन्थ 'भाषा रहस्य' में लिखा है-

> भाषा-विज्ञान भाषा की उत्पत्ति, उसकी बनावट, उसके विकास तथा उसके ह्रास की वैज्ञानिक व्याख्या करता है.

मंगल देव शास्त्री के शब्दों में-

> भाषा-विज्ञान उस विज्ञान को कहते हैं, जिसमें (क) सामान्य रूप से मानवी भाषा (ख) किसी विशेष भाषा की रचना और इतिहास का और अन्ततः (ग) भाषाओं या प्रादेशिक भाषाओं के वर्गों की पारस्परिक समानताओं और विशेषताओं का तुलनात्मक विचार किया जाता है.

डॉ. भोलानाथ तिवारी के 'भाषा-विज्ञान' ग्रन्थ में यह परिभाषा इस प्रकार दी गई है-

> जिस विज्ञान के अन्तर्गत वर्णनात्मक, ऐतिहासिक और तुलनात्मक अध्ययन के सहारे भाषा की उत्पत्ति, गठन, प्रकृति एवं विकास आदि की सम्यक व्याख्या करते हुए, इन सभी के विषय में सिद्धान्तों का निर्धारण हो, उसे भाषा विज्ञान कहते हैं.

भाषा : संसार में मनुष्य द्वारा प्रयुक्त सार्थक ध्वनि समूहों को भाषा कहते हैं, जिसमें ध्वनि, शब्द, वाक्य, अर्थ आदि का प्रयोग होता है. संसार में रहने वाले सर्व-सामान्य मनुष्य भाषा का प्रयोग, अपने विचारों को व्यक्त करने तथा दूसरों के साथ सम्प्रेषण (वार्तालाप) करने के लिए करते हैं. एक भाषा-भाषी व्यक्ति अपने भाषा समूह के व्यक्ति के साथ सम्प्रेषण कर सकता है परन्तु अन्य भाषा-भाषी समूह के व्यक्ति के साथ उसे सम्प्रेषण करने में कठिनाई आ सकती है या सम्प्रेषण संभव नहीं होता है. इसका कारण यह है कि भाषा संकेतों की वह व्यवस्था है, जिसको भाषाई चिन्हों से कोडित किया जाता है. यह भाषाई चिन्ह वक्ता एवं श्रोता दोनों के मस्तिष्क में होते हैं तभी तो वक्ता द्वारा भेजे गए भाषाई सन्देश को श्रोता समझ लेता है. यदि उसे यह कोड पता नहीं है तो वह भाषा के संकेतों को डिकोड नहीं कर सकेगा, जिससे वह भाषा को समझ नहीं पाता. हम यह कह सकते हैं कि इस तरह से मनुष्य भाषा का प्रयोग समाज में करता है.

भाषा विज्ञान को अध्ययन की सुविधा के लिए आगे दो भागों में बाँट सकते हैं:

1. **सैद्धांतिक भाषा विज्ञान (ध्वनि विज्ञान, रूप विज्ञान, वाक्य विज्ञान, अर्थ विज्ञान):** यह भाषा विज्ञान का वह पक्ष है जिसमें भाषा विज्ञान से संबंधित सिद्धांतों का अध्ययन किया जाता है. सैद्धांतिक पक्ष में ऐसे नियम दिए जाते हैं, जो भाषा के उच्चारण से लेकर उसके प्रयोग से संबंधित होते हैं. इसमें भाषा की उत्पत्ति से लेकर उसके उच्चारण और भाषा के व्याकरण का अध्ययन करते हैं. जिसमें- ध्वनि विज्ञान, रूप विज्ञान, वाक्य विज्ञान, अर्थ विज्ञान आदि को संक्षेप में देख सकते हैं.

2. अनुप्रयुक्त भाषा विज्ञान(कंप्यूटेशनल भाषा विज्ञान, अनुवाद, कोश विज्ञान, समाज भाषा विज्ञान, भाषा शिक्षण, प्रोक्ति, शैली विज्ञान, व्युत्पत्ति विज्ञान, सांख्यिकी भाषा विज्ञान, मनोभाषा विज्ञान आदि)

भाषा-विज्ञान के अध्ययन से हमें अनेक लाभ होते हैं, जैसे-

1. अपरिचित-परिचित भाषा के विषय में जिज्ञासा की तृप्ति या शंकाओं का निर्मूलन.
2. ऐतिहासिक तथा प्रागैतिहासिक संस्कृति का परिचय.
3. किसी जाति या सम्पूर्ण मानवता के मानसिक विकास का परिचय.
4. प्राचीन साहित्य का अर्थ, उच्चारण एवं प्रयोग संबंधी अनेक समस्याओं का समाधान.
5. विश्व के लिए एक भाषा का विकास.
6. विदेशी भाषाओं को सीखने में सहायता.
7. अनुवाद करने वाली तथा स्वयं टाइप करने वाली एवं इसी प्रकार की मशीनों के विकास और निर्माण में सहायता.
8. भाषा, लिपि आदि में सरलता, शुद्धता आदि की दृष्टि से परिवर्तन-परिवर्द्धन में सहायता.

इन सभी लाभों की दृष्टि से आज के युग में भाषा-विज्ञान को एक अत्यन्त उपयोगी विषय माना जा रहा है और उसके अध्ययन के क्षेत्र में नित्य नवीन विकास हो रहा है.

निष्कर्ष: *यह कहा जा सकता है कि भाषा तथा विज्ञान क्या है? कैसे ध्वनियों से भाषा बनती है, समाज में भाषा का प्रयोग कैसे किया जाता है, मस्तिष्क में भाषा का निर्माण कैसे होता है, इत्यादि का अध्ययन भाषा विज्ञान में करते हैं. भाषा की ध्वनियों का अध्ययन ध्वनि-विज्ञान सिखाता है. भाषा का समाज में विकास कैसे हुआ तथा समाज में भाषा का प्रयोग कैसे होता है यह भाषाविज्ञान से पता चलता है. भाषा की शब्दावली, साथ ही भाषा में नए शब्दों का प्रयोग कैसे होता है आदि के बारे में कोशविज्ञान से पता चलता है, जिससे अलग-अलग भाषा में एकभाषीय, द्विभाषी कोष का निर्माण किया जाता है. भाषा शिक्षण यह बताता है कि किस तरह शिक्षा का कार्य करना चाहिए. शिक्षा को सरल बनाने के लिए शिक्षा के क्षेत्र में कौन से उपकरणों का प्रयोग करना चाहिए, जिससे शिक्षा का कार्य अधिक प्रभावी माध्यम से हो सके. भाषा का सही प्रयोग किस प्रकार से किया जाए, इसके लिए भाषा का विज्ञान नियम बताता है.*

रुचि यादव
सरल, जयपुर

भाषाएं और लिपियाँ

भाषा और लिपि के उद्भव और विकास का इतिहास आज भी पाठकों के लिए शोध का विषय बना हुआ है. मानव जब जंगलों एवं गुफाओं में रहता था तब वह अपनी गुफा में जादू - टोने के लिए विविध प्रकार की रेखाओं के माध्यम से कुछ आकृतियाँ बनाया करता था. अपने घोड़ों तथा अन्य पालतू जानवरों की पहचान के लिए उनके शरीर पर विविध तरह के चिह्न बनाया करता था. किसी बात को स्मरण रखने के लिए बेलों तथा रस्सियों में गाँठ बांधकर रखता था. इस प्रकार प्राचीनकालीन मानव विविध साधनों के माध्यम से दीर्घकाल पर्यन्त अपने भावों को प्रकट करता रहा. इन्हीं साक्ष्यों के आधार पर समयानुसार विविध लिपियों का विकास होता चला गया. लिपि-विज्ञानियों ने चित्रों एवं लकीरों को विकसित कर वर्णों को आकार प्रदान किये और आकृतियों को लिपि नाम दिया. बाद में धीरे-धीरे विविध भाषाओं की अपनी-अपनी लिपियाँ बनने लगी जिसका वर्णन हमें भारतीय इतिहास में भी मिलता है. सर्वप्रथम कुछ वैज्ञानिकों ने अपने शोध में पाया कि आधुनिक मानव का सबसे नजदीकी मनुष्य क्रेमेगौन है. जैसा कि हम सब जानते हैं कि भाषा के विकास के उपरांत ही मनुष्य ने आग जलाना, पशुपालन, खेती करना एवं समूह में रहना सीखा.

भाषा और लिपि का संबंध सिक्के के दो पहलुओं के समान है. भाषा के बिना किसी लिपि की संभावना हो ही नहीं सकती. हाँ, बिना लिपि के भाषा संभव है. अनेक बोलियाँ और उपभाषाएँ ऐसी हैं जो भावों और विचारों को व्यक्त करने का कार्य करती हैं, किन्तु लिपि के अभाव में उनका विशेष महत्व या प्रचार-प्रसार नहीं हो पाता. भाषाओं को लंबे समय तक स्थाई रूप से सुरक्षित रखने व एक स्थान तक ले जाने का काम लिपि करती है. अतः भाषा के दो प्रमुख आधार माने गये हैं- (1) ध्वनि या नाद और (2) दृश्य. किसी भाषा का पहले ध्वनि रूप प्रकट होता है. बाद में वह दृश्य स्वरूप में अपने विकास का मार्ग प्रशस्त कर लेती है. अतः हम कह सकते हैं कि भाव तथा विचारों के प्रकाशन का ध्वनि-स्वरूप भाषा है और उसका दृश्य-स्वरूप लिपि.अर्थात् भाषा को दृष्टिगोचर करने के लिए जिन प्रतीक-चिन्हों का प्रयोग किया जाता है, उन्हें लिपि कहते हैं.

मनुष्य संकेतों से अपने विचारों का आदान प्रदान करता था जिसे सांकेतिक भाषा कहते हैं. यह संकेत कई तरह से दिये जाते थे, जैसे इशारों द्वारा, कई तरह के चित्र बनाकर इत्यादि. धीरे-धीरे मनुष्य ने कुछ विशेष प्रकार से ध्वनियाँ निकालना व पहचानना शुरू किया. उन ध्वनियों द्वारा कुछ खास वस्तु विचार या क्रियाओं को प्रकट करना शुरू किया. धीरे-धीरे चट्टानों या पत्थरों पर कुछ खास तरह के चित्र बनाये जाने लगे जिससे सांकेतिक भाषा का विकास प्रारम्भ हुआ और सांकेतिक भाषा का प्रचलन आज भी है. वर्तमान परिवेश में भाषा और लिपियों को समझने के लिए अति आवश्यक हो जाता है कि उनका सही अर्थ ज्ञात हो. भाषा या बोली का ध्वनि स्वरूप स्थान-काल की सीमा में रहकर ही प्रकट किया जाता है, जबकि लिपि भाषा को स्थान और काल के बंधन से मुक्त कर देती है. इसका तात्पर्य यह है कि बोली गई भाषा किसी

स्थान विशेष में उपस्थित व्यक्तियों तक ही सीमित रहती है, किन्तु लिखी गई भाषा दीर्घकाल तक विस्तृत असीम भूमि पर कहीं भी उन विचारों और भावों को पहुँचा सकती है. इसलिए लिपि को भाषा का एक अनिवार्य एवं अत्युत्तम अंग माना गया है. भाषा को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने तथा दीर्घकाल पर्यन्त जीवित रखने का काम लिपि ही करती है. लिपि के अभाव में अनेक भाषाएँ उत्पन्न होकर नष्ट हो गईं. लिपि भी इससे अछूती नहीं रही. 'ललितविस्तर' आदि प्राचीन ग्रंथों में तत्कालीन प्रचलित लगभग चौंसठ लिपियों का नामोल्लेख मिलता है, लेकिन आज उसमें से अधिकांश लिपियाँ अथवा उनमें लिखित साहित्य उपलब्ध नहीं है. भाषा ध्वन्यात्मक होती है जबकि लिपि चिह्नात्मक अथवा अक्षरात्मक होती है. भाषा बोली जाती है जबकि लिपि लिखी जाती है. अर्थात् भाषा का उद्गम स्थान मुख है जबकि लिपि हाथ द्वारा लिखी जाती है.

भाषा क्या है?

शब्दों को सही रूप में पहचानना, लिखना, बात समझना ही भाषा कहलाता है.

भाषा के तीन रूप होते हैं.

- मौखिक भाषा - मुँह से बोलकर समझने वाली भाषा को मौखिक भाषा कहते हैं.
- लिखित भाषा - लिखकर समझने वाली भाषा को लिखित भाषा कहते हैं.
- सांकेतिक भाषा - अपनी बात दूसरों तक संकेतों के माध्यम से पहुंचाना सांकेतिक भाषा कहलाता है.

लिपि किसे कहते हैं?

भाषा में ध्वनियों को लिखने के लिए जिन संकेतों / चिह्नों का प्रयोग किया जाता है, उन्हें लिपि कहते हैं. प्रत्येक भाषा की अपनी एक अलग लिपि होती है.

कुछ प्राचीन लिपियाँ आज भी एक अनसुलझी पहेली बनी हुई हैं. उनमें लिखित अभिलेख आज तक नहीं पढ़े जा सके हैं. मध्य प्रदेश के जबलपुर शहर के आस पास विस्तृत पर्वतों एवं गुफाओं में टंकित 'शंख लिपि' के सुन्दर अभिलेखों को भी आज तक नहीं पढ़ा जा सका है. इस लिपि के अक्षरों की आकृति शंख के आकार की है. प्रत्येक अक्षर इस प्रकार लिखा गया है कि उससे शंखवाद आकृति उभरकर सामने दिखाई पड़ती है. अतः अनुमान लगाया जा रहा है कि शायद यही शंख लिपि है.

कुछ प्रमुख भाषाओं की लिपि इस प्रकार है.

हिन्दी और संस्कृत - देवनागरी, अँग्रेजी - रोमन, पंजाबी - गुरुमुखी, उर्दू - फारसी, जर्मन - लैटिन, चीनी - कांजी, बांग्ला - पूर्वनागरी आदि.

भारतीय भाषाएं

जिस प्रकार प्रत्येक देश की अपनी एक विशिष्ट पहचान उसकी संस्कृति व राष्ट्रीय प्रतीकों से होती है, उसी प्रकार भारत की भी पहचान पूरे विश्व में उसकी अपनी संस्कृति व राष्ट्रीय प्रतीकों से है. भारत देश की एक विशिष्ट पहचान यहाँ बोली जाने वाली हिन्दी भाषा भी है. स्वतन्त्रता प्राप्ति के पश्चात हिन्दी भाषा को राष्ट्रीय भाषा के रूप में स्वीकार करने का प्रस्ताव रखा गया और हिन्दी राजभाषा बन गई परंतु हिन्दी को राष्ट्रीय भाषा का दर्जा प्राप्त नहीं हुआ क्योंकि हिन्दी भाषा सम्पूर्ण भारत की भाषा नहीं है.

भाषा को दीर्घकाल पर्यन्त जीवित रखने का काम लिपि करती है. अर्थात् लिपि भाषा को स्थायित्व प्रदान करती है. भाषा को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने का काम भी लिपि ही करती है. प्राचीनकाल में यह कार्य पत्र द्वारा संदेश भेजने के रूप में किया जाता था, जिसमें काफी समय लगता था. लेकिन आज वैज्ञानिक साधनों के विकास के साथ यह कार्य ई-मेल, एस.एम.एस, फैक्स अथवा वॉट्स्अप द्वारा तुरन्त हो जाता है. मुख से बोला गया शब्द शीघ्र ही बदला जा सकता है, परन्तु लिखी गई बात को बदलना सरल नहीं होता है. बोली हुई वाणी तुरन्त ही वायु में विलीन होकर नष्ट हो जाती है, लेकिन लिखित बातें हजारों वर्षों तक स्थिर रहती हैं. सम्राट अशोक के लगभग दो हजार वर्ष से भी अधिक प्राचीन शिलालेख तत्कालीन ब्रह्मी लिपि के कारण आज भी हमारी मूल्यवान निधि के रूप में सुरक्षित हैं. अतः यह निश्चितरूप से कहा जा सकता है कि हमारे सामने आज जितना भी पुरातन साहित्य विद्यमान है, वह लिपि के स्थायित्व का ही परिणाम है. भाषा और साहित्य की सुरक्षा के लिए भी लिपि ही एकमात्र साधन है. इस प्रकार मानवजाति के विकास में भाषा और साहित्य का जो महत्व है, लिपि का भी महत्व उससे कम नहीं माना जा सकता है. वर्तमान में कई लिपियाँ एवं भाषाएँ आधुनिक विज्ञान, सभ्यता-संस्कृति एवं राष्ट्र के आर्थिक विकास में, महत्वपूर्ण योगदान दे रही हैं. भाषा लिपि संस्कृत, प्राकृत, पालि ब्राह्मी, खरोष्ठी अपभ्रंश, मागधी, हिंदी, मराठी शरदा, ग्रंथ, प्राचीन नागरी (देवनागरी) नेवारी, नंदी नागरी, पंजाबी टाकरी, डोंगरी, गुरुमुखी, गुजराती, मैथिल मिथिलाक्षर, बंगला, उड़िया, तमिल, तेलुगु, मलयालम, अर्बी, पर्सियन, उर्दू आदि.

अतः इतना तो निश्चित कहा जा सकता है कि भाषा और लिपि दोनों ही एक-दूसरे के विकास में गाड़ी के दो पहियों की तरह अहम भूमिका अदा करती हैं. वे भाषाएं जिनकी अपनी लिपि है, वे आज खूब फल-फूल रहीं हैं. कुछ भाषाएँ ऐसी भी हैं जिनकी अपनी लिपि तो नहीं है लेकिन दूसरी लिपियों में आसानी से लिखी-पढ़ी जा सकती हैं. ये भाषाएँ इतनी शुद्ध, स्पष्ट और व्याकरणसम्मत हैं कि किसी भी लिपि में हूबहू लिखी-पढ़ी जा सकती हैं. जैसे संस्कृत, प्राकृत, अपभ्रंश, हिंदी, मराठी आदि भाषाओं को किसी भी लिपि में लिखा-पढ़ा जा सकता है. एक प्रकार से देखें तो ये भाषाएँ देवनागरी लिपि पर आधारित हैं. इन्होंने देवनागरी लिपि को विशेषरूप से अपनाया है, लेकिन अन्य लिपियों में भी इन भाषाओं का साहित्य प्राचीनकाल से लिखा जाता रहा है, जो हमें विविध ग्रन्थकारों की पाण्डुलिपियों एवं अभिलेखों के रूप में प्राप्त होता है.

डॉ. श्याम बाबू सागर
क्षे. का., आगरा

नासिरा शर्मा

22 अगस्त, 1948 को इलाहाबाद (उत्तर प्रदेश) में जन्मी नासिरा शर्मा, परिचय की मोहताज नहीं है. हिन्दी साहित्य का अनमोल सितारा हैं नासिरा शर्मा! यह उन विरले रचनाकारों में से एक हैं, जिनकी हर कृति का कैनवास बहुत विराट है और इनमें से किसी एक को चुनना बड़ा मुश्किल काम है. इनके उपन्यासों में गहरे शोध की छाया है, जो कहानी में एक नए किस्म का व्याख्यान प्रस्तुत करती है. नासिरा शर्मा की एक रचना हैं 'पारिजात', जिसके बारे में लोग शायद विस्तार से नहीं जानते हैं. दरअसल 'पारिजात' एक फूल का नाम है, जिसकी स्मृतियां स्वर्ग से जुड़ती हैं और वही पारिजात इस धरती पर भी कहीं बचा पड़ा है. फूल के उसी पौधे की खोज में लेखिका निकल पड़ती हैं. नासिरा शर्मा अपने उपन्यास को बीच में रोक कर 'पारिजात' की खोज यात्रा पर निकल पड़ती हैं. ऐसी कोशिश नासिरा जी ही कर सकती हैं कि वे उपन्यास में 'पारिजात' को व्याख्यान की तरह इस्तेमाल करने से पहले उसके दर्शन कर पूरी तसल्ली कर लेती हैं.

नासिरा शर्मा की कहानियों में स्त्री-पुरुष संबंधों की प्रमुखता पढ़ने को मिलती है. इनकी कहानियां सिर्फ एक कहानी मात्र न होकर पूरा का पूरा ज़िंदगीनामा हैं, जो शब्दों द्वारा तर्कपूर्ण विस्तृत ब्यौरा प्रस्तुत करती हैं.

उपन्यास लिखते समय 'पारिजात' फूल नासिरा के दिमाग में इस कदर बस गया था कि उसे देखना उनकी अनिवार्यता बन गई थी. उसे देखने के लिए उचित मौसम का इंतजार बहुत धैर्यशाली लेखक ही कर सकते हैं. उपन्यास को बीच में छोड़कर वे निकल पड़ी थीं दुनिया के इकलौते बचे पारिजात वृक्ष की खोज में! उन्हें वह वृक्ष मिला भी, उत्तर प्रदेश की घाघरा नदी के तट पर स्थित बाराबंकी जनपद के बदोसराय कस्बे के पास, जहां एक शाम वे उसके फूलों को खिलते देखती हैं. उन्हें चुनती हैं और दुआ करती है कि ये फूल उनके दामन में गिर जायें. आगे जाकर वे फूल **'साहित्य अकादमी सम्मान-2016'** के रुप में गिरे 'पारिजात' के नाम! पारिजात लुप्त होती संवेदनाओं की पड़ताल है. लखनऊ और इलाहाबाद की ज़मीन पर बुना गया कथानक है, जिसमें से पारिजात की भीनी खुशबू आती है.

नासिरा जी के उपन्यासों की बात करें तो उनके हरेक उपन्यास में भारतीय समाज के एक पक्ष को लेकर उभरी चिंताएं दिखाई देंगी.'सात नदियां एक समंदर' (1984) ईरानी क्रांतिपर लिखा गया, दुनिया का पहला उपन्यास है.'शाल्मली'(1987) स्वतंत्रता के बाद अस्तित्व में आयी उस महिला की कहानी है जो वैचारिक रुप से परिपक्व है और वैवाहिक जीवन में प्रेम और बराबरी पर विश्वास रखती है. इसी तरह'ठीकरे की मंगनी' (1989) में आजादी के बाद की संघर्षशील लड़की जो अपनी मेहनत और काबिलियत से साबित करती है कि पितृसत्ता में औरत की एक अपनी पहचान भी होती है.'जिंदा मुहावरे'(1992), 'अक्षयवट'(2003), 'कुंईयां जान', 'जीरो रोड', 'अजनबी जजीरा','कागज की नाव' सरीखे उपन्यास अलग से रेखांकित किए जाने लायक हैं. नासिरा के उपन्यास पाठक के मन पर एक गहरी छाप छोड़ते हैं. उनका 1992 में आया उपन्यास 'ज़िंदा मुहावरे' भारत-पाक विभाजन में भारत से पाकिस्तान गए 'निजाम' की कहानी पर आधारित हैं.

नासिरा जी एक बहुत ही उत्तम कोटि की पत्रकार भी रहीं हैं. यही कारण है कि उनके भीतर एक पत्रकार भी बसता है, जो उन्हें ऊंगली पकड़ कर शोध की राह पर ले जाता है. उदाहरण के तौर पर अगर नासिरा जी को मोहब्बत पर लिखना हो तो वे 'ताजमहल' की सैर किए बिना नहीं लिखेंगी. वैसे ही उनका हरेक उपन्यास उनकी यात्रा की देन है. इसे हम खोज यात्रा भी कह सकते हैं.

जैसा अभी जिक्र हुआ है पत्रकारिता का, तो बता दें कि वह स्वतंत्र पत्रकार भी रह चुकी हैं. इन्होंने इराक, अफगानिस्तान, पाकिस्तान और भारत के कई राजनीतिज्ञों और प्रसिद्ध बुद्धिजीवियों से साक्षात्कार किए हैं, जो बहुत चर्चित हुए.

नासिरा शर्मा अपने आप में एक समर्थ लेखिका हैं, जिन्हें सम्मानित किये जाने की वजह उनकी लेखनी है. समकालीन हिंदी साहित्य और बौद्धिकता के संसार में कुछ गिने-चुने लोग ही होंगे जिनके पास विषयों का इतना बड़ा वितान हो और एक साथ इतनी सारी भाषाओं की समझ होने के साथ-साथ शब्दों का इतना बड़ा भंडार हो. हिंदी के अलावा अंग्रेज़ी, उर्दू, फ़ारसी और पश्तों पर अपने अधिकार के साथ उन्होंने जितना कुछ लिखा है, वह हिंदी साहित्य और समाज के लिए मूल्यवान है. वह भारत की ही नहीं, एशिया की सांस्कृतिक धरोहर है. 'सात नदियां एक समंदर', 'शाल्मली', 'कुइयांजान', 'अक्षयवट', 'ज़ीरो रोड' जैसे आधा दर्जन से ज्यादा उपन्यासों, 'इब्ने मरियम', 'शामी कागज़', 'पत्थर गली' और 'ख़ुदा की वापसी' जैसे कई कहानी संग्रहों, 'अफ़गानिस्तान बुज़कशी का मैदान', 'मरजीना का देश इराक', और 'राष्ट्र और मुसलमान' जैसी ढेर सारी कृतियों के माध्यम से इन्होंने सिर्फ़ स्त्री लेखन ही नहीं किया बल्कि साहित्य लेखन की सरहदें भी तोड़ी हैं. वर्ष 2008 में अपने उपन्यास 'कुइयांजान' के लिए यूके कथा सम्मान से इन्हें सम्मानित किया गया. अब तक आपके दस कहानी संकलन, छह उपन्यास, तीन लेख संकलन प्रकाशित हुए हैं तथा इनकी सात पुस्तकों का फारसी में अनुवाद हो चुका है. नासिरा शर्मा को मिल रहे ये सम्मान बता रहे हैं कि हिंदी भाषा और साहित्य का दायरा अब पहले से भी बड़ा हुआ है. वहां धीरे-धीरे ही सही, मगर सवर्ण और पुरुष वर्चस्व टूट रहा है. इसका कुछ वास्ता शायद इस सच्चाई से भी है कि हिंदी का सवर्ण मध्यवर्गीय अपनी रोटी-रोज़गार के लिए अंग्रेज़ी से जुड़ा है और हिंदी मूलत: उन दलितों-आदिवासियों और पिछड़े वर्गों की भाषा रह गई है जिनके हाथ में पहली बार कागज-कलम आयी हैं.

साहित्य अकादमी के 60 साल से ऊपर के इतिहास में हिंदी साहित्य में नासिरा शर्मा वह चौथी महिला हैं जिन्हें साहित्य अकादमी 2016 सम्मान मिला है. इसके पहले कृष्णा सोबती, अलका सरावगी और मृदुला गर्ग को यह सम्मान मिल चुका है, साथ ही नासिरा शर्मा पहली मुस्लिम लेखिका हैं जिन्हें हिंदी का साहित्य अकादमी सम्मान मिला है.

नासिरा जी की कहानियां पढ़ते हुए ऐसा बिल्कुल नहीं लगता कि कहानी किसी महिला लेखिका द्वारा लिखी जा रही है, बल्कि नासिरा जी अपनी कहानियों के हर चरित्र को उस चरित्र में बैठकर लिखती हैं. नासिरा जी के लेखन की यही सबसे बड़ी विशेषता है.

यह सच है कि अधिकांशत: हिंदी साहित्य अपने चरित्र में 'यथास्थिति विरोधी भी है तथा 'बाज़ार विरोधी' और सांस्कृतिक बहुलता के प्रति सदय-संवेदनशील भी है, लेकिन नासिरा शर्मा के लेखन में उन सांस्कृतिक तंतुओं को कहीं ज्यादा सघनता से पहचाना जा सकता है जो पूरे भारतीय उपमहाद्वीप ही नहीं, बल्कि इसके पार की पश्चिम एशियाई पट्टी तक पसरे हुए हैं और जिनकी सभ्यतागत रगड़ के बीच इस पूरे समाज की रचना होती है.

- सुभाष चन्द्र
क्षे. का., मदुरै

अपूर्व, अद्भुत, अक्षुण्ण संस्कृत

1. संस्कृत देववाणी, देवभाषा, सुरभारती, गीर्वाण भारती, आर्यभाषा, भाष्यजननी जैसे कितने ही नामों से जानी जाती है. किसी ने सच कहा है कि:

भाषासु मुख्या मधुरा दिव्या गीर्वाण भारती
ततोऽपि काव्यं मधुरं तस्मादपि सुभाषितम

अर्थात्

सर्व भाषाओं में संस्कृत सबसे मुख्य, मधुर एवं दिव्य है. उसमें संस्कृत के काव्य बहुत मधुर हैं और सुभाषित उससे और भी मधुर हैं.

2. संस्कृत विश्व की प्राचीनतम, सबसे विकसित एवं वैज्ञानिक भाषा है. इस भाषा का निर्माण ही ऐसी नींव पर हुआ है कि विश्व की कोई अन्य भाषा पूर्णता की पराकाष्ठा पर इसके आसपास भी नहीं फटकती. यह नींव है इसके स्वरों, व्यंजनों, प्रत्ययों एवं लकारों की संरचना की एवं इसकी परिमार्जित एवं वैज्ञानिक व्याकरण की. विश्व की किसी भी भाषा ने अपने स्वरों एवं व्यंजनों की श्रेणियां, ध्वनि उद्गम पर नहीं बनाई. यही कारण है कि जब कोई बालक संस्कृत सीखता है तो वह कठिन से कठिन ध्वनि का उच्चारण स्पष्ट रूप से कर लेता है और उसे सीखा हुआ सब कुछ कंठस्थ हो जाता है. यही नहीं संस्कृत का उच्चारण सारे विश्व में एक ही तरह किया जाता है. संस्कृत का व्याकरण ही इसे विश्व की एक मात्र 'सम्पूर्ण कम्प्यूटीकरण सक्षम' भाषा बनाता है. इसके प्राचीनतम होने का पहला प्रमाण ईसा से 500 वर्ष पूर्व लिखा गया ऋषि पाणिनी का 'अष्टाध्यायी' ग्रंथ है, जो व्याकरण की गहनतम विवेचना करता है. 1100वीं ईसवी तक 'संस्कृत' समस्त भारत को जोड़ने का प्रमुख सूत्र था. दुर्भाग्यवश हमारे ऊपर आक्रमण करके अपनी भाषा एवं लिपि थोपने वाले अरबी आततायियों और अंग्रेजों ने हमारी संस्कृति, धर्म और इतिहास को अतुलनीय क्षति पहुंचायी. इसीलिए आज हम उन लोगों को सभ्य मानना चाहते हैं जो फर्राटेदार अंग्रेजी एवं उर्दू बोलते हैं.

3. संस्कृत को अपौरुष भाषा भी कहा जाता है. संस्कृत की रचना भाषा की तरह नहीं की गई थी. इसकी उत्पत्ति, संरचना एवं विकास ब्रह्मांड की ध्वनियों को समझकर हुआ है. प्रारम्भिक मनुष्यों ने इसकी खोज की थी, पहले ध्वनि संकेतों को पहचान कर और फिर उन्हें चित्र या विशेष आकृति का रूप देकर! हमारे ऋषि मुनियों ने इस भाष्यप्रक्रिया पर मनन, चिंतन एवं ध्यान करके, इसे कई वैज्ञानिक, मनोवैज्ञानिक एवं परावैज्ञानिक कसौटियों पर कसकर, संस्कृत को एक परिष्कृत व स्वसक्षम भाषा जैसी अमूल्य धरोहर का रूप दिया. उन्होनें इस वैज्ञानिक तथ्य को सहस्त्रों वर्ष पहले जान लिया था कि ब्रह्मांडीय ऊर्जा न उत्पन्न की जा सकती है, न नष्ट की जा सकती है. ऊर्जा सिर्फ अपना स्वरूप बदलती है. इसी वैज्ञानिक तथ्य को ध्यान में रखकर शब्दों को विशेष अनुक्रम एवं उच्चारण सूत्र में पिरो कर उनमें मंत्र शक्ति उत्पन्न करने की क्षमता डाली गई, ताकि उसके घनात्मक परिणामों का इच्छानुसार प्राकट्य एवं प्रयोग किया जा सके. संस्कृत विद्वानों के मतानुसार सौर मण्डल के प्रमुख ऊर्जा स्त्रोत सूर्य से चहुं ओर कुल 36 रश्मियां निकलती हैं जिनसे 36 स्वर बनते हैं. जब ये 36 रश्मियां पृथ्वी पर उपस्थित 8 वसुओं से मिलती हैं तो 72 व्यंजन ध्वनियों की उत्पत्ति होती है. इस तरह ब्रह्मांड में उपस्थित 36+72=108 ध्वनियों पर संस्कृत की वर्णमाला रची गई है. इसी तरह फिर इस वर्णमाला को स्वरों के मुख, कंठ या उदर के उद्गम स्थल पर आधारित वर्गों में विभाजित किया गया, जैसे क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, अंत:स्थ एवं ऊष्म वर्ग. अगर हम अरबी या अंग्रेजी या विश्व की कोई और भाषा (जिसका उद्गम, संस्कृत से न हुआ हो) लें तो वे सिर्फ कंठ एवं ओष्ठ से बोली जाती हैं. संस्कृत में वाक्य की संरचना किसी भी तरह की जाए अर्थ वही रहता है जैसे अहं उत्तरम लिखामि, उत्तरम अहं लिखामि तथा लिखामि अहं उत्तरम कोई अंतर नहीं है. नामकरण एवं उपमाओं में संस्कृत को कोई भाषा छू भी नहीं सकती - केवल 'हाथी' शब्द के 4000 समानार्थक शब्द हैं और सभी प्रमुख देवी-देवताओं के सहस्त्रनाम सर्वज्ञात हैं. माघ नामक संस्कृत के उत्कृष्ट कवि और लेखक हुए हैं जिनकी महारथ थी केवल एक, दो, तीन या चार व्यंजनों के प्रयोग से पूरे काव्य की रचना करने की. शिशुपाल-वध काव्य का उनका एक उदाहरण है केवल 'द' के प्रयोग का:

दाददो दुद्ददुद्दादी दाददो दूददीददोः।
दुद्दादन दददे दुद्दे दादादा दददोदहः ।।

(अर्थात श्रीकृष्ण जो हर वर के दाता हैं, जो कुटिलबुद्धि में व्याप्त भय हैं, जिनकी भुजाएँ उनका संहार करती हैं जो दूसरों को दुख देते हैं, ने अपना दर्दाक्रांत करके दहन करने वाला बाण शत्रु पर छोड़ दिया).

माघ की दूसरी प्रतिभा 'अनुलोम -विलोम काव्य' यानी 'उल्टा सीधा एक समान' कविता का निम्न उदाहरण है:

वारणागगभीरा सा साराभीगगणार वा ।
करितारिवधा सेना नासेधा वारितारिका ।।

(अर्थात उस सेना को पराजित करना कठिन है जिसके गज गगनचुंबी पर्वतों जैसे हों, जिस सेना ने शत्रुओं का वध करके लोगों के हृदयों को दहला दिया हो).

इसी तरह श्री वेंकटधावरी ने 17वीं शताब्दी में 'अनुलोम -विलोम काव्य' की भिन्न रचना की थी 'राघव-यादवीयम' की जिसे प्रारम्भ से पढ़ें तो श्रीराम की कथा है और अंत से पढ़ें तो श्रीकृष्ण की. आश्र्चर्यचकित करने वाली है यह कृति.

4. संस्कृत सिर्फ बोलचाल की भाषा तक सिमट कर नहीं रह गई. यह हमारे भारतीय गणितज्ञों, वैज्ञानिकों, आर्युर्वैज्ञानिकों, कवियों, नाटककारों, दार्शनिकों एवं खगोलशास्त्रियों की भाषा भी रही है. जहां व्याकरण में पाणिनी एवं पतंजलि प्रसिद्ध हैं, वहीं खगोलशास्त्र एवं गणित के क्षेत्र में आर्यभट्ट, ब्रह्मगुप्त एवं भास्कर, औषधि एवं आर्युविज्ञान में ऋषि चरक एवं सुश्रुत, दार्शनिक व्यवस्था में गौतम एवं शंकराचार्य तथा अर्थव्यवस्था एवं प्रशासन में कौटिल्य विश्व के महारथियों में गिने जाते हैं. साहित्य में कालिदास, वाल्मीकि, वेदव्यास आदि का विश्व में कोई समानान्तर उदाहरण नहीं है. यह संस्कृत का चमत्कार ही है कि हमारे सारे वेद जिन्हें श्रुति कहा जाता है, सहस्त्रों वर्षों से केवल सुनकर, कंठस्थ करके ही एक से दूसरी पीढ़ी को बिना किसी त्रुटि या लोप के हस्तांतरित, या कहूं कि श्रुण्वस्तांतरित किये गये.

5. इतनी अच्छी तरह से गढ़ी गई है संस्कृत कि बोलने-समझने वाला इसे कभी भूल ही नहीं सकता है, इसका उच्चारण त्रुटिपूर्ण कर ही नहीं सकता एवं जिसका उच्चारण त्रुटिपूर्ण हो उसे ठीक कर सकती है यह भाषा! जिह्वा एवं मस्तिष्क में स्वत: ही चिरस्थाई स्मरणशक्ति उत्पन्न करने वाली भाषा है संस्कृत, जिसमें क्षमता है, शारीरिक, मानसिक एवं स्नायुतंत्र में घनात्मक बदलावों को लाने की! यही एक मात्र भाषा है, जिसे बोलने में जीभ, तालु, ओष्ठ, कंठ एवं उदर की सभी मांसपेशियों को उपयोग में लाया जाता है तथा जिससे शरीर में रक्त एवं हारमोन संचार सुव्यवस्थित होता है. इसका क्षय हो ही नहीं सकता इसीलिए मैं संस्कृत को **अक्षुण्ण भाषा** मानता हूं.

6. **'कृण्णवंतो विश्वम आर्यम्'** (विश्व को श्रेष्ठ करने में उद्यत) जैसी अभिव्यक्ति जिस भाषा में हो, उस भाषा की तुलना किसी और से क्या हो सकती है? संस्कृत भाषा में कुछ 102 अरब 78 करोड़ 50 लाख शब्द हैं, फिर भी किसी भी अभिव्यक्ति के लिए न्यूनतम शब्दों के प्रयोग में संस्कृत सबसे अग्रणी है.

आधुनिक युग में किये शोधानुसार:

- संस्कृत कंप्यूटर प्रोग्रामिंग तथा कृत्रिम अभिज्ञता (artificial intelligence) के लिए सर्वश्रेष्ठ भाषा हैं क्योंकि इसका व्याकरण हूबहू कंप्यूटर भाषा के व्याकरण की तरह है (अमेरिकन फोर्ब्स पत्रिका 1987).
- हिन्दू कालदर्शक (कैलेंडर) विश्व का सबसे सटीक कालदर्शक है (जर्मन स्टेट यूनिवर्सिटी).
- संस्कृत में बात करनेवाले मनुष्य बी.पी, मधुमेह, कोलेस्ट्राल इत्यादि से स्वत: मुक्ति पाते हैं (अमेरिकन हिन्दू यूनिवर्सिटी).
- संस्कृत का अधिकतम साहित्य पद्य में रचा गया है. अन्य भाषाएं गद्य में साहित्यकारी करती हैं. अत: संस्कृत में छोटे में बड़ी बात कहने की अनूठी क्षमता है.
- दुनिया के 17 देशों में एक या अधिक संस्कृत विश्वविद्यालय हैं (दुर्भाग्यवश भारत में नहीं के बराबर) जो संस्कृत का न केवल अध्ययन अपितु उस पर शोध भी कर रहे हैं.
- विश्व की 97% भाषाएं संस्कृत से प्रभावित हैं.
- संस्कृत के वाक्यों में शब्द को किसी भी क्रम में रखा जा सकता है बिना अर्थ बदले! किसी और भाषा में यह प्रक्रिया अर्थ का अनर्थ कर सकती है.

7. संस्कृत की कुछ और अद्भुत विशेषताएं निम्नलिखित हैं:

- संस्कृत विश्व की एक मात्र भाषा है, जिसका नामकरण उसके बोलनेवालों या जगह के नाम पर नहीं किया गया है. यह स्वविकसित एवं संस्कारित भाषा है अत: इसे संस्कृत कहा गया. कुछ लोग इसे संस(श्वास)+कृत, संस्कृत की संधि का परिणाम भी मानते हैं.
- प्रत्येक भाषा में शब्दों के एक या कुछ ही रूप होते हैं. संस्कृत में प्रत्येक शब्द के 27 रूप होते हैं.
- संस्कृत पर असंख्य प्राकृतिक एवं मानवीय आपदाओं/आक्रमणों के बाद भी आज विश्व में 3 करोड़ से अधिक पांडुलिपियां विद्यमान हैं. यह ग्रीक एवं लैटिन की पाण्डुलिपियों की सम्मिलित संख्या से 100 गुना से भी अधिक है.

8. संस्कृत मात्र भाषा नहीं है अपितु एक संस्कृति है. एक संस्कार है, जिसमें निहित है- विश्व कल्याण, विश्व शांति व सहयोग एवं 'वसुधैव कुटुम्बकम्' की प्राणशक्ति! यह सम्पूर्ण भारत को एकता के सूत्र में बांधती है. पिछले पांच सहस्त्र वर्षों से भी अधिक समय से सतत परिष्कृत होती आ रही है तथा लौकिक संस्कृत से वैदिक रूप की यात्रा को सुरभित करती हुई यह भाषा, भारतीय अस्तित्व की अमर आत्मा है. हमें सिर्फ इस आत्मा को आत्मसात करना है.

ब्रिगेडियर आशुतोष सीरौठिया
सेना मैडल (युद्धरंजित)

भाषा की विकास यात्रा

समाज में मनुष्य को रहते हुये सदैव ही आपस में विचार-विनिमय की आवश्यकता पड़ती है. कभी शब्दों, कभी वाक्यों व कभी मात्र सिर हिलाने से ही उसका काम चल जाता है. इसी तरह हाथ से संकेत, करतल-ध्वनि आदि अनेक प्रकार के साधनों से हमारे विचार-विनिमय का काम चलता है. गंध-इंद्रिय, स्वाद-इंद्रिय, स्पर्श-इंद्रिय, दृग-इंद्रिय तथा कर्ण-इंद्रिय इन पाँचों ज्ञान-इंद्रियों में किसी के भी माध्यम से अपनी बात कही जा सकती है. किन्तु इन सबमें कर्ण-इंद्रिय का सर्वाधिक प्रयोग होता है. अपनी सामान्य बातचीत में हम इसी का प्रयोग करते हैं. वक्ता बोलता है और श्रोता सुनकर विचार या भाव को ग्रहण करता है. यद्यपि आँख, सिर और हाथ आदि अंगों के संचालन से भी भाव प्रकट किए जा सकते हैं. किन्तु भाषा जितनी शीघ्रता, सुगमता और स्पष्टता से भाव प्रकट करती है, उतनी सरलता से अन्य साधन नहीं. भाषा मनोगत भाव प्रकट करने का सर्वोत्कृष्ट साधन है. भाषा शब्द संस्कृत की भाष् धातु से निर्मित है, जिसका शाब्दिक अर्थ है व्यक्त वाणी अर्थात् बोलना.

भाषा की उत्पत्ति से आशय उस काल से है जब मानव ने बोलना आरंभ किया और अपनी सुविधा हेतु अपनी-अपनी भाषाएँ बनाकर, निर्धारित कर 'भाषा' सीखना आरंभ किया. इस विषय में बहुत सी संकल्पनाएँ हैं, जो अधिकांशतः अनुमान पर आधारित हैं. मानव के इतिहास में यह काल इतना पहले आरंभ हुआ कि इसके विकास से संबन्धित कोई भी संकेत मिलने असंभव हैं. भाषा का विकास विभिन्न कालों और परिस्थितियों में होता हुआ आज तेजी से आगे बढ़ रहा है. भाषा में नए-नए शब्दों का आगमन होता रहता है और पुराने शब्द प्रयोग-क्षेत्र से बाहर हो जाते हैं. ''प्लेटो'' के ''धातु या अनुकरण सिद्धान्त'' के अनुसार संसार की हर चीज की अपनी एक ध्वनि है. यदि हम एक डंडे से एक काठ, लोहे, सोने, कपड़े, कागज आदि पर चोट मारें तो प्रत्येक में से भिन्न प्रकार की ध्वनि निकलेगी. प्रारम्भिक मानव ने भी यही किया. वह जब किसी बाह्य वस्तु के संपर्क में आता तो उस पर उससे उत्पन्न ध्वनि की अनुकरण की छाप पड़ती थी. उन ध्वनियों का अनुकरण करते हुए उसने कुछ सौ मूल धातुओं का निर्माण कर लिया. जब कुछ कामचलाऊ धातु शब्द बन गए और उसे भाषा प्राप्त हो गयी तो उसकी भाषा बनाने की सहज शक्ति समाप्त हो गयी. तब वह इन्हीं धातुओं से नए-नए शब्द बनाकर अपना काम चलाने लगा. आधुनिक मान्यता के अनुसार भाषा का आरंभ धातुओं से बने शब्दों से न होकर पूर्ण विचार वाले वाक्यों के द्वारा हुआ. भाषा की उत्पत्ति के संबंध में अनेक मत-सिद्धान्त रचे गए, परंतु वे सब-के-सब कल्पना और अनुमान पर आधारित होने के कारण भाषा के वैज्ञानिक अध्ययन की दृष्टि से महत्त्वहीन सिद्ध हो चुके हैं. वास्तव में अभी तक भाषा की उत्पत्ति के प्रश्न का कोई सर्वमान्य और उचित समाधान नहीं खोजा जा सका है.

भाषा अपने प्रारम्भिक रूप में संगीतात्मक थी. इसमें वाक्य शब्द की भाँति थे. अलग-अलग शब्दों में वाक्य के विश्लेषण की कल्पना नहीं की गयी थी. स्पष्ट अभिव्यंजन का अभाव था. कठिन ध्वनियाँ अधिक थीं. स्थूल और विशिष्ट के लिए शब्द थे, जबकि सूक्ष्म और सामान्य का पता नहीं था. व्याकरण-संबंधी नियम नहीं थे. केवल अपवाद ही अपवाद थे. इस प्रकार भाषा प्रत्येक दृष्टि से अपूर्ण थी.

यदि भाषा न होती तो मनुष्य, पशुओं से भी बदतर होता ; क्योंकि पशु भी करुणा, क्रोध, प्रेम, भय आदि कुछ भाव अपने कान, पूंछ, हिलाकर या गरजकर व्यक्त कर लेते हैं. भाषा के आविर्भाव से सारा मानव संसार गूँगों की विराट बस्ती बनने से बच गया. प्रारम्भिक भाषा के शब्दों के अपेक्षाकृत अधिक रूप रहे होंगे, जो बाद में सादृश्य या ध्वनि परिवर्तन आदि के कारण आपस में मिल कर कम हो गए. भाषा का जितना ही विकास होता है, उसकी अभिव्यंजना - शक्ति उतनी ही बढ़ती जाती है.

समय-समय पर भाषा को विभिन्न साहित्यकारों ने परिभाषित किया है : -

पं. कामताप्रसाद गुरु ने भाषा को इस प्रकार परिभाषित किया है:- ''भाषा वह साधन है, जिसके द्वारा मनुष्य अपने विचार दूसरों पर भली-भाँति प्रकट कर सकता है और दूसरों के विचार आप स्पष्टतया समझ सकते हैं''.

श्यामसुंदर दास ने कहा है: ''मनुष्य और मनुष्य के बीच वस्तुओं के विषय में अपनी इच्छा और मति का आदान-प्रदान करने के लिए व्यक्ति ध्वनि-संकेतों का जो व्यवहार होता है, उसे भाषा कहते हैं''.

पाश्चात्य विद्वानों की परिभाषाएँ

प्लेटो ने कहा है ''विचार आत्मा की मूक बातचीत है, पर वही जब ध्वन्यात्मक होकर होठों पर प्रकट होती है, तो उसे भाषा की संज्ञा देते हैं''.

हेनरी स्वीट का कथन है ''जिन व्यक्त ध्वनियों द्वारा विचारों की अभिव्यक्ति होती है, उसे भाषा कहते हैं''.

भाषा की प्रकृति (विशेषताएँ)

भाषा के सहज गुण-धर्म को भाषा की प्रकृति कहते हैं. इसे दो भागों में विभक्त किया जा सकता है. भाषा की प्रथम प्रकृति वह है जो सभी भाषाओं के लिए मान्य होती है, इसे भाषा की सर्वमान्य प्रकृति कह सकते हैं. द्वितीय प्रकृति वह है जो भाषा विशेष में पाई जाती है. इससे एक भाषा से दूसरी भाषा की भिन्नता स्पष्ट होती है. भाषा की प्रकृति निम्नलिखित हैं :

1. **भाषा सामाजिक संपत्ति है :** भाषा का विकास और अर्जन समाज में होता है और उसका प्रयोग भी समाज में ही होता है. यह तथ्य द्रष्टव्य है कि जो बच्चा जिस समाज में पैदा होता तथा बोलता है, वह उसी समाज की भाषा सीखता है.

2. **भाषा पैतृक संपत्ति नहीं है :** यदि भाषा पैतृक संपत्ति होती, तो वह बालक बोलने के योग्य होने पर अपने माता -पिता की भाषा ही बोलता, किन्तु ऐसा नहीं होता है.

3. **भाषा व्यक्तिगत संपत्ति नहीं है :** भाषा में होने वाला परिवर्त्तन व्यक्तिकृत न होकर सामाजीकृत होता है.

4. **भाषा अर्जित संपत्ति है :** मनुष्य को भाषा सीखने के लिए प्रयास करना पड़ता है. प्रयास के अभाव में विदेशी और अपने देश की भाषा नहीं, मातृभाषा का भी ज्ञान असंभव है. भाषा - ज्ञानार्जन का सतत प्रयास उसमें गंभीरता और परिपक्वता लाता है.

5. **भाषा सामाजिक स्तर पर आधारित होती है :** भाषायी भिन्नता उनकी शैक्षिक, आर्थिक, व्यावसायिक तथा सामाजिक आदि स्तरों के कारण होती है. भाषा के प्रत्येक क्षेत्र की अपनी शब्दावली होती है, जिसके कारण भिन्नता दिखाई पड़ती है.

6. **भाषा सर्वव्यापक है :** विश्व के समस्त कार्यों का संपादक प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से भाषा के ही माध्यम से होता है.

7. **भाषा सतत प्रवाहमयी है :** भाषा की उपमा प्रवाहमान जलस्रोत नदी से दी जा सकती है, जो पर्वत से निकलकर समुद्र तक लगातार बढ़ती रहती है, अपने मार्ग में वह कहीं सूखती नहीं है. समाज के साथ भाषा का आरंभ हुआ और वह वर्त्तमान में भी गतिशील है.

भाषा की संरचना एवं भाषिक आधार :

भाषा संरचना का मूलाधार संरचनात्मक पद्धति है. जिस प्रकार भवन-रचना में ईंट, सीमेंट लोहा, मजदूर और कारीगर की आवश्यकता होती है, उसी प्रकार भाषा - संरचना में ध्वनि, शब्द, पद, वाक्य, प्रोक्ति और अर्थ की अपनी-अपनी भूमिका होती है. भाषा की लघुत्तम, स्वतंत्र और सार्थक इकाई को शब्द की संज्ञा दी जाती है. शब्द-संरचना का अध्ययन उपसर्ग, प्रत्यय, समास तथा पुनरुक्ति आदि रूपों में करते हैं.

भाषा की स्वतंत्र, पूर्ण सार्थक, सहज इकाई को वाक्य कहते हैं. वाक्य में प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से कम-से-कम एक क्रिया का होना अनिवार्य है. यदि ध्वनि, शब्द, पद और वाक्य आदि भाषा की शारीरिक इकाइयाँ हैं, तो अर्थ भाषा की आत्मा है.

भाषा के दो आधार हैं - एक मानसिक और दूसरा भौतिक. मानसिक आधार भाषा की आत्मा है तो भौतिक आधार उसका शरीर. मानसिक आधार या आत्मा से आशय है, वे विचार या भाव जिनकी अभिव्यक्ति के लिए वक्ता भाषा का प्रयोग करता है. भौतिक आधार से आशय है - भाषा में प्रयुक्त ध्वनियाँ, जो भावों और विचारों की वाहिका हैं, जिनका आधार लेकर वक्ता अपने विचारों या भावों को व्यक्त करता है.

भाषा की उत्पत्ति एवं भाषा विकास के कारण

भाषा की उत्पत्ति का प्रश्न मानव की उत्पत्ति तथा उसकी भावाभिव्यक्ति से संबन्धित है. इस संदर्भ की चिंतन-परंपरा में निम्नलिखित मन्तव्य सामने आए हैं : संकेत सिद्धान्त,धातु सिद्धान्त, संपर्क सिद्धान्त, अनुकरण सिद्धान्त इत्यादि.

भाषा का विकास मुख्यत: आंतरिक और बाह्य कारणों से होता है. भाषा के विकास का आशय यह नहीं कि भाषा, और अच्छी या ऊँची होती जाती है. परिवर्तन से भाषा अभिव्यंजना शक्ति, माधुर्य तथा ओज आदि की दृष्टि से भी उठ सकती है और नीचे भी जा सकती है.

भाषा के विविध रूप : लिखित एवं उच्चारित रूप, मातृभाषा, राजभाषा और बोली में अंतर

विश्व की समस्त भाषाओं के प्रयोग - चिंतन से उनके लिखित तथा उच्चरित दो रूपों का ज्ञान होता है. भारतवर्ष की वर्तमान भाषायी स्थिति में पाली, प्राकृत तथा अपभ्रंश आदि भाषाएँ हैं. वर्तमान समय में उनका उच्चरित रूप प्रयुक्त नहीं होता है.

मातृभाषा अपने नाम से ही स्पष्ट है. मातृभाषा को बच्चा अपनी माँ से सीखता है. परिवार समाज की प्राथमिक पाठशाला कहलाता है, अतएव बच्चा जन्म लेते ही जो भाषा सीखता है, उसे मातृभाषा कहते हैं. सामाजिक प्राणी मनुष्य के अस्तित्व की पहली शर्त है - मातृभाषा, क्योंकि एक अदद भाषा के बिना सामाजिक व्यवहार अकल्पनीय है.

राजभाषा : प्रशासन की भाषा राष्ट्रभाषा कहलाती है, जबकि सरकारी कार्यालयों में जिस भाषा का प्रयोग होता है, उसे राजभाषा कहते हैं.

भाषा का क्षेत्र अपेक्षाकृत विस्तृत होता है, जबकि बोली का संकीर्ण. एक भाषा की एक या अधिक बोलियाँ हो सकती हैं. इसके विपरीत भाषा बोली के अंतर्गत नहीं आती. भाषा का मानक रूप होता है, जबकि बोली का नहीं.

भावों की अभिव्यक्ति के सार्थक ध्वनि-समूह को भाषा की संज्ञा दी जाती है. भाषा के विकास के पश्चात् लिपि की उत्पत्ति हुयी. भाषा ध्वनियों की व्यवस्था है, किन्तु लिपि वर्णों का संयोजन है. लिपि की तुलना में भाषा अधिक प्रवाहमान, स्वच्छंद, परिवर्तनशील एवं गतिशील होती है. वस्तुत: लिपि भाषा को संरक्षण एवं गतिशीलता प्रदान करती है. भाषा को सीखने में लिपि का महत्त्वपूर्ण योगदान होता है.

प्रीति प्रिया
क्षे. का., इलाहाबाद

भारतीय भाषाओं का विकास

विश्व में लगभग 4000 भाषाएँ बोली जाती हैं, जिन्हे अध्ययन की सुविधा के लिए भाषा वैज्ञानिकों ने परिवारों, उप परिवारों तथा शाखा प्रशाखाओं में विभक्त किया है. हम केवल उन्हीं भाषा परिवारों का उल्लेख कर रहे हैं, जो अपेक्षाकृत निर्विवाद और प्रमुख हैं-

1. भारोपीय परिवार, 2.सामी-हामी परिवार, 3.द्रविड़ परिवार, 4.आस्ट्रिक परिवार, 5.चीनी-तिब्बती परिवार, 6.काकेशियन भाषा परिवार, 7.अमेरिकी परिवार, 8.आस्ट्रेलियाई परिवार, 9.आल-अल्लाई परिवार, 10.जापानी कोरियाई परिवार.

जहां तक भारत का प्रश्न है तो इसमें 4 भाषा परिवारों की भाषाएं पाई जाती हैं. 1. भारोपीय भाषा परिवार 2. द्रविड़ भाषा परिवार 3. आस्ट्रिक 4. चीनी तिब्बती भाषा परिवार. भारोपीय परिवार की भाषाएं उत्तर भारत में बोली जाती हैं तथा द्रविड़ भाषा परिवार की भाषाएं दक्षिण भारत में. आस्ट्रिक भाषा परिवार की भाषा बोलने वाले आदिवासी हैं, जो सामान्यत: मध्य एवं उत्तर पूर्वी भारत के भागों में रहते हैं. मेघालय, उड़ीसा, बिहार, झारखंड, बंगाल, असम, निकोबार द्वीप तथा राजस्थान, मध्य प्रदेश के कुछ क्षेत्रों में बोली जाती है. चीनी-तिब्बती परिवार की भाषाएं असम, कश्मीर तथा हिमालय पर स्थित कुछ भागों में बोली जाती है. अंडमान द्वीप की भाषा अभी तक विश्व के किसी भाषा परिवार से जुड़ नहीं पाई है.

भारतीय आर्य भाषाएँ

भारोपीय भाषा परिवार की भारतीय आर्य उपशाखा सर्वाधिक महत्वपूर्ण है. भारतीय उपमहाद्वीप के 5 देशों में भारतीय आर्य भाषाएं बोली जाती हैं, जिनमें पाकिस्तान (उर्दू), नेपाल (नेपाली), बांग्लादेश (बांग्ला) और श्रीलंका (सिंहली) शामिल है. इन सब भाषाओं का विकास संस्कृत से हुआ है. संस्कृत इस शाखा की प्राचीन भाषा है, जिसमें संसार का प्राचीनतम ग्रंथ ऋग्वेद है. हिंदी का संबंध भी इसी शाखा से है. भारतीय आर्य भाषाओं का इतिहास लगभग साढ़े तीन हजार वर्षों का है. ऐतिहासिक विकास क्रम की दृष्टि से इसे तीन खंडों में विभाजित किया जाता है.

1. **प्राचीन भारतीय आर्य भाषा काल-** (2000 ई. पू. से 500 ई. पू. तक)
   - क. **वैदिक संस्कृत काल -** (2000 ई. पू. से 1000 ई. पू. तक)
   - ख. **लौकिक संस्कृत काल -** (1000 ई. पू. से 500 ई. पू. तक)
2. **मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा काल** (500 ई. पू. से 1000 ई. तक)
   - क. पालि काल (500 ई. पू. से 1 ई. तक)
   - ख. प्राकृत काल (1 ई. से 500 ई. तक)
   - ग. अपभ्रंश काल (500 ई. से 1000 ई. तक)
3. **आधुनिक भारतीय आर्य भाषा काल** (1000 ई. से आज तक)
   - क. आरंभिक काल (1000 ई. से 1400 ई. तक)
   - ख. मध्यकाल (1400 ई. से 1850 ई. तक)
   - ग. आधुनिक काल (1850 ई. से आज तक)

उपर्युक्त काल निर्धारण के संबंध में उल्लेखनीय बात यह है कि काल निर्धारण का आधार साहित्य है.

आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं का क्षेत्र संपूर्ण उत्तर भारत है. इसमें बंगाल, बिहार, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश, उत्तरांचल, मध्य प्रदेश, झारखंड एवं राजस्थान आते हैं. इसके अतिरिक्त पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र, कश्मीर भी इसके प्रमुख क्षेत्र हैं. आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं का परिचय इस प्रकार है-

1. हिन्दी

हिंदी का विकास शौरसेनी, मागधी और अर्ध मागधी अपभ्रंश से हुआ, जिसकी पांच उपभाषाएं- पश्चिमी हिंदी, पूर्वी हिंदी, पहाड़ी, राजस्थानी तथा बिहारी मानी जाती हैं. इन भाषाओं से हिंदी की विभिन्न बोलियां विकसित हुईं जिसकी संख्या 17 है. कुछ विद्वान यह संख्या 18 या 19 तक भी मानते हैं. हिंदी की बोलियों के नाम निम्नलिखित हैं-

2. सिंधी

इसकी उत्पत्ति द्रावण अपभ्रंश से हुई. हिंदी का उद्भव 1000 ईस्वी से माना जाता है. इसी समय से सिंधी साहित्य नियमित रूप से मिलना प्रारंभ होता है. इसकी प्राचीनतम पुस्तक का नाम 'महाभारत' है जिसकी रचना संस्कृत के महाभारत के आधार पर हुई है. इसका सर्वाधिक लोकप्रिय ग्रंथ शाह लतीफ कृत 'शाह की रिशालों' है. काजी, इंदर भोजवानी, तीर्थ बसंत, की वी आडवाणी, कृष्ण राही, मुनों सामतानी आदि सिंधी के प्रमुख रचनाकार हैं.

सिंधी मूलत: सिंध प्रदेश की भाषा है, जो अब पाकिस्तान में है. इसके बोलने वाले विभाजन के बाद भारत में कच्छ, मुंबई, अजमेर और दिल्ली में बस गये. इसमें अरबी फारसी शब्दों का बाहुल्य है. इसकी प्राचीन लिपि का नाम लंडा है. सिंधी के लिए फारसी, गुरुमुखी और नागरी तीनों रूपों का प्रयोग होता है.

3. पंजाबी

यह वर्तमान पंजाब की भाषा है. आधुनिक आर्य भाषाओं में यह सिंधी और लहंदा की सहोदरा है. इसका विकास 'टक्क' अपभ्रंश से हुआ है. पंजाबी साहित्य का प्रारंभ 12 वीं सदी के आखिरी चरण से माना जाता है. इसका प्रारंभिक रूप संतो, नाथों, सिद्धों की वानियों तथा शेख फरीद की कविता में मिलता है. बाबा फरीद शकर गंजी इसके आदि कवि है.

नानक देव, अर्जुन देव, बारिसशाह इसके प्रमुख रचनाकार हैं. भाई वीर सिंह, मोहन सिंह, अमृता प्रीतम, हरभजन सिंह, केसर सिंह, संत सिंह तथा अतरसिंह इसके आधुनिक हस्ताक्षर हैं. लोक साहित्य की दृष्टि से यह एक समृद्ध भाषा है. इस भाषा में सहज ग्रामीण आकर्षण है. पंजाबी की 29 बोलियां हैं, जिनमें माझी, पंजाबी का आदर्श और परिनिष्ठित रूप है. भटियाली, कलूहरी, जंगरी, गुरुमुखी, कांगड़ी तथा राठी भी मुख्य बोलियां हैं.

4. मराठी

यह महाराष्ट्र की भाषा है. इसकी उत्पत्ति महाराष्ट्री अपभ्रंश से हुई है. मराठी वैदर्भी अपभ्रंश, पूर्वी भाषा एवं द्रविड़ परिवार की भाषाओं से काफी प्रभावित है. यह प्रायः देवनागरी लिपि में लिखी जाती है. नित्य व्यवहार के लिए मोड़ी लिपि का व्यवहार होता है.

मराठी साहित्य का प्रारंभ 12 वीं सदी से माना जाता है. मुकुंदराव मराठी के आदि कवि हैं. संत ज्ञानेश्वर, एकनाथ, नामदेव, तुकाराम, चौखामोला, रामदास, मोरोपंत, ज्योतिबा फुले इसके प्रमुख रचनाकार हैं. साहित्य की दृष्टि से मराठी एक समृद्ध भाषा है. आधुनिक काल में प्रायः साहित्य की सभी विधाओं में इसमें रचना हो रही है. इसका दलित साहित्य भी विशेष उल्लेखनीय है.

5. गुजराती

यह गुजरात राज्य की भाषा है. 11 वीं शताब्दी के अलबरुनी के अभिलेखों में गुजरात का उल्लेख है. गुजराती को शौरसेनी अपभ्रंश के दक्षिण पश्चिमी रुप से उद्धृत माना जाता है. इसे नागर अपभ्रंश तथा गुर्जर अपभ्रंश भी कहा जाता है. आचार्य हेमचंद्र के सिद्ध हेम व्याकरण के अंतिम भाग में उल्लिखित कुछ दोहों में गुजराती के प्रारंभिक लक्षण प्रकट होते हैं. गुजराती का आदि कवि नरसिंह को माना जाता है, जिन्हें हिंदी समाज नरसी मेहता के नाम से जानता है. कालांतर में गुजराती में रासो और फाग साहित्य मिलता है.

6. असमी

यह असम राज्य की भाषा है. इसकी उत्पत्ति अर्ध मागधी अपभ्रंश से हुई. यह मुख्यतः ब्रह्मपुत्र घाटी के 6 जिलों में बोली जाती है. उड़िया तथा बांग्ला की तरह इस का प्रारंभिक रूप 'बौद्ध दोहों' में मिलता है, लेकिन इस भाषा का स्पष्ट रूप 13 वीं शताब्दी के हेम सरस्वती के 'प्रहलाद चरित्र' में मिलता है. हेम सरस्वती असमी के आदि कवि हैं. इनके अलावा दुर्गावर तथा पीतांबर भी असमी के प्राचीन कवि हैं. असमिया का स्वर्णकाल 15वीं शताब्दी के कवि शंकरदेव से प्रारंभ होता है.

7. कश्मीरी

यह भाषा भारोपीय भाषा परिवार के अंतर्गत आती है. कश्मीरी जम्मू कश्मीर के लगभग 10000 वर्ग मील के क्षेत्र में बोली जाती है. यह अनंतनाग, श्रीनगर, बारामुला, तथा डोडा में प्रमुख रूप से बोली जाती है. कश्मीरी ही एक ऐसी भाषा है जो अफगानिस्तान, सोवियत रूस, तिब्बत, चीन तथा पाकिस्तान की अंतर्राष्ट्रीय सीमा को छूती है. संख्या की दृष्टि से भारतीय भाषा में इसका स्थान 12वां है. कश्मीरी मातृभाषी इसे 'काशूर' नाम से पुकारते हैं.

8. बांग्ला

इसकी उत्पत्ति मागधी अपभ्रंश से सन 1000 ईस्वी के आसपास मानी जाती है. यह पश्चिमी बंगाल की राजभाषा तथा बोलचाल की मुख्य भाषा है. विश्व की 10 प्रमुख भाषाओं में इसे परिगणित किया जाता है.

बौद्ध धर्म के सहजिया संप्रदाय के चर्यापदों में बांग्ला का प्राचीनतम साहित्यिक रूप देखने को मिलता है. मध्य काल के वैष्णव कवि चंडीदास, बांग्ला रामायण के रचयिता कृतिवास ओझा को विशेष ख्याति मिली है. कृतिवास रामायण तो प्राचीन बांग्ला की सर्वाधिक लोकप्रिय रचना है.

9. उड़िया

इसे उत्कली अथवा ओड़ी भी कहते हैं. उड़िया उड़ीसा प्रांत की राजभाषा है. उड़िया का उद्भव भी सन 1000 ईसवी के आस-पास ही माना जाता है. इसका व्याकरण बांग्ला से इतना अधिक मिलता है कि यह बहुत दिनों तक बांग्ला की एक बोली समझी जाती रही. बांग्ला के साथ उड़िया भी मागधी अपभ्रंश से निकली है.

उड़ीसा के अलावा बंगाल के मेदिनीपुर, बिहार की सिंहभूमि, सराईकेला, खरसुआ, मध्यप्रदेश के रायगढ़, सारंगढ़, बस्तर तथा आंध्र प्रदेश के कुछ भागों में उड़िया बोली जाती है. इसका शब्द भंडार तेलुगु, तमिल, कन्नड़ से भी समृद्ध है लेकिन यह संस्कृत के सबसे अधिक निकट है.

10. तमिल

तमिल भाषा द्रविड़ भाषा परिवार की प्राचीनतम भाषा मानी जाती है. भाषाविदों ने संस्कृत, ग्रीक, लैटिन आदि भाषाओं के समान ही तमिल को अत्यंत प्राचीन एवं समृद्ध भाषा माना है. इसका द्रविड़ भाषा परिवार में वही स्थान है जो आर्य भाषा परिवार में संस्कृत का है. तमिल आज श्रीलंका की भी जन भाषा है. इसे बोलने वालों की संख्या विश्व में 3 करोड़ से अधिक है. तमिल का प्राचीनतम उपलब्ध साहित्य 'संगम साहित्य' है.

11. कन्नड़

कर्नाटक राज्य की भाषा कन्नड़ है. द्रविड़ परिवार की भाषाओं में प्राचीनता की दृष्टि से इसका स्थान तमिल के बाद आता है. इसके उत्तर में आर्य भाषा का क्षेत्र है इसलिए यह आर्य भाषाओं से भी काफी प्रभावित है.

कन्नड़ का प्रारंभिक रूप 5वीं शताब्दी के हल्मिड़ी, चिकमंगलूर तथा कडूर के शिलालेखों में मिलता है. सातवीं शताब्दी की कृति कविराजमार्ग जो कन्नड़ का पहला काव्य ग्रंथ है. इनके उच्च कोटि के कवि पंप हैं. पंप रचित आदिपुराण, पंप भारत तथा पोन्न रचित शांति पुराण, नामवर्मा कृत 'कर्नाटक कादंबरी' आदि इस युग की प्रसिद्ध रचनाएं हैं.

12. तेलुगु

तेलुगु भारत में द्रविड़ परिवार की मुख्य भाषा है. बोलने वालों की संख्या की दृष्टि से इसका हिंदी के बाद दूसरा स्थान है. यह आंध्र प्रदेश में बोली जाती है. त्रिलिंग तथा तेनुगु शब्द से तेलुगु का विकास माना जाता है. तेलुगु भाषा का विकास ग्यारहवीं सदी से माना जाता है इसका प्रामाणिक साहित्य कवि ननन्य भट्ट की रचनाएं ही हैं. उन्होंने 11 वीं शताब्दी में महाभारत का तेलुगु में अनुवाद किया, जिसे तेलुगू भाषा का आदिग्रंथ माना जाता है. तेलुगु भाषा का प्रथम व्याकरण 'आंध्र शब्द चिंतामणि' भी कवि ननन्य ने ही लिखा है.

13. मलयालम

यह केरल प्रदेश की भाषा है. केर वृक्षों की अधिकता के कारण इस प्रदेश का नाम केरल पड़ा. मलयाली अपनी भाषा को केरली भी कहते हैं परंतु मलयालम नाम ही अधिक प्रचलित है. काफी लंबे समय तक इसे तमिल की उपभाषा माना जाता रहा है. उस समय इसे मलयालम तमिल कहा जाता था. बाद में इसे स्वतंत्र भाषा के रूप में मान्यता मिली. कुछ विद्वानों का मानना है कि मलयालम तमिल से 9 वीं शताब्दी में पृथक हुई.

मलयालम की 14 बोलियां मानी जाती हैं. उत्तरी केरल में उर्दू के प्रभाव से दखनी का प्रचलन भी है. मलयालम की अपनी लिपि है, जिसकी वर्णमाला नागरी के समान है. मलयालम की शब्दावली में संस्कृत, उर्दू तथा अन्य द्रविड़ भाषाओं के काफी शब्द है.

राधा रमण शर्मा
क्षे. का., कोल्हापुर

बुलंद कर इतनी तमन्ना

बुलंद कर इतनी तमन्ना
जो मोड़ दे लौह लकीरों को
अपने शिल्प-कृत में
वरन तकदीरों को ताक-कोस कर
क्या बदला है रुख हवाओं का कभी

इतिहास यूं ही नहीं बनता
बलिवेदी पर चढ़ना पड़ता है
कई शीर्षों को अंगारे भर-भर हस्तों पर
मशालें जलानी पड़ती हैं
आसान नहीं
लहू से अपनी तक़दीरें पिघलानी पड़ती हैं

बुलंद कर इतनी तमन्ना
की कंकालों के ढेर से उठकर
पथ निर्माता बन सके तू
वरना राख़ के ढेर से तो
पक्षी भी पुनर्जन्म ले लेता है

जीवन मृत्यु प्रमुख नहीं
जीवन उद्देश्य महत्वपूर्ण है
बुलंद कर इतनी तमन्ना
जो मोड़ दे लौह लकीरों को!

पूजा सिन्हा
ठाणे (पूर्व) शाखा

जीवन की कश्ती

ख़्वाहिशें कश्ती पर सवार करके
मेहनत की चप्पू चलाये जा
बहते पानी की धारा की ओर
मंजिल अपनी बनाए जा

न मिले जो मंजिल धारा की ओर
धारा के विपरीत ही बहे जा
पर मंजिल अपनी बनाये जा

जीवन की कश्ती पर ख़्वाहिशें ही रख
जितना कश्ती संभाल सके
ख़्वाहिशों से खुशियां ना सही
सफर में मौज किये जा

तूफान, बवंडर तो आएंगे
डर कर लौटने का प्रश्न कहाँ?
थोड़ा दम भर, चप्पू को मजबूत पकड़
डर की आँख से आँख मिलाये जा

जीवन की कश्ती बलिदान नहीं
संघर्ष और साहस मांगती है
दिल साफ रख और आगे बढ़
उन ख़्वाहिशों को पाये जा

डर लगे कभी, अगर डर से
फिर भी निडरता से चुनौतियाँ पार करे जा
चुनौतियाँ हैं कोई भूत नहीं
अपनी हिम्मत को भी आजमाए जा

मिल जाए जो मंजिल, तो पीछे मुड़कर देख
वो सागर उन अथाह संघर्षों का
हृदय के स्पंदनों में उस गति को महसूस करा जायेगा
उस मंजिल की अहमियत तुझे रोज याद दिलाएगा.

भरत परिहार
सांसरोद शाखा, बड़ौदा

काले-काले मेघा जब पानी की बूंद गिराते

काले-काले मेघा जब पानी की बूंद गिराते,
तब वे मुझको मेरे बचपन की याद दिलाते
याद आते वो साथी संगी,
जिनसे मिलने को हम घर से छुप-छुप कर जाते
नदी सी बहती धारा में और,
समुंदर से लगते रस्तों पर,
हम कितना शोर मचाते,
काले-काले मेघा जब पानी की बूंद गिराते

दुनिया की सुध भूलकर
हम खूब नाचते-गाते
नभ से गिरते मोती को
हाथों में लेकर हम कितना सुख पाते
काले-काले मेघा जब पानी की बूंद गिराते

जिस काले मेघ को देख घर में छुपती है दुनिया
हम उससे आनंद पाते
काले-काले मेघा जब पानी की बूंद गिराते
तब वे मुझको मेरे बचपन की याद दिलाते

गौरव
वरुड शाखा, नागपुर

डर

आसमां पर थी निगाहें कभी, अब ज़मीन पर है....
अब तो हमें परछाइयों से भी डर है।

समंदर की गहराइयों में जाने का अरमान था कभी.....
अब तो हमें किनारे से भी डर है।

दोस्तों के लिये , दोस्तों के साथ , दोस्तों की थी जिंदगी....
अब तो हमें दोस्ती से भी डर है।

सपने संजोना और उन्हें पूरा करने की आदत थी हमें ....
कोई सपना ना आ जाये कहीं,

अब तो आंखे बंद करने से डर है।

कुदरत ने किए है सितम और दिये हैं कुछ ऐसे जख्म....
भर पाना है नामुमकिन जिनको, ना छुपाए बनता है,
और किसी को दिखाने से भी डर है।

सारा जहां पाने का इरादा था कभी....
सब कुछ खो ना दूं, बस यही डर है।
तन्हा कभी ना रहे, भीड़ में रहने की आदत थी हमें ....
अब तो हमें अकेलेपन से भी डर है।

मंज़िल का रास्ता कुछ ज़्यादा ही लंबा हो गया है....
रास्ते में ही ना रह जाऊँ कभी, बस यही डर है।

रोशनी शायद है बहुत दूर अभी,
रात के बादल भी छंटे नहीं हैं....
इन अंधेरों में ही रह ना जाऊँ कहीं, बस यही डर है।

उम्मीदों को आधा छोड़ ना दूं,
आशाओं के बांध तोड़ ना दूं....
नाकामी के सिर्फ एहसास से ही डर है।

सब कुछ पा लूँगी, अब भी ये उम्मीद तो दिल में है....
पर खुद को ना खो दूं, मुझे तो बस यही डर है।

परिंदों के साथ उड़ने का दिल है,
पानी के साथ बहने का दिल है....
एक बार फिर से खुल के जीना ही हसरत-ए-दिल है....
मुझे तो बस दिल की खामोशी से डर है।।

विनीता सनाढ्य
क्षे. का., उदयपुर

पतंग

हो प्रफुल्ल मदमाती, हर्षाती बड़ी दीवानी
मौजों में वह उड़ती जैसे नील गगन की रानी

कौतुक दृष्टि से देख विहग, सोचे क्या चीज निराली
संग-संग उड़ती फिर कहती आई कोई नव आली

उड़ मस्त हवा के झोंके में सब को बतलाती,
मस्ती का रस खोना मत जीवन का दर्श बताती

लगी पेंच फिर कटी, आया यह कैसा व्यवधान,
अभी लुप्त थी मस्ती में अस्त हुआ आकूल उड़ान

फिर कर उदय नव उड़ान का छटा जरा न हर्ष,
नई उमंगे नया रंग है, फिर से हो संघर्ष

खो दिए हो या फिर विफल हुए, कभी न होना आर्त,
नये गति और नये जोश से लड़ने में पुरुषार्थ

तब हारे हो, अब जीतोगे, फिर से कर लो जंग,
अडिग सदा रहो लक्ष्य पर सिखाती है पतंग.

मनीष कुमार
क्षे. का., रायपुर

वो जो क़त्ल कर दिए गए
मोहब्बत करने के लिये
बिना जाति, धर्म, गोत्र देखे
किसी इंसान को इंसान समझने के लिए

वो जो क़त्ल कर दिए गए
अपनी ज़िंदगी जीने के लिए
अपनी सोच, अपनी समझ को
ज़माने के जैसे संकीर्ण नहीं करने के लिए

वो जो क़त्ल कर दिए गए
रिवाजों को न मानने के लिये
हिन्दू-मुसलमान, सवर्ण-शूद्र का
बनावटी अंतर न स्वीकार करने के लिए

उनका क़त्ल सिर्फ उनकी देह का मरना नहीं
ये मौत है उस सपने की जो उन्होंने देखा
ये मौत है इनके विश्वास की जो
इन्हें अपने प्यार की ताकत पे था
वो जो क़त्ल कर दिए गए छोड़ गए हैं
हमें शर्म करने को

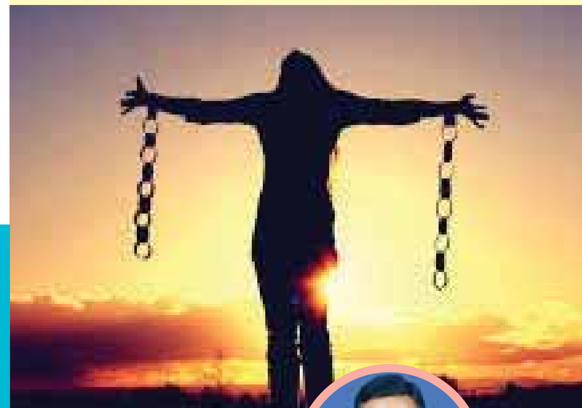

हरीश कुमार
भियांव शाखा,
आजमगढ़

हिन्दी भाषा का मानक स्वरूप

भाषा का क्षेत्र देश और काल की दृष्टि से व्यापक है. दुनिया की अधिकांश भाषाओं का एक मानक स्वरूप होता है. किसी भी भाषा के मानकीकरण होने के कारण ही वह अपने क्षेत्र में शब्दावली एवं व्याकरण की दृष्टि से समरूप होती है तथा लोगों के लिए बोधगम्य होती है. हिन्दी का मानक स्वरूप हिन्दी की खड़ी बोली से विकसित हुआ है.

भाषा हमारे भावों को अभिव्यक्त करने का माध्यम है. इसके दो रूप है- उच्चरित और लिखित. उच्चारण की दृष्टि से भाषा की न्यूनतम इकाई ध्वनि होती है. किसी भी भाषा में प्रयोग की जाने वाली मूल ध्वनि को 'वर्ण' कहते हैं और वर्णों के समूह या समुदाय को 'वर्णमाला' कहते हैं.

1. मानक हिन्दी वर्णमाला तथा अंक

हिन्दी का मानक स्वरूप निर्धारित करने के लिए शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार ने वर्ष 1961 में एक विशेषज्ञ समिति गठित की, जिसने वर्ष 1962 में अपनी अंतिम रिपोर्ट प्रस्तुत की. केंद्रीय हिन्दी निदेशालय ने शीर्षस्थ विद्वानों आदि के साथ वर्षों के विचार-विमर्श के पश्चात हिन्दी वर्णमाला तथा अंकों का जो मानक स्वरूप निर्धारित किया, वह इस प्रकार है-

मानक हिन्दी वर्णमाला

स्वर	अ आ इ ई उ ऊ ऋ ए ऐ ओ औ
मात्राएँ	- ा ि ी ु ू ृ े ै ो ौ
अनुस्वार	(अं)
विसर्ग	(अः)
अनुनासिकता चिन्ह	- ँ
व्यंजन क ख ग घ ङ	कंठ्य या कोमल तालव्य व्यंजन (जिह्वा के पिछले भाग से कोमल तालु का स्पर्श)
च छ ज झ ञ	तालव्य व्यंजन (जिह्वा का अग्र भाग कठोर तालु को, संघर्षण के साथ स्पर्श)
ट ठ ड ढ ण ड़ ढ़	मूर्धन्य व्यंजन (जिह्वा की उलटी हुई नोंक का निचला भाग मूर्द्धा से स्पर्श)
त थ द ध न	दंत्य व्यंजन (जिह्वा की नोक का ऊपरी दांतों से स्पर्श)
प फ ब भ म	ओष्ठ्य व्यंजन (उच्चारण में ओष्ठों द्वारा श्वास का अवरोध)
य र ल व ळ 'व'	दंत्योष्ठ्य व्यंजन (निचला ओष्ठ ऊपरी दांत से स्पर्श)
श ष स ह	न, र, ल - वर्त्स्य, व्यंजन (जिह्वा का ऊपरी मसूढ़ों से स्पर्श)
संयुक्त व्यंजन	क्ष त्र ज्ञ श्र
हल चिन्ह	(ड्)
गृहीत स्वर	ऑं (ॉ) ख़, ज़, फ़
देवनागरी अंक	१ २ ३ ४ ५ ६ ७ ८ ९ ०
भारतीय अंकों का अंतर्राष्ट्रीय स्वरूप	1 2 3 4 5 6 7 8 9 0

भारतीय संविधान के अनुच्छेद 343(1) के अनुसार संघ के राजकीय प्रयोजनों के लिए प्रयुक्त होने वाले अंकों का रूप भारतीय अंकों का अंतर्राष्ट्रीय स्वरूप होगा, परंतु राष्ट्रपति संघ के किसी भी राजकीय प्रयोजनों के लिए भारतीय अंकों के अंतर्राष्ट्रीय स्वरूप के साथ -साथ देवनागरी रूप का प्रयोग भी प्राधिकृत कर सकते हैं.

2. हिन्दी वर्तनी का मानकीकरण

किसी भी भाषा के सीखने-सिखाने में सहायक या बाधक बनने वाले दो प्रमुख तत्व -व्याकरण और लिपि हैं.

वर्तनी संबंधी अद्यतन नियम इस प्रकार हैं-

(1) संयुक्त वर्ण

(क) **खड़ी पाई वाले व्यंजन** - खड़ी पाई वाले व्यंजनों का संयुक्त रूप खड़ी पाई को हटाकर ही बनाया जाना चाहिए यथा:

ख्याति, लग्न, विघ्न व्यास

(ख) अन्य व्यंजन

(अ) 'क' और 'फ' के संयुक्ताक्षर :

संयुक्त, दफ्तर आदि की तरह बनाए जाएँ

(आ) ड, छ, ट, ठ, ड, ढ, द, और ह के संयुक्ताक्षर हल चिन्ह लगाकर ही बनाए जाएँ, लट्टू, बुड्ढा, विद्या यथा: वाङ्मय

(इ) संयुक्त 'र' के प्रचलित तीनों रूप यथावत रहेंगे, यथा: प्रकार, धर्म, राष्ट्र.

(ई) 'श्र' का प्रचलित रूप ही मान्य होगा. इसे 'श' के रूप में नहीं लिखा जाएगा. त+र के संयुक्त रूप के लिए त्र और त्र दोनों रूपों में से किसी एक के प्रयोग की छूट होगी.

(उ) हल चिह्न युक्त वर्ण से बनने वाले संयुक्ताक्षर के द्वितीय व्यंजन के साथ 'इ' की मात्रा का प्रयोग संबन्धित व्यंजन के तत्काल पूर्व ही किया जाएगा, न कि पूरे युग्म से पूर्व, यथा: कुट्टिम, द्वितीय, बुद्धिमान आदि.

(ऊ) संस्कृत में संयुक्ताक्षर पुरानी शैली से भी लिखे जा सकेंगे, उदाहरणार्थ: संयुक्त, चिह्न , विद्या, विद्वान , अङ्क , द्वितीय आदि.

(2) विभक्ति - चिह्न

(क) हिन्दी के विभक्ति- चिह्न सभी प्रकार के संज्ञा शब्दों में प्रतिपादिक से पृथक लिखे जाएँ जैसे- राम ने, राम को, सर्वनाम शब्दों में- उसने, उसको, आदि.

(ख) सर्वनामों के साथ यदि दो विभक्ति- चिह्न हों तो उनमें से पहला मिलाकर और दूसरा पृथक लिखा जाए, जैसे उसके लिए, इसमें से आदि.

(ग) सर्वनाम और विभक्ति के बीच 'ही', 'तक' आदि का निपात हो तो विभक्ति को पृथक लिखा जाए, जैसे - आप ही के लिए, मुझ तक को.

(3) क्रियापद

संयुक्त क्रियाओं में सभी अंगभूत क्रियाएँ पृथक-पृथक लिखी जाएँ, जैसे- पढ़ा करता है, खाया करता है आदि.

(4) हाइफन

हाइफन का विधान स्पष्टता के लिए किया गया है.

(क) द्वंद्व समास में पदों के बीच हाइफन रखा जाए, जैसे राम-लक्ष्मण, चाल-चलन, पढ़ना-लिखना.

(ख) सा, जैसा आदि से पूर्व हाइफन रखा जाए, जैसे तुम-सा, राम-जैसा.

(ग) तत्पुरुष समास में हाइफन का प्रयोग केवल वहीं किया जाए, जहां उसके बिना भ्रम होने की संभावना हो, अन्यथा नहीं, जैसे- भू-तत्व. सामान्यत: तत्पुरुष समासों में हाइफन लगाने की आवश्यकता नहीं है, जैसे - रामराज्य, राजकुमार, गंगाजल आदि.

(घ) कठिन संधियों से बचने के लिए भी हाइफन का प्रयोग किया जा सकता है, जैसे द्वि- अक्षर, द्वि-अर्थक आदि.

(5) अव्यय

'तक', 'साथ' आदि अव्यय सदा पृथक लिखे जाएँ, जैसे-आपके साथ, यहाँ तक.

हिन्दी में ऐ, ही, तो, सो, भी, न, जब, तब, कब, किन्तु, चाहे, या, अथवा, तथा, यथा, और आदि अनेक प्रकार के भावों का बोध कराने वाले अव्यय हैं. कुछ अव्ययों के आगे विभक्ति चिन्ह भी आते हैं, जैसे- अब से, तब से, यहाँ से, आदि. सम्मानार्थक 'श्री' और 'जी' अव्यय भी पृथक लिखे जाएँ, जैसे श्री श्री राम, कन्हैयालाल जी, महात्मा जी आदि.

समस्त पदों के प्रति, मात्र, यथा आदि अव्यय पृथक नहीं लिखे जाएंगे, जैसे - प्रतिदिन, प्रतिशत आदि.

(6) श्रुतिमूलक 'य' 'व'

(क) जहां श्रुतिमूलक य, व का प्रयोग विकल्प से होता है, वहाँ न किया जाए, अर्थात किए-किये, नई-नयी, हुआ- हुवा आदि में पहले (स्वरात्मक) रूपों का ही प्रयोग किया जाए.

(ख) जहां 'य' श्रुतिमूलक व्याकरणीय परिवर्तन न होकर शब्द का ही मूल तत्व हो वहाँ वैकल्पिक श्रुतिमूलक स्वरात्मक परिवर्तन की आवश्यकता नहीं है, जैसे- स्थायी, दायित्व आदि. यहाँ स्थाई, दाइत्व नहीं.

(7) अनुस्वार तथा अनुनासिकता- चिह्न (चन्द्रबिन्दु)

अनुस्वार (.) और अनुनासिकता चिह्न (ँ) दोनों प्रचलित रहेंगे.

(8) विदेशी ध्वनियाँ

(क) अरबी-फारसी या अंग्रेजी मूलक वे शब्द जो हिन्दी के अंग बन चुके हैं जैसे- कलम, किला, दाग आदि (क़लम, क़िला, दाग नहीं) वैसे नुक्ते वाले अक्षर धीरे-धीरे अपना अस्तित्व खोने / बनाए रखने के लिए संघर्षरत हैं.

(ख) अंग्रेजी के जिन शब्दों में अर्धविवृत 'ओ' ध्वनि का प्रयोग होता है, 'आ' की मात्रा (ॉ) के ऊपर अर्धचंद्र का प्रयोग किया जाए (ऑ,).

(ग) हिन्दी में कुछ शब्द ऐसे हैं, जिनके दो-दो रूप बराबर चल रहे हैं. गरदन / गर्दन, गरमी / गर्मी , बरफ़ / बर्फ , कुरसी / कुर्सी आदि.

(9) हल चिह्न

परंतु जिन शब्दों के प्रयोग में हिन्दी में हल चिह्न लुप्त हो चुका है, उनको फिर से लगाने का यत्न न किया जाए. जैसे- 'महान', विद्वान आदि के 'न' में

(10) स्वर परिवर्तन

संस्कृतमूलक तत्सम शब्दों की वर्तनी को ज्यों का त्यों ग्रहण किया जाए. अत: 'ब्रह्मा' को 'ब्रम्हा' 'चिह्न' को 'चिन्ह', 'उऋण' को 'उरिण' में बदलना उचित नहीं होगा.

(11) विसर्ग

संस्कृत के जिन शब्दों में विसर्ग का प्रयोग होता है वे यदि तत्सम रूप में प्रयुक्त हों तो विसर्ग का प्रयोग अवश्य किया जाए, जैसे- 'दु:खानुभूति'.

(12) 'ऐ', 'औ' का प्रयोग

हिन्दी में ऐ (ै), औ (ौ) का प्रयोग दो प्रकार की ध्वनियों को व्यक्त करने के लिए होता है.

(13) पूर्णकालिक प्रत्यय

पूर्वकालिक प्रत्यय 'कर' क्रिया से मिलाकर लिखा जाए, जैसे - मिलाकर, खा-पीकर, रो- रोकर आदि.

(14) अन्य नियम

(क) शिरोरेखा का प्रयोग प्रचलित रहेगा.

(ख) फुलस्टॉप को छोड़कर शेष विराम आदि चिह्न वही ग्रहण कर लिए जाएँ, जो अंग्रेजी में प्रचलित हैं, यथा-(- --, ; ? ! :,) (विसर्ग के चिह्न को ही कोलन का चिह्न मान लिया जाए)

(ग) पूर्ण विराम के लिए खड़ी पाई (।) का प्रयोग किया जाए.

(15) मानक वर्तनी के प्रयोग के उदाहरण

हिन्दी एक विकासशील भाषा है. संघ की राजभाषा घोषित हो जाने के बाद अन्य क्षेत्रीय भाषाओं के संपर्क में यह शनै: शनै: अखिल भारतीय रूप ग्रहण कर रही है.

3. हिन्दी के संख्यावाचक शब्दों की एकरूपता

निदेशालय में 5-6 फरवरी, 1980 को आयोजित भाषा विज्ञानियों की बैठक में एक से सौ तक सभी संख्यावाचक शब्दों पर विचार करने के बाद मानक स्वरूप स्वीकृत हुआ.

रामजीत सिंह

राजभाषा कार्यान्वयन प्रभाग,

केंद्रीय कार्यालय, मुंबई

विश्व की दस प्रमुख भाषाएं

1 चीनी भाषा

(चीनी भाषा):- इस दुनिया में सबसे ज्यादा कौन सी भाषा बोली जाती है? इस प्रश्न का आसानी से आप सभी उत्तर देंगे कि अंग्रेजी. लेकिन यह सही नहीं है. हमारे देश में भले ही अंग्रेजी को अहमियत दी जाती है, लेकिन असल में ये सही नहीं है. अंग्रेजी सबसे ज्यादा नहीं बोली जाती. अंग्रेजी उन्हीं देशों में सबसे ज्यादा बोली जाती है, जो पहले कभी गुलाम रहा है. ज़्यादातर लोगों द्वारा अंग्रेजी नहीं बल्कि मंदारिन भाषा बोली जाती है. ये बहुत प्राचीन भाषा है. यह भाषा बोलने वालों की संख्या के हिसाब से पहले नंबर पर आती है. यह चीन की प्रमुख भाषा है.

2 अंग्रेजी भाषा

अंग्रेजी भाषा ने पूरे विश्व में अपनी पकड़ बना ली है, मूल रूप से यह भाषा अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और ब्रिटेन में बोली जाती है. लेकिन लगभग पूरे विश्व में 508 मिलियन लोग इस भाषा का इस्तेमाल करते हैं. अंग्रेजी विश्व में दूसरे नंबर पर सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा है. अंग्रेजी भाषा हिन्द-यूरोपियन भाषा-परिवार में आती है और इस दृष्टि से हिन्दी, उर्दू, फारसी आदि के साथ इसका दूर का संबंध बनता है. ये इस परिवार की जर्मनिक शाखा में रखी जाती है. इसे दुनिया की सर्वप्रथम अंतर्राष्ट्रीय भाषा माना जाता है. ये दुनिया के कई देशों की मुख्य राजभाषा है और आज के दौर में कई देशों में विज्ञान, कंप्यूटर, साहित्य, राजनीति और उच्च शिक्षा की भी मुख्य भाषा है. अंग्रेजी भाषा रोमन लिपि में लिखी जाती है.

3 स्पेनिश भाषा

स्पेनी भाषा अशिष्ट लैटिन से विकसित हुई है, स्पेनी भाषा हिन्द-यूरोपीय भाषा- परिवार की रोमांस शाखा में आने वाली एक भाषा है. ये दुनिया की सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषाओं में से एक है. लगभग 40 करोड़ लोग एक देशीय भाषा के रूप में स्पेनिश बोलते हैं. ये इन देशों की मुख्य और राजभाषा है- स्पेन, अर्जेन्टीना, चिली, बोलिविया, पनामा, परागुए, पेरु, मेक्सिको, कोस्टा, रीका, एल सैलवाडोर, क्यूबा, उरुग्वे, वेनेजुएला, आदि. दूसरी भाषा के रूप में लगभग 2 करोड़ छात्र स्पेनिश बोलते हैं. स्पेनिश (मंदारिन और अंग्रेजी के बाद), दुनिया की तीसरी सर्वाधिक बोले जानी वाली भाषा है. संयुक्त संघ में स्पेनिश का एक आधिकारिक भाषा के रूप में प्रयोग किया जाता है. अमेरिका-अंग्रेजी के देशी वक्ताओं द्वारा सीखी जाने वाली लोकप्रिय दूसरी भाषा स्पेनिश है. 20वी सदी के अंतिम दशकों में एक विदेशी भाषा के रूप में स्पेनिश के अध्ययन में काफी वृद्धि हुई है. 21वीं सदी के बाद से, यह यकीनन अंग्रेजी के बाद दूसरी सबसे अधिक अध्ययन की जाने वाली भाषा बन गई है.

4 हिन्दी भाषा

यह भाषा दुनिया में सबसे ज्यादा बोली जाने वाली भाषाओं में चौथे स्थान पर आती है. इस भाषा को पूरे विश्व में 80 करोड़ लोग समझ सकते हैं. भारत में लगभग 45 करोड़ लोग हिन्दी भाषा का उपयोग करते हैं. हिन्दी भाषा में अन्य भाषाओं के भी शब्द हैं. जैसे फारसी, अरबी आदि. कुछ शब्द तो बिलकुल वैसे ही प्रयोग में लाये जाते हैं तो कुछ सरलीकृत करके व्यवहार में लाते हैं. पर अब वे अलग प्रतीत ही नहीं होते, इतने घुल-मिल गये हैं. हिन्दी भारत की स्वयं सिद्ध राष्ट्रभाषा है. इसे बोलने वालों का प्रतिशत 65 से भी अधिक है. हमारी हिन्दी भाषा की एक विशेषता यह भी है कि हमारे देश में रहने वाले भारतीय लोग किसी भी प्रांत के रहने वाले हों, उनकी कोई भी मातृभाषा हो, वे हिन्दी समझते हैं और किसी न किसी रूप में व्यवहार में लाते हैं. हर भाषा का एक वैज्ञानिक रूप होता है. हिन्दी को भी उसके भौगोलिक रूपों के आधार पर ब्रज, अवधी, बुन्देली, खड़ी बोली आदि नामों से जाना जाता है. 14 सितंबर, 1949 को संविधान सभा ने एक मत से यह निर्णय लिया कि हिन्दी ही भारत की राजभाषा होगी. इसी महत्वपूर्ण निर्णय के महत्व को प्रतिपादित करने तथा हिन्दी को हर क्षेत्र में प्रसारित करने के लिए राष्ट्रभाषा प्रचार समिति, वर्धा के अनुरोध पर 1953 से पूरे भारत में 14 सितंबर को प्रतिवर्ष हिन्दी-दिवस के रूप में मनाया जाता है.

5 रूसी भाषा

रूसी पूर्वी स्लाविक भाषाओं में सर्वाधिक प्रचलित भाषा है. रूसी यूरोप की एक प्रमुख भाषा तो है ही, विश्व की प्रमुख भाषाओं में भी इसका विशेष स्थान है, हालांकि भौगोलिक दृष्टि से रूसी बोलने वालों की अधिकतर संख्या यूरोप की बजाय एशिया में निवास करती है. रूसी भाषा रूसी संघ

की आधिकारिक भाषा है. रूसी भूतपूर्व सोवियत संघ के सभी 15 सोवियत समाजवादी जनतंत्रों की राजकीय भाषा थी. सन 1991 में सोवियत संघ के विघटन के बाद भी इन सभी आधुनिक स्वतंत्र देशों में अपनी-अपनी राष्ट्रीय भाषाओं के साथ-साथ परस्पर आपसी व्यवहार के लिए संपर्क भाषा के रूप में रूसी भाषा का प्रयोग किया जाता है. इन 15 देशों में रहने वाले निवासियों में से भी अधिकांश की मातृभाषा रूसी ही है. रूसी भाषा संयुक्त राष्ट्र संघ की 5 भाषाओं में से एक है. वैसे रूस क्षेत्रफल की दृष्टि से भी सबसे बड़ा देश है, रूस की जनसंख्या 14.3 करोड़ है. लेकिन रशियन भाषा बोलने वाले लोगों की संख्या 20 करोड़ से ज्यादा है. रशिया की इस भाषा को पोलैंड, चेकोस्लोवाकिया, बेलारूस, कजाकिस्तान में भी बोला जाता है.

6 अरेबिक भाषा

अरबी भाषा, सामी भाषा परिवार की एक भाषा है. ये हिन्द यूरोपीय परिवार की भाषाओं से मुख्तलिफ़ है, यहाँ तक कि फारसी से भी. ये इब्रानी भाषा से संबन्धित है. अरबी इस्लाम धर्म की धर्मभाषा है, जिसमें कुरान-ए-शरीफ़ लिखी गयी है. अरबी भाषा को अरबी लिपि में लिखा जाता है. ये दायें से बाएँ लिखी जाती है. इसकी ध्वनियां उर्दू की ध्वनियों से अलग हैं. हर स्वर या व्यंजन के लिए (जो अरबी भाषा में प्रयुक्त होता है). अपने प्रसार के कारण रोमन लिपि के पश्चात अरबी लिपि का ही स्थान है. यह भाषा की सूची में छठे स्थान पर आती है. यह भाषा सऊदी अरब, कुवैत, यूएई, यमन, बहरीन, सीरिया, जार्डन, लेबनान, इराक और इजिप्ट में बोली जाती है. इस भाषा को बोलने वाले लोगों की संख्या 246 मिलियन है.

7 बंगाली भाषा

बंगाली भाषा एक हिन्द-आरी भाषा है. यह भारत और बांग्लादेश की आधिकारिक भाषा है. बांग्लादेश और भारत के पश्चिम बंगाल और उत्तर-पूर्वी भारत की त्रिपुरा तथा असम राज्यों के कुछ प्रान्तों में बोली जाने वाली एक प्रमुख भाषा है. भाषाई परिवार की दृष्टि से यह हिन्द यूरोपीय भाषा परिवार का सदस्य है. बंगाली बोलने वालों की संख्या लगभग 23 करोड़ है. आप यह बात सुनकर चौंक गए होंगे लेकिन बंगाली सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि दुनियाभर के कई देशों में बोली जाती है. बंगाली ब्रिटेन, यूरोपियन गणराज्य में भी बोली जाती है. इस भाषा को बोलने वाले लोगों की संख्या 211 मिलियन है और इस सूची में यह भाषा सातवें स्थान पर आती है.

8 पुर्तगाली भाषा

एक यूरोपीयन भाषा है. ये मूल रूप से पुर्तगाल की भाषा है और इसके कई भूतपूर्व उपनिवेशों में भी बहुमत भाषा है, जैसे ब्राज़ील. ये हिन्द- यूरोपीय भाषा-परिवार की रोमांस शाखा में आती है. इसकी लिपि रोमन है इस भाषा के प्रथम भाषी लगभग 20 करोड़ हैं. पुर्तगाली या (पोर्तगाली) नवलातीनी परिवार की भाषा है. जैसा कि नाम से ही विदित होता है यह भाषा पुर्तगाल में सर्वाधिक तौर पर बोली जाती है. इस भाषा को पूरे विश्व में 19 करोड़ लोग बोलते हैं. पुर्तगाल के अलावा यह भाषा ब्राज़ील, अंगोला, वेनेजुएला, मोज़ाम्बिक आदि देशों में बोली जाती है. इस सूची में इस भाषा का आंठवा स्थान है.

9 मलय इंडोनेशियन भाषा

मलय-ब्रुनेई और मलेशिया की आधिकारिक भाषा है, जबकि सिंगापुर में इसे एक आधिकारिक भाषा का दर्जा मिला हुआ है. इंडोनेशिया की राष्ट्रीय भाषा इन्डोनेशियाई जिसे औपचारिक रूप से बहासा इन्डोनेशिया कहा जाता है सिंगापुर, ब्रुनेई और दक्षिणी थाईलैंड में बहासा मेलायु (मलय भाषा) ही कहा जाता है. भारत के दक्षिण पूर्व में स्थित आसियान देशों में मलय भाषा सबसे ज्यादा बोली जाती है. यह भाषा प्रमुख तौर पर मलेशिया, सिंगापुर, इन्डोनेशिया, ब्रुनेई में बोली जाती है.

10 फ्रेंच भाषा

फ्रांसीसी भाषा एक रोमांस भाषा है जो विश्वभर में लगभग 9 करोड़ लोगों द्वारा प्रथम भाषा के रूप में बोली जाती है. मूल रूप से इस भाषा को बोलने वाले अधिकांश लोग फ्रांस में रहते हैं, जहां इस भाषा का जन्म हुआ था. इस भाषा को बोलने वाले अन्य क्षेत्र हैं- अधिकांश कनाडा, बेल्जियम, स्विटजरलैंड, अफ्रीकी फ्रेकोफोन, लक्ज़मबर्ग और मोनाको. भाषा पूरे विश्व में कई लोगों द्वारा बोली जाती है और इसका स्थान इस सूची में दसवां है. 20 वीं शताब्दी के प्रारम्भ में अँग्रेजी के अधिरोहण से पहले, फ्रांसीसी यूरोपियन और औपनिवेशिक शक्तियों के बीच कूटनीति और संवाद की प्रमुख भाषा थी और साथ ही साथ यूरोप के शिक्षित वर्ग की बोलचाल की भाषा भी थी.

अनिता मीना
क्षे. का., महेसाणा

देश को देश से जोड़ने में हिन्दी की भूमिका

भारत, दक्षिण एशिया में स्थित भारतीय उपमहाद्वीप का सबसे बड़ा देश है. भारत की मुख्य विशेषता यह है कि यहाँ विभिन्नता में एकता है. भारत में विभिन्नता का स्वरूप न केवल भौगोलिक है, बल्कि भाषायी तथा संस्कृतिक भी है. भाषाओं के मामले में भारतवर्ष विश्व के समृद्धतम देशों में से एक है. भारत में द्विभाषिकता एवं बहुभाषिकता का प्रचलन है. हिन्दी भारत के उत्तरी हिस्सों में सबसे व्यापक बोली जाने वाली भाषा है. जब भाषा की बात आती है तब स्वाभाविक तौर पर उससे जुड़ी हर बात भावुकता से जुड़ जाती है. भारतीय सभ्यता में भाषा को माता का स्वरूप माना जाता है.

भाषा वह साधन है जिसके माध्यम से प्रत्येक प्राणी अपने विचार दूसरों को अभिव्यक्त करता है. यह ऐसी दैवी शक्ति है, जो मनुष्य को मानवता प्रदान करती है और उसका सम्मान तथा यश बढ़ाती है. किन्तु, इस भाषा में स्खलन या विकृति आने पर मनुष्य निंदा और अपयश का भी भागी बनता है. यही नहीं, अवांछनीय भाषा उसके पतन का भी कारण बन सकती है. अतः वाणी या भाषा का प्रयोग बहुत सोच - विचार कर करना चाहिए. इसीलिए राजकीय कार्य में पूर्ण सोच - विचार के बाद उपयुक्त भाषा का प्रयोग करने की परंपरा रही है.

राज्य या प्रशासन की भाषा को राजभाषा कहते हैं. इसके माध्यम से सभी प्रशासनिक कार्य सम्पन्न किए जाते हैं. यूनेस्को के विशेषज्ञों के अनुसार 'उस भाषा को राजभाषा कहते हैं, जो सरकारी कामकाज के लिए स्वीकार की गई हो और जो शासन तथा जनता के बीच आपसी संपर्क के काम आती हो'. जबसे प्रशासन की परंपरा प्रचलित हुई है, तभी से राजभाषा का प्रयोग किया जा रहा है.

प्राचीन काल के भारत में संस्कृत, प्राकृत, पाली, अपभ्रंश आदि भाषाओं का राजभाषा के रूप में प्रयोग होता था. राजपूत काल में तत्कालीन भाषा हिन्दी का प्रयोग राजकाज काल में किया जाता था. किन्तु भारतवर्ष में मुसलमानों का आधिपत्य स्थापित हो जाने के बाद धीरे-धीरे हिन्दी का स्थान फ़ारसी और अरबी भाषाओं ने ले लिया. इस बीच में राजपूत नरेशों के राज्य क्षेत्र में हिन्दी का प्रयोग चलता रहा. मराठों के राजकाज में भी हिन्दी का प्रयोग किया जाता था. किन्तु केंद्रीय शक्ति मुसलमान शासकों के हाथ में चले जाने के कारण उसे वह अवसर प्राप्त नहीं हुआ, जिससे सभी क्षेत्रों में उसकी क्षमता एवं सामर्थ्य का पूर्ण विकास हो पाता.

अंग्रेज़ो ने अपने शासन काल में तत्कालीन प्रचलित राजभाषा फारसी को ही प्रश्रय दिया. परिणाम स्वरूप भारत के आजाद होने के कुछ समय बाद तक फ़ारसी भी भारत के अधिकांश भागों में कचहरियों की भाषा बनी रही. इस बीच 1855 में लॉर्ड मैकाले ने अंग्रेजी को भारत की शिक्षा और प्रशासन की भाषा के रूप में स्थापित कर दिया था. धीरे-धीरे वह न केवल भारतीय प्रशासन की भाषा बन गई, बल्कि शिक्षा, वाणिज्य, व्यापार, उद्योग धंधों की भाषा के रूप में भी प्रतिष्ठित हो गई. इतना ही नहीं वह भारत के शिक्षित वर्ग के व्यवहार की भी भाषा बन गई. तथापि, अंग्रेजी शासक यह महसूस करते रहे कि भारत की भाषाओं को बहुत दिनों तक दबाया नहीं जा सकता, अतः उन्होंने हिन्दी भाषी प्रदेशों में हिन्दी को और अन्य प्रदेशों में, वहां की भाषाओं को प्राथमिक और माध्यमिक कक्षाओं में शिक्षा का माध्यम बनाया. इस श्रीगणेश का शुभ परिणाम यह हुआ कि हिन्दी और भारतीय भाषाएँ विकसित होने लगीं और वे उच्च शिक्षा का माध्यम बनीं. इतना ही नहीं स्वतन्त्रता संग्राम के साथ-साथ हमारे राष्ट्रीय नेताओं ने भारतीय भाषाओं और विशेषकर हिन्दी को राष्ट्रभाषा और संपर्क भाषा के रूप में प्रचलित करने का प्रयास प्रारंभ किया. इस राष्ट्रीय जागरण के परिणाम स्वरूप हिन्दी का उत्तरोत्तर प्रसार होने लगा और यह मत व्यक्त किया जाने लगा कि देश के अधिकांश लोगों द्वारा बोली जाने के कारण हिन्दी को ही भारत की राष्ट्रभाषा बनाया जाना चाहिए. देश के कोने-कोने से अनेक अहिंदी भाषी राष्ट्रीय नेताओं ने भी इसी प्रकार के विचार व्यक्त किए.

महात्मा गांधी का विचार था कि भारतीय भाषाओं में से केवल हिन्दी ही एक ऐसी भाषा है, जिसमें राजभाषा के सभी गुण मौजूद हैं. महात्मा गांधी तथा अन्य नेताओं के उद्गारों का परिणाम यह हुआ कि जब भारतीय संविधान सभा में संघ सरकार की राजभाषा निश्चित करने का प्रश्न आया तो विविध विचार-मंथन के बाद 14 सितंबर, 1949 को हिन्दी को भारत संघ सरकार की राजभाषा घोषित किया गया. भारत का संविधान 26 जनवरी, 1950 को लागू हुआ और तभी से देवनागरी लिपि में लिखित हिन्दी भारत संघ की विधिवत राजभाषा है.

किसी भी स्वाधीन देश के लिए, जो महत्व उसके राष्ट्रीय ध्वज और राष्ट्रगान का है, वही उसकी राजभाषा का है. प्रजातांत्रिक देश में जनता और सरकार के बीच भाषा की दीवार नहीं होनी चाहिए और शासन का काम जनता की भाषा में किया जाना चाहिए. जब तक विदेशी भाषा में शासन होता रहेगा, तब तक कोई देश सही अर्थों में स्वतंत्र नहीं कहा जा सकता. प्रत्येक व्यक्ति अपनी भाषा में ही स्पष्टता और सरलता से अपने विचारों को अभिव्यक्त कर सकता है.

राजभाषा देश के भिन्न-भिन्न भागों को एक सूत्र में पिरोने का कार्य करती है. इसके माध्यम से जनता न केवल अपने देश की नीतियों और प्रशासन को भली-भांति समझ सकती है, बल्कि उसमें स्वयं भी भाग ले सकती है. विश्व के सभी स्वतंत्र देश और नवोदित राष्ट्रों ने इस तथ्य को स्वीकार किया है कि उनके उत्थान, उनकी अपनी भाषाओं के माध्यम से ही सम्भव है. रूस, जापान, जर्मनी आदि सभी राष्ट्र इसके प्रमाण हैं. भारतीय संविधान सभा इस तथ्य से पूर्णतया परिचित थी. इसलिए राष्ट्रीय नेताओं ने देश के बहुसंख्य वर्ग द्वारा बोली जाने वाली और देश के अधिकांश भाग में समझी जाने वाली भाषा हिन्दी को ही भारत संघ की राजभाषा बनाया.

हिन्दी को संघ की राजभाषा 1950 में ही घोषित कर दिया गया था, किन्तु केंद्र सरकारी कामों में हिन्दी को अंग्रेजी का स्थान देने के लिए गंभीर प्रयास केंद्र सरकार द्वारा 1960 और विशेषकर राजभाषा अधिनियम, 1963 के पास होने के बाद से प्रारम्भ किये गये. उस समय यह अनुभव किया गया कि हिन्दी के माध्यम से प्रशासन का कार्य चलाने के लिए कुछ प्रारंभिक तैयारियों की आवश्यकता पड़ेगी, जैसे :-

1. प्रशासनिक, वैज्ञानिक, तकनीकी एवं विधि शब्दावली का निर्माण.
2. प्रशासनिक एवं विधि साहित्य का हिन्दी में अनुवाद.
3. अहिंदी भाषी सरकारी कर्मचारियों का हिन्दी प्रशिक्षण.
4. हिन्दी टाइपराइटरों एवं अन्य यांत्रिक साधनों की व्यवस्था आदि.

राजभाषा संशोधन अधिनियम पारित करने के साथ-साथ दिसंबर, 1967 में संसद के दोनों सदनों ने सरकार की भाषा नीति के संबंध में एक सरकारी संकल्प भी पारित किया था.

तदुपरांत भारत सरकार के प्रयासों तथा हिंदी के बढ़ते प्रयोग से ज्ञात होता है कि राजभाषा के रूप में हिन्दी के विकास, प्रचार और प्रयोग में पर्याप्त वृद्धि हुई है, किन्तु अभी भी हम वांछित लक्ष्य तक नहीं पहुँच सके हैं. इसका कारण यह है कि जो सरकारी कर्मचारी हिन्दी जानते हैं, वे भी द्विभाषिक रूप में कार्य करने की छूट की वजह से हिन्दी के बजाय अंग्रेजी में काम करना पसंद करते हैं, क्योंकि एक तो वे पहले से अंग्रेजी में काम करने के अभ्यस्त रहे हैं, दूसरे अपनी गुलामी की मानसिकता की वजह से हिन्दी में काम करने में वे कुछ हीनता अथवा संकोच का अनुभव करते हैं. यही बात इस समय सरकारी कार्यालयों में हिन्दी का प्रयोग बढ़ाने के मार्ग में बहुत बड़ी बाधा है. इसके अतिरिक्त अंग्रेजी का प्रयोग करने के लिए अभी जितने यांत्रिक साधन और सुविधाएं उपलब्ध हैं, वे हिन्दी में सुलभ नहीं हैं. इससे विभिन्न क्षेत्रों में हिन्दी का प्रयोग अपेक्षित रूप में नहीं हो पा रहा है. अत: विभिन्न प्रकार के टाइपराइटरों, कम्प्यूटरों आदि की अपेक्षित सुविधाएं, हिन्दी में सुलभ कराने के लिए पर्याप्त प्रयास किए जाने की आवश्यकता है. हिन्दी भाषी राज्य सरकारें भी, जहां अधिकांश कर्मचारी हिन्दी जानते हैं, अभी तक संपूर्ण कार्य हिन्दी में नहीं कर पा रही हैं. इससे अन्य राज्यों में हिन्दी का प्रयोग करने पर बहुत प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है.

राजभाषा अधिनियम एवं राजभाषा नियम के अनुसार अनेक कागजातों एवं प्रकाशनों को द्विभाषिक रूप में अथवा केवल हिन्दी में जारी करना अनिवार्य है. किन्तु सरकारी प्रेस की हिन्दी की मुद्रण-क्षमता अभी भी संतोषजनक नहीं है. यह भी देखा गया है कि राजभाषा नीति के कार्यान्वयन के लिए अभी तक मंत्रालयों, विभागों, कार्यालयों आदि में समुचित हिन्दी स्टाफ की व्यवस्था नहीं हो पाई है. हिन्दी का प्रयोग बढ़ाने के मार्ग में सबसे बड़ी बाधा उपयुक्त वातावरण न होने की है. प्राय: सभी यही सोचते हैं कि उनके बजाय किसी और को हिन्दी में काम करना है. फिर भी, विविध प्रयासों के परिणाम स्वरूप हिन्दी का प्रयोग दिन-प्रतिदिन बढ़ रहा है. भारत सरकार के सभी मंत्रालयों, विभागों, कार्यालयों, उपक्रमों आदि में वार्षिक कार्यक्रमों को पूरा कराने का पूरा प्रयास किया जा रहा है. हिन्दी में सर्वाधिक काम करने वाले मंत्रालयों व विभागों को शील्ड देने की व्यवस्था की गई है. इसके अतिरिक्त हिन्दी में पर्याप्त काम करने वालों को आर्थिक प्रोत्साहन प्रदान किया जा रहा है. राजभाषा विभाग अपने विभिन्न प्रकाशनों के माध्यम से राजभाषा नीति, राजभाषा अधिनियम तथा राजभाषा नियमों की जानकारी देने का पूरा प्रयास कर रहा है. विभिन्न मंत्रालयों की समितियां तथा राजभाषा कार्यान्वयन समितियां हिन्दी का प्रयोग बढ़ाने के लिए आवश्यक कदम उठा रही हैं. हिन्दी कार्यशालाओं के आयोजन से भी कर्मचारियों की झिझक दूर करके उन्हें हिन्दी में काम करने का प्रोत्साहन दिया जा रहा है. तात्पर्य यह है कि हिन्दी में काम करने का वातावरण बनाने के लिए हर संभव उपाय किए जा रहे हैं. यद्यपि मंजिल कुछ दूर अवश्य है, किन्तु सभी के सशक्त सहयोग और संतुलित कदमों से हम मंजिल की तरफ बढ़ रहे हैं.

कुमुद ढाकने
क्षे. का., नासिक

हिन्दी भाषा के विकास में बाधाएं

देखते-देखते सन 2018 का हिन्दी दिवस हम मना चुके. इस बार भी 14 सितम्बर, 1949 को याद करते हुए, हिन्दी दिवस का आयोजन कर 69 वीं बार इस परिपाटी को निभा चुके. हिन्दी अपने भाग्य भरोसे, जो इस जन और गण के मन की भाषा है, अपने 70 वें साल में प्रवेश कर चुकी है. वर्तमान समय दिवस मनाने का नहीं वरन मूल्यांकन करने का है. कर्तव्य निभाने का नहीं अपितु अधिकार को पहचानने का है.

'नौ दिन चले अढ़ाई कोस' मुहावरे को चरितार्थ करते हुए वर्तमान में हिन्दी - हिन्दी दिवस को मनाते हुए, हिन्दी सप्ताह से होते हुए, हिन्दी पखवाड़ा और हिन्दी माह तक आ पहुँची. इसकी इस मंथर चाल की पृष्ठभूमि तो हमारे संविधान सभा के सदस्यों ने 14 सितम्बर, 1949 को ही तय कर दी थी, जब एक ओर अनुच्छेद - 343 के खंड - 1 में यह कहा गया कि देवनागरी लिपि में हिन्दी संघ की राजभाषा होगी तो दूसरी ओर उसी अनुच्छेद के पैर में दो - दो बेड़ियाँ खंड - 2 और खंड - 3 के रूप में पहना दी गई.

अनुच्छेद - 343 खंड - 2 में यह कहा गया कि 'अंग्रेजी को संविधान आरंभ होने की तिथि से 15 वर्षों तक जारी रखा जाये' अर्थात यह मान लिया गया कि राष्ट्र अपनी भाषा (हिन्दी) के सहारे स्वयं चलने में असमर्थ है और उसे बैसाखी की आवश्यकता है. उसके बाद अनुच्छेद-343 खंड-3 में यह कहा गया कि 'संसद को 15 वर्ष की अवधि समाप्त होने के उपरांत भी अंग्रेजी को जारी रखने हेतु कानून बनाने का अधिकार है' अर्थात राष्ट्रवाणी को एक स्वयं का पैर हिन्दी और दूजा कृत्रिम पैर अंग्रेजी के सहारे घसीट कर चलने को बाध्य कर दिया गया. उसे राज की भाषा तो बनाया गया परंतु काज की भाषा बनाने में चूक हो गई. 'मनसा वाचा कर्मणा' का अभाव हो गया. यह एक ऐतिहासिक विडम्बना है कि गांधी जी के भारत की आत्मा जहाँ रहती है, वह जो भाषा बोलती व समझती है उस भाषा में हमारा संविधान तैयार नहीं हो सका बल्कि उसी गुलामी की भाषा में विश्व के सबसे बड़े गणराज्य ने संविधान को अंगीकृत कर अधिनियमित किया.

इस प्रकार हस्तिनापुर की पासे की चाल ने असली अधिकारिणी को सत्तासीन होने में पुन: बाधा उत्पन्न कर दी. अनुच्छेद 343 तो मानो भीष्म प्रतिज्ञा की भांति दुविधा में खड़ा है, जहाँ खंड 1 यदि राज बहू की तरह खड़ा है तो खंड 2 व 3 दु:शासन के रूप में उसका चीरहरण कर रहे हैं. दुर्भाग्य है कि कलयुग में कृष्ण आएंगे नहीं, चाहे प्रेम दीवानी मीरा को जहर का घूंट ही क्यों न पीना पड़े.

संविधान में राजभाषा की कोई परिभाषा नहीं, परंतु हिन्दी को राजभाषा बनाते समय हमारे संविधान निर्माताओं ने इसके स्वाभाविक गुणों पर गंभीरता से विचार तो किया होगा. हिन्दी को राजभाषा इसलिए बनाया गया था कि वह देश के अधिकांश क्षेत्रों में अधिकतम लोगों द्वारा बोली और समझी जाती है तथा संपर्क भाषा की दृष्टि से यह सबसे उपयुक्त है. बावजूद इसके 52 वर्णमालाओं से सज्जित हिन्दी का उससे आधी औकात वाली अर्थात 26 वर्णमालाओं वाली अँग्रेजी ने अपहरण कर उसे दासी बना लिया. हम स्वतंत्र हुए, गणतन्त्र हुए पर मैकाले के विचारों से ओतप्रोत संवैधानिक हुक्म आया: -

नया निजाम, नयी बंदिशें, ऐलान नया

हम फ़क़त लश्कर-ए-शाही के ही माफिक सोचे

साहिबे वक्त ने यह हुक्म किया है जारी

अपने नस्लों से कहो, मेरे मुताबिक सोचे!

संसद जिसे प्रजातन्त्र का मंदिर कहा जाता है, आज भी हिन्दी रूपी जन-जन की आदरणीय प्रतिमा की प्राण प्रतिष्ठा उसके गर्भ गृह में नहीं हो पाई है. गंगा की अविरल धारा की निर्मलता हेतु यह नितांत आवश्यक है कि गंगोत्री को शुद्ध करने की पहल हो. हमें हिन्दी में, अपनी भाषा में न्याय के मंदिर से न्याय नहीं मिलता. यह भाषाई अन्याय है. हमें शिक्षा के आलय में हिन्दी शोषित रूप में कराहती हुई महसूस होती है, यह भाषाई अन्याय है.

अंग्रेजी आज हर तरफ भोजन की तरह परोसी जा रही है, जबकि यह जरूरत पड़ने पर दवा के रूप में होनी चाहिए थी. हिन्दी स्वयं एक स्वस्थ भाषा रूपी शरीर है, उसे बलात दवा पीने को मजबूर करते आने से आज उसके दुष्परिणामों को साफ-साफ देखा जा सकता है. भारत और इंडिया के संघर्ष में माँ भारती स्वंतत्र तो हुई पर गूंगी होकर और 'मैकाले का इंडिया' विजयी हो गया. क्योंकि मैकाले ने एक बीज रोप कर यह स्वप्न देखा था कि - ''हमें एक ऐसे भारतीयों का वर्ग तैयार करना है जो रक्त और रंग से भले ही भारतीय हो पर अपनी

रुचि, सम्मति और बुद्धि से अंग्रेज़ हो. उस बीजारोपण का परिणाम यह है कि आजकल लोग अपने राजदुलारे को प्याले में और चंदा मामा को थाली में एक साथ गुड़ के पुए खिलाने में विश्वास नहीं रखते बल्कि गगनचुंबी इमारतों की बालकनी से अपने स्वीट हार्ट को 'ट्विंकल - ट्विंकल लिटल स्टार' की चकाचौंध से अपनी संस्कृति से दूर करते जा रहे हैं. अब यहाँ 'कान्हा माखन नहीं चुराता' बल्कि 'जॉनी-जॉनी चीनी चुराता' है. वह कान्हा जो दो पिता और दो माताओं के वात्सल्य के साथ पला - बढ़ा. उसे चुनौती देने हेतु जॉनी को खड़ा कर एक कुत्सित प्रयास किया जा रहा है, जिसके माता और पिता के बारे में आज भी हम अंजान हैं, जो हमारे सामाजिक विन्यास के विपरीत है. पर दुर्भाग्य से आज ऐसी ही हंग्रेजी और हिंगलिश की लंबी फौज जयचंद के रूप में मौजूद है जो 'गाय हमारी माता' की जगह 'बाबा बाबा ब्लैक' और राम - श्याम के जगह 'हम्टी - डम्टी' को बढ़ावा दे रही है. जिसे गंगा का आचमन करने में शर्म और टेम्स के वॉटर से प्यास बुझाने में खोखला गर्व महसूस होता है. उसे अंग्रेजी में तुतलाने में अच्छा लगता है और अपनी अंतरात्मा की आवाज में गंवारूपन लगता है. याद रहे अपनी आत्मा की आवाज को दबाना यानि अपने विचारों का गर्भपात करना है. गर्भपात की यही बारंबार पुनरावृति हिन्दी की नई फसल को पनपने देने में बाधक है.

अंग्रेजी आज कक्षा की भाषा हो गई है जबकि इसे पुस्तकालय की भाषा होनी चाहिए थी. वह पूरक होनी चाहिए थी, सहयोगिनी होनी चाहिए थी परंतु वह माध्यम बन बैठी है. आज नवयुवकों के बीच हिन्दी केवल अनुवाद की भाषा बन कर रह गई. अनुवाद कुछ दूर तक ही भाषा के विकास में सहायक हो सकता है जबकि भाषा को अपना विकास करने के लिए अपनी मौलिकता पर चलना होगा. आज अंग्रेजी रूपी इस तेजाब ने हिन्दी की असंख्य कलिकाओं को विकसित होने के पहले ही जला दिया है. इस मोड़ पर हम इसलिए खड़े हैं क्योंकि -

माना गया, अंग्रेजी ही हमारी साधक है।
बस यही मानसिकता ही हमारी बाधक है।।

विवेक कुमार
नोडल क्षे. का., पटना

मैं एक कहानी कह दूँ

मुझे लगता है कि मैं एक कहानी कह दूँ
इसे शब्दों की नहीं, रंगों की जुबानी कह दूँ

नैन मूँद बैठती हूँ सोचने जब मैं
सब रंगों में लिपट नृत्य करें चहुं ओर मेरे
किस शब्द को पकड़ूँ, किस रंग को छोड़ूं
यही है कशमकश मन में मेरे

जब नींद में होती हूँ तो ये ख्वाब सुहाने आते
रंग चहुं ओर हवाओं में बिखर-बिखर जाते
चूमकर मुझको जो ये रंगीन हवाएँ गुजरती हैं
जैसे सावन की हरी वादियाँ सहलाती मुझको
मेरा मन नाचने यूं लगता है
नाचे जो मयूरा हो मस्त उपवन में
कैसे ये रंग समेटूँ, कहाँ बिखेरूं इन्हें
ये तो जीवन है मेरे, छोड़ कहाँ जाऊँ इन्हें
या समेटूं इन्हें किसी सुंदर रंगीन कहानी में
या तो बिखेर दूँ किसी के सूने जीवन में इन्हें

मुझे लगता है कि मैं एक कहानी कह दूँ
इसे शब्दों की नहीं रंगों की जुबानी कह दूँ

सुकेशिनी गुप्ता
पत्नी/रवि कुमार गुप्ता

हिन्दी भाषा के विकास में बाधाएं

एक भाषा के रूप में हिन्दी न सिर्फ हमारे देश भारत की पहचान है बल्कि ये हमारे जीवन मूल्यों, संस्कृति एवं संस्कारों की सच्ची संवाहक, संप्रेषक और परिचायक भी है. बहुत सरल, सहज, सुगम भाषा होने के साथ हिन्दी विश्व की संभवत: सबसे वैज्ञानिक भाषा है, जिसे दुनिया भर में समझने, बोलने और चाहने वाले लोग बहुत बड़ी संख्या में मौजूद हैं. यह विश्व में तीसरी सबसे ज्यादा बोली जाने वाली भाषा है, जो हमारे पारंपरिक ज्ञान, प्राचीन सभ्यता और आधुनिक प्रगति के बीच एक सेतु भी है. हिन्दी भारत संघ की राजभाषा होने के साथ ही ग्यारह राज्यों और तीन संघशासित क्षेत्रों की भी प्रमुख राजभाषा है. संविधान की आठवीं अनुसूची में शामिल अन्य इक्कीस भाषाओं के साथ हिन्दी का एक विशेष स्थान है. हिन्दी ही एकमात्र ऐसी भाषा है जो राष्ट्रभाषा बनने के सबसे अधिक योग्य है. इसी कारण से संविधान निर्माताओं ने यह घोषित किया कि ''देश की भाषा राजभाषा हिन्दी और लिपि देवनागरी होगी''. ''हिन्दी भाषा हमारे देश की आत्मा है, इसमें भारतीय साहित्य तथा संस्कृति के स्वर निहित हैं. राष्ट्रभाषा के रूप में हिन्दी का समर्थन हिन्दी भाषी लोग तथा अहिंदी भाषी विद्वानों ने किया किन्तु ऐसे लोगों की कमी भी हमारे देश में नहीं है, जो हिन्दी का विरोध करते हैं तथा अंग्रेजी की वकालत करते हैं. अंग्रेजी हमारे देश की सहयोगी भाषा बन सकती है न कि राष्ट्रभाषा. अंग्रेजी सीखना कोई बुरी बात नहीं है किन्तु अंग्रेजी मानसिकता का गुलाम बनकर भारतीय संस्कृति को भुला देना, किसी भी कीमत पर ठीक नहीं है.

अंग्रेजी एक अंतर्राष्ट्रीय भाषा है, इसे सीखना आवश्यक है लेकिन अंग्रेजी सीखने का मतलब अंग्रेज़ बनना नहीं है. यहां पर उड़िया कवि प्रद्युम्न दास की कविता का कटाक्ष देखने और समझने लायक है :-

कौन कहता है अंग्रेज़ चले गए, वो तो गली-गली में रम गए हैं, बस गए हैं. अंतर केवल इतना है, पहले ससुर थे, अब साले हो गए हैं, पहले गोरे थे, अब काले हो गए हैं.

स्वतंत्रता के बाद हिन्दी भाषा को खुली हवा में सांस लेने का अवसर तो मिला किन्तु विचारणीय प्रश्न यह है कि स्वतंत्रता के बाद इतने वर्षों में हिन्दी को वह स्थान नहीं मिला जो मिलना चाहिए. कहने को तो हिन्दी राष्ट्रभाषा है किन्तु अंग्रेजी तथा अंग्रेजी माध्यम से पढ़े लोगों का बोल बाला है. इसके लिए निम्नलिखित कारण उत्तरदायी हैं:-

- हिन्दी भाषियों का यह सोचना कि हिन्दी का वर्चस्व होने पर प्रतियोगी परीक्षाओं में हिंदीभाषी लोग कम और अंग्रेजी भाषी ज्यादा सफल होंगे.
- वोटों की राजनीति के कारण भी हिन्दी भाषा की उपेक्षा की जाती है.
- विषैले एवं दोमुहे नेताओं के कारण हिन्दी भाषा की प्रगति में बाधाएँ आई हैं, एक तरफ उत्तर भारत में नेता कहते हैं कि राष्ट्रभाषा हिन्दी ही हो सकती है और यही नेता दक्षिण भारत में कहते हैं कि हिन्दी किसी पर थोपी नहीं जाएगी.

आज हिन्दी के सामने कई चुनौतिया हैं. देश के युवाओं और दुनिया के अध्येताओं को अपनी तरफ आकर्षित करने की क्षमता विकसित करनी होगी. आज भी अंग्रेजी उच्च शिक्षा का माध्यम बनी हुई है. इसके कारण क्षेत्रीय विश्वविद्यालयों और छात्रों के साथ दोयम दर्जे का बर्ताव देखने को मिलता है. आज भी हम अंग्रेजी के वर्चस्व तले दबे हुए हैं, दुनिया के अधिकांश देशों ने अपनी भाषाओं में ही अपना विकास किया है. यूरोप, जापान, रूस, जर्मनी, स्पेन, फ्रांस ये सभी देश अपनी भाषाओं के दम पर विकसित हुए हैं.

हिन्दी के बहुत से हितैषी, 'हिन्दी दिवस' को खानापूर्ति से अधिक नहीं मानते हैं. यह एक रस्म अदायगी सी हो गई है. एक दिन हिन्दी की आरती उतारने के नाम पर कुछ वाद-विवाद और लेख-प्रतियोगिता, भाषा-प्रवचन और हिन्दी के किसी विद्वान की पूजा अर्चना का आयोजन कुछ क्षण की खुशी तो ला देता है पर हिन्दी की अपनी चाल-ढाल में कोई परिवर्तन नहीं आता है. जब संविधान की व्यवस्था हिन्दी के बारे में स्पष्ट है कि वही हमारी अपनी राजभाषा है और अंग्रेजी सहभाषा है. पर सच्चाई, है कि हम अंग्रेजी के वर्चस्व को मानते हैं.

एक सवाल उठता है कि हिन्दी किसके लिए है? हिन्दी की बात करना क्या हिन्दी के लिए ही है? जब तक हम हिन्दी को महज़ एक भाषा मानेंगे, तब तक वह वहीं रहेगी, जहां इस समय हम हैं. पर हमें कुछ वास्तविकताओं को नज़रअंदाज़ नहीं करना चाहिए जो कई सामाजिक, आर्थिक तथ्यों की ओर संकेत करती हैं. हिन्दी की शक्ति और सामर्थ्य को समझने और समझाने के लिए यथार्थ के परिदृश्य पर नज़र डालनी ही होगी.

मातृभाषा देश की धरोहर होती है, जिस तरह हम तिरंगे को सम्मान देते हैं, उसी तरह हमारी भाषा भी सम्मानीय है. जब तक हम स्वयं इस बात को स्वीकार नहीं करेंगे तब तक इसे दूसरों तक पहुँचाना मुश्किल है. अंत में भारतेन्दु हरिश्चन्द्र की कुछ पंक्तियाँ जो उपर्युक्त कथन की पूर्ण रूप से सार्थकता सिद्ध करती हैं, वह इस प्रकार हैं :

''निज भाषा उन्नति अहै, सब उन्नति को मूल

बिन निज भाषा ज्ञान के, मिटत न हिय को शूल

वैभव मिश्रा,
क्षे. का., जबलपुर

बैंकिंग/बाजार/ग्राहक की भाषा

भाषा वह माध्यम है जिसके द्वारा एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति तक अपने विचारों को पूर्णतया प्रेषित करने में सक्षम होता है. यही कारण है कि हमें अपने विचारों को स्पष्ट और सरल भाषा में दूसरे व्यक्ति तक पहुंचाना चाहिए.

यदि हम हिन्दी भाषा की बात कर रहें हैं तो निश्चय ही यह एक स्पष्ट और सरल भाषा है जिसका विश्व में अंग्रेजी और चीनी भाषा के बाद तीसरा स्थान है.

भाषा का निर्माण हमेशा ही बाजार में हुआ है. बाजार में कुछ खास जरूरतों के तहत मनुष्य एक दूसरे से जुड़ते हैं, उनके संबंध विकसित होते हैं; भाषा के रूप बनते हैं. बाजार में भाषा चीजों को परिभाषित करती है. गांव की हाट से जिले की मंडी तक, जिला मंडी से प्रांतीय बाजार तक और वहां से राष्ट्रीय बाजार और अन्तर्राष्ट्रीय नेटवर्क तक बाजार के विकास के साथ-साथ मनुष्य संबंधों की अनेक स्तरीय यात्राएं भी हैं.

मनुष्य व्यवहारों के साथ-साथ भाषा हर क्षण बदलती रहती है. उसकी यही गतिशीलता ही उसकी जीवन्तता है.

अगर हम बाजार की भाषा के बारे में बात करें तो हम जानते हैं कि किसी उत्पाद को घरेलू बाजार में बेचना और अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में बेचना एक समान नहीं होता. उसके बेचने का मूल्य, बेचने का तरीका और बेचने का माध्यम वांछित ग्राहक के अनुसार परिवर्तित हो जाता है. साइकिल पर घूम-घूम कर अपना बनाया साबुन, निरमा, बेचते हुए करसन भाई पटेल को गुजरात के बाजारों में गुजराती भाषा की जरूरत पड़ी होगी. वहीं निरमा कंपनी जब पश्चिम बाजार में हिन्दुस्तान लीवर जैसी बहुराष्ट्रीय कंपनियों को पछाड़ने के बाद गुजरात से बाहर पांव फैलाकर खुद एक बड़ी कंपनी बनी तो अन्य बाजारों और ग्राहकों के अनुसार बेचने का माध्यम और तरीका भी बदला. आज की तारीख में इसलिए उत्पाद के प्रचार के लिए बड़ी कंपनियां हर क्षेत्र और भाषाई प्रदेश के लिए अलग-अलग रणनीति बना कर प्रचार करवाती हैं, यहां तक कि क्षेत्र विशेष प्रचार के दौरान विज्ञापन अक्सर क्षेत्र विशेष के मुहावरों का भी, प्रचार की भाषा में समावेश कर ज्यादा प्रभाव डालने की कोशिश करते हैं.

अगर हम भारत देश की बात करें तो छोटी-छोटी दूरियों पर भाषाएं बदल जाया करती हैं. हिन्दी ही एक ऐसी भाषा है जो सारे देश को एक सूत्र में पिरो के रखती है. हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने भी कहा है ''कोई भी राष्ट्र नकल करके बहुत ऊपर नहीं उठता है और महान नहीं बनता है'' गांधी जी का हिन्दी के संदर्भ में कहना था ''मैं हमेशा यह मानता रहा हूं कि हम किसी भी हालत में प्रान्तीय भाषाओं को नुकसान पहुँचाना या मिटाना नहीं चाहते. हमारा मतलब तो सिर्फ यह है कि विभिन्न प्रांतों के पारस्परिक संबंध के लिए हिंदी भाषा सीखें. ऐसा करने से हिंदी के प्रति हमारा कोई पक्षपात नहीं होता. हिन्दी को हम राष्ट्र भाषा मानते हैं वो राष्ट्रहित होने के लायक है.''

हिन्दी हमारी भाषा के नाते ही नहीं, अपनी उपयोगिता के नाते भी आज बाजार की सबसे प्रिय भाषा है. आप लाख अंग्रेजी के आतंक का विलाप करें, काम तो आपको हिन्दी में ही करना है. यह हिन्दी की ही ताकत है कि वह सोनिया गांधी से लेकर कैटरीना कैफ तक सबसे हिन्दी बुलवा ही लेती है.

उड़िया न जानने के आरोप झेलने वाले नेता नवीन पटनायक भी हिन्दी में बोलकर ही अपनी अंग्रेजी न जानने वाली जनता को संबोधित करते हैं. इतना ही नहीं पूर्व राष्ट्रपति प्रणव मुखर्जी की सुन लीजिए. वे कहते हैं कि वे प्रधानमंत्री नहीं बन सके क्योंकि उन्हें ठीक से हिन्दी बोलनी नहीं आती, कुल मिलाकर हिन्दी आज मीडिया, राजनीति, मनोरंजन और विज्ञापन की प्रमुख भाषा है.

हिन्दुस्तान जैसे देश को एक भाषा के सहारे संबोधित करना हो तो वह सिर्फ हिन्दी ही है. यह हिंदी का अहंकार नहीं, उसकी सहजता और ताकत है. हाल ही में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कहा था कि हमें हिंदी को बाजार से जोड़ना होगा. हमें उनकी कही गई बात को सही तरह से समझना होगा. उनका मतलब वह नहीं है कि हिन्दी को बाजारू बना दिया जाये. हिंदी हमारी मां की तरह है. ऐसे में उसे सिर्फ बाजार की भाषा नहीं बनाया जा सकता, लेकिन यह भी उतना ही सही है कि अगर भाषा बाजार के लिए तैयार नहीं है तो वह रोजगार की भाषा नहीं बन सकती. सिर्फ हिंदी प्रेम के भरोसे आप लोगों के मन में इसे नहीं उतार सकते, उसे आपको बाजार की भाषा बनाना होगा, रोजगार की भाषा बनाना होगा.

विनीत शर्मा
सरल, जयपुर

जादुई जापान

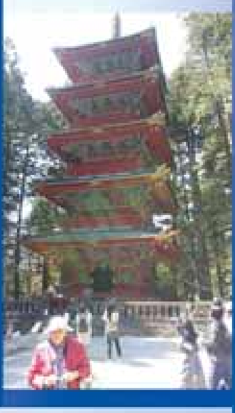

जापान,चार बड़े और अनेक छोटे द्वीपों का एक समूह है, जो एशिया के पूर्व समुद्रतट यानि कि प्रशांत महासागर में स्थित है. जापानी अपने देश को 'निप्पॉन' (सूर्योदय) कहते हैं.

जापान की संस्कृति की सबसे खास बात यह है कि वहां के लोग अपनी संस्कृति से बहुत लगाव रखते हैं. जापान में बसंत का मौसम पर्यटकों के लिए बेहद खास होता है क्योंकि यहां मार्च-अप्रैल में हर तरफ 'चेरी ब्लॉसम' का खास आकर्षण होता है, जिसे 'सकुरा' के नाम से भी जाना जाता है. यह जापान का राष्ट्रीय फूल है और इसे खिलते हुए देखना अपने आप में वाकई यादगार अनुभव है. यहां के लोग इसे एक त्यौहार के रूप में मनाते हैं, जिसे 'हनामी त्योहार' कहा जाता है. इस फूल को आशा का प्रतीक भी माना जाता है, जो सिर्फ एक हफ्ते तक खिलता है. जापान में चेरी ब्लॉसम देखने के लिए राजधानी टोक्यो स्थित 'किन्काकू-जी' (गोल्डन पैवेलियन), 'क्योटो', 'यूनो पार्क', 'नारा' जैसे कई सुंदर स्थल हैं, जहां इस सीजन में पर्यटकों की भीड़ लगी रहती है. 'हनामी' त्योहार मनाने के लिए कई तरह के पकवान और राइस वाइन तैयार की जाती है. इस मौके पर कागज की लालटेन बनाई जाती हैं और उन्हें रोशनी के लिए पेड़ों पर टांग दिया जाता है. 'हनामी' त्योहार में लोग सार्वजनिक पार्कों में जाते हैं और सकुरा के पेड़ के नीचे बैठकर दावत का लुत्फ़ उठाते हैं. जापानी व्यंजनों में शामिल हैं 'गोहान' (सादे सफेद चावल), पकोड़े जैसे दिखानेवाला 'टेम्पुरा' और 'सुशी' (जिसे विशेष अवसरों पर परोसा जाता है). 'सुशी' कच्ची मछली और कभी-कभी सब्जियों और अंडों से भी बनायी जाती है. 'रामेन' अपनी कम लागत के लिए बेहद लोकप्रिय है. सूप में 'सोय सॉस' और 'मिसो सूप' शामिल हैं. जापान का पारंपरिक पहनावा है 'किमोनो', जो महंगा तो होता है लेकिन रंगीन और आकर्षक भी होता है.

मेट्रोपॉलिटन क्षेत्रों और बड़े शहरों के बीच चलाए जाने वाला जापान का सार्वजनिक परिवहन नेटवर्क, इसकी समय पाबंदी और उत्कृष्ट सेवा के लिए मशहूर है. रेल परिवहन जापान की जीवन रेखा है. दुनिया में 51 सबसे व्यस्त ट्रेन स्टेशनों में से 45 जापान में हैं. दुनिया का सबसे लंबा ट्रेन पुल यहाँ है. जापान की हाई स्पीड बुलेट ट्रेनें 'शिंकान्सेन' 320 किमी/घंटा रफ्तार से दौड़ती हैं.

जापान अपने बौद्ध मंदिरों और सर्वोच्च पर्वत 'माउंट फूजी' के लिए भी जाना जाता है. टोक्यो का सबसे पुराना मंदिर है असकुसा मंदिर (सेनसोजी मंदिर)! मई महीने में यहाँ वार्षिक 'शिंटो त्योहार' मनाया जाता है. इसके कमीनारीमोन गेट (थंडर गेट) को 'बिजली के देवता' और 'हवा के देवता' का प्रतीक माना जाता है. जापान के इस अनोखे 'जादुई' एहसास को एक बार अवश्य महसूस और अनुभव करना चाहिए.

दीपा राजे
एन आर आई शाखा, मुंबई

भाषाओं की भविष्यगत यात्रा

भाषाओं के भविष्य की बात करने से पूर्व आवश्यक है कि हम इस विषय को जरा समझ लें. एक वाक्य लिखते हैं भविष्य किसका 'स्ट्राँग' होता है', यहां 'स्ट्राँग' का लिखा जाना बेहद महत्वपूर्ण एवं भाषाओं के क्षेत्र में एक क्रांतिकारी कदम है. यदि मैं यहां 'मजबूत' या 'शक्तिशाली' जैसे शब्द लिखता तो मुझे शायद आपको अपनी बात को समझाने के लिए कुछ और भी लिखना पड़ता परंतु केवल 'स्ट्राँग' लिख देने से मुझे पूरा विश्वास है कि मेरी बात को कोई भी व्यक्ति शत-प्रतिशत रूप से समझ लेगा.

स्ट्राँग अंग्रेजी भाषा का शब्द है. इसका हिन्दी से कोई लेना देना नहीं है परंतु यहाँ इन दोनों भाषाओं को बोलने समझने वाला व्यक्ति ही सबसे महत्वपूर्ण है. अर्थात आप स्वयं और मैं! क्योंकि हमने इस शब्द का प्रयोग किया है, इस शब्द में, इसके अर्थ की जो पूर्णता मौजूद है वह आश्चर्यजनक है. इस शब्द को अपना कर हिन्दी ने स्वयं को और समृद्ध किया; सरल, सटीक और सहज किया परंतु वहीं दूसरी तरफ एक भाषा ने अपना एक शब्द खोया जो उसके लिए तो एक साधारण शब्द था परंतु हिन्दी भाषा में स्थान पाकर वह हिन्दी का एक खास शब्द बन गया. इस प्रकार से हिन्दी भाषा अपनी भविष्यगत यात्रा में उसके द्वारा अपनाए गये ऐसे कई अन्य शब्दों से सार्वजनिक मान्यता प्राप्त करने में सफल होगी और मजबूत होगी.

यहां मैं अपने देश की किसी एक भाषा या प्रादेशिक भाषाओं की बात नहीं करूंगा क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो भाषा देशों, कारोबारियों, बुद्धिजीवियों की मजबूरी बन सकेगी, उसी का भविष्य उज्ज्वल होगा और ऐसा कमाल किसी भी देश की अकेली एक भाषा ही कर सकती है, सभी नहीं.

आइए, अब हम भाषाओं की भविष्यगत यात्रा में प्रभाव डालने वाले कारकों पर चर्चा करें-

1. सत्ता के विस्तार का प्रभाव

जैसा कि हम जानते हैं कि लगभग पूरी दुनियां पर अंग्रेजों ने शासन किया और वो भी कई वर्षों तक. मात्र दस से पंद्रह वर्षों में ही पीढ़ियां बदल जाती हैं. देश में सांस्कृतिक, रहन-सहन, खान-पान में बदलाव और समाज के प्रत्येक क्षेत्र में परिवर्तन नजर आने लग जाता है और इस प्रभाव पर सर्वाधिक रंग चढ़ा होता है शासकों का और शासक थे अंग्रेज! उनके द्वारा शासित देशों में कथित अंग्रेजी भाषा का प्रभाव पड़ चुका था. ऐसे में कमजोर भाषाओं ने तो दम ही तोड़ दिया होगा. शासन चलाने के लिए शासक और जनता के बीच सामंजस्य बनाने के लिए एक भाषा का होना अनिवार्य है और उस अनिवार्यता को प्रत्येक गुलाम देश में अंग्रेजी ने पूरा किया था. समय के साथ साथ आपने भी देखा होगा कि इन देशों में अंग्रेजी ने अन्य स्थानीय भाषाओं को लगभग हाशिए पर धकेल दिया था. आप स्वयं विचार करें कि हमारे ही देश में जहां अंग्रेजों से आजादी प्राप्त किये लगभग 71 वर्ष हो चुके हैं, आज भी अंग्रेजी भाषा ने यहां के लोगों की मानसिकता को कैसे जकड़ कर रखा हुआ है, यहां की स्थानीय भाषाओं को उपर लाने और विकसित करने के लिए सरकार द्वारा कई योजनाएं चलाई जा रहीं हैं परंतु सफलता कब तक प्राप्त होगी, कोई नहीं कह सकता है.

अंग्रेजों द्वारा अन्य देशों को गुलाम बनाए जाने के समय अंग्रेजी भाषा का भविष्य बेहद स्ट्राँग था और आज दुनियां में आये बदलाव के कारण गुलाम देशों को आजादी देने से अंग्रेजी की स्ट्राँग प्रवृत्ति पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने लगा है. जहां सभी देशों में पहले अंग्रेजी प्रमुख भाषा थी, वहाँ अब धीरे धीरे उन देशों द्वारा अपनी भाषाओं को समृद्ध बनाने पर जोर दिया जा रहा है और अब वह दिन दूर नहीं जब उनकी अपनी भाषाएं स्ट्राँग होंगी और अंग्रेजी कमजोर.

2. कारोबारी भाषा का टैग

किसी भी भाषा पर यदि कारोबारी भाषा का टैग लग जाए तो उस भाषा का भविष्य बेहद उज्ज्वल हो जाता है. आज अंग्रेजी हमारे ही नहीं अपितु कई देशों में अपनी पकड़ को मजबूत बनाए हुए है. जिसका एक ही कारण है, अंग्रेजी पर कारोबारी भाषा का टैग लगा हुआ होना. जापान, चीन या फ्रांस इत्यादि देशों में उनकी अपनी भाषाएं बहुत समृद्ध हैं. उनकी अर्थ व्यवस्था और बाजार व्यवस्था बेहद मजबूत है इसलिए भले ही उनके देश में उनकी अपनी भाषा में सभी कारोबार चल रहा है परंतु देशों के बीच अंतर्राष्ट्रीय कारोबार हेतु चीन हो या फ्रांस हो या कोई अन्य, अंग्रेजी अपनी उपस्थित से उनकी भाषा को प्रभावित कर ही जाती है.

3. नागरिकों का अन्य देशों में पलायन

भाषाओं के विस्तार एवं उनके समृद्ध होने की, उनके क्षेत्र विस्तार की बेहद महत्वपूर्ण घटनाएं हैं. गरीब या विकासशील या आर्थिक रूप से पिछड़े देशों के नागरिक रोजगार की तलाश में अपने देश से पलायन कर दूसरे देश में चले जाते हैं. जहां वो पहले नौकरी या काम की तलाश करते हैं और फिर धीरे धीरे वहीं के होकर रह जाते हैं. परंतु समूह में गये या अकेले जाकर अपने ही देश के समूह में रहने वाले व्यक्ति अपनी परंपराओं और रीति रिवाजों के साथ-साथ अपनी भाषा को भी साथ में ले जाते हैं. ये नागरिक अपने देश की भाषा का विदेश में विस्तार एवं समृद्धि का कारण बनते हैं और इन लोगों से वार्ता या काम लेने के लिए इनसे संपर्क करने वाले नियोक्ताओं, विदेशी नागरिकों के लिए भी इनकी भाषा को जानने की मजबूरी हो जाती है. जैसे कि पलायन कर आये इन नागरिकों को पराए देश की भाषा को समझने और बोलने की आवश्यकता पड़ती है और ऐसे में इनकी अपनी भाषा में उस देश की भाषाओं के आसान शब्द या दैनंदिन जीवन के लिए बेहद लाजमी शब्द अपना लिये जाते हैं और धीरे-धीरे इन्हें ये अपनी ही भाषा के शब्द लगने लगते हैं.

4. जनसंख्या का आधार

इसमें तो कोई अतिशंयोक्ति नहीं है कि जितने मुंह होंगे उतनी ही वह भाषा अधिक बोली जाने वाली भाषा के रूप में अपनी पहचान बना लेगी. पूरे विश्व में जनसंख्या के आधार पर 18 प्रतिशत से भी अधिक के शेयर

वाले चीन की 141 करोड़ की जनसंख्या है और उसकी 70 प्रतिशत यानि लगभग 1 अरब की जनसंख्या द्वारा बोली जाने वाली भाषा मंदारिन है जो निश्चित रूप से सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा कहलाएगी. वहीं भारत में भी लगभग 133 करोड़ की जनसंख्या है. हालांकि हिन्दी को छोड़कर अन्य स्थानीय भाषाओं को बोलने वाले नागरिकों की संख्या काफी कम है परंतु सर्वाधिक प्रयोग में लाई जाने वाली भाषा-हिन्दी को बोलने वाले कुल 53.6 प्रतिशत अर्थात लगभग 72 करोड़ नागरिक हैं. इन दोनों देशों के सापेक्ष अन्य देशों की जनसंख्या बहुत कम है, अत: जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़े देश की भाषा सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा कहलाएगी, जिसे सर्वाधिक संख्या में उसके नागरिक बोलते होंगे. हमारे संयुक्त राष्ट्र संघ की मान्यताप्राप्त भाषाएं हैं, अरेबिक, चायनीज, इंग्लिश, फ्रेंच, रशियन एवं स्पेनिश! चीन की भाषा छोड़ दें तो आप स्वयं सोचें कि बाकी भाषाएं यूएनओ की भाषाएं क्यों हैं? आज हम चाहते हैं कि हिन्दी भी यूएनओ की भाषा बने परंतु हमें ध्यान देना होगा कि अरेबिक देशों की कुल जनसंख्या केवल 42 करोड़, वहीं फ्रांस की लगभग 7 करोड़ और रशिया की लगभग 15 करोड़ और स्पेन की लगभग 5 करोड़ है, फिर भी इनकी भाषाएं यूएनओ की भाषाएं हैं. इन सभी देशों की भाषाओं को यूएनओ में सम्मिलित कराने का प्रमुख कारण है, अंतर्राष्ट्रीय कारोबार में उनका प्रयोग अर्थात कारोबारी भाषा का टैग लगना. इन देशों का सबसे पहले विकसित देशों की श्रेणी में आ जाना, इनकी अर्थ व्यवस्था का स्ट्राँग होना, सैन्य दृष्टि से प्रबल होना है. वरना जनसंख्या के आधार पर हिन्दी को यूएनओ में जाने से कोई रोक नहीं सकता.

5. भाषा विशेष में साहित्य की उपलब्धता एवं समृद्ध सांस्कृतिक धरोहर

किसी भाषा विशेष में विश्व को प्रभावित करने वाले साहित्य की उपलब्धता उस देश की भाषा के विस्तार का एक प्रमुख आधार है. विश्व को जब ज्ञात हुआ कि भारत में वेदों, पुराणों, महाग्रंथों, मान्यताओं एवं परंपराओं में जीवन के गूढ़ रहस्य छुपे हुए हैं तो विश्व की निगाहें भारत के साहित्य पर पड़ी और उस ज्ञान को प्राप्त करने के लिए हमारे देश की भाषा का ज्ञान अनिवार्य हो गया. ऐसे ही अन्य देशों के भी पौराणिक एवं ऐतिहासिकता को जानने के लिए उन भाषाओं का ज्ञान होना अनिवार्य हो जाता है. ऐसे में धीरे धीरे ही सही परंतु उन देशों की भाषा विशेष के विस्तार एवं विकास का मार्ग प्रशस्त हो जाता है और उस भाषा विशेष का भविष्य भी सुरक्षित हो जाता है. किसी देश की समृद्ध सांस्कृतिक धरोहरें भी उस देश की भाषा के भविष्य निर्माण में प्रमुख भूमिका का निर्वाह करती हैं.

6. अपनी राष्ट्र भाषा से प्रेम

किसी भी देश की जुबान होती है, उसकी राष्ट्रभाषा। परंतु हमारे देश में अभी तक किसी भाषा को राष्ट्रभाषा होने का गौरव प्राप्त नहीं हुआ है. अर्थात अभी भी विश्व में हमारे देश की जुबान की कोई पहचान नहीं है. कहा जाता है कि हमारे भारत देश में प्रत्येक कोस पर भाषा बदल जाती है, भाषाओं के आधार पर राज्यों का बन जाना भी एक नकारात्मक कारण है जिसके कारण भाषा, जाति, धर्म के आधार पर स्थानीय राजनीति का फलना-फूलना भी हो सकता है, फिर एक भाषा को मान्यता देना बेहद मुश्किल है. आखिर हम भारतवासी किसे अपने देश की भाषा कहें. यही कारण है कि स्वतंत्रता के दौरान भावनाओं से जुड़ी एक मात्र भाषा हिन्दी आज भी देश की राष्ट्र भाषा नहीं बन पाई है. ऐसे में हिन्दी भाषा को विश्व की एक भाषा बनाने के लिए किये जा रहे प्रयासों का औचित्य भी सिद्ध नहीं हो पाता एवं ऐसे देश जिनकी राष्ट्रभाषाएं हैं, उनके नागरिक अपनी राष्ट्र भाषा को स्नेह, प्यार, सम्मान दे सकते हैं, अपनी भाषा पर कारोबारी भाषा का टैग लगाकर भाषा पर गर्व कर भाषा को समृद्ध बना सकते हैं परंतु हम भारतीय क्या करें? किस भाषा पर गर्व करें? किस भाषा को प्यार दें? किस भाषा पर कारोबारी भाषा का टैग लगायें?

उपसंहार

भारत और चीन की जनसंख्या में कोई ज्यादा अंतर नहीं है परंतु चीन में मंदारिन भाषा बोलने वालों की संख्या भारत में हिन्दी बोलने वालों से कहीं अधिक है. चीन, भारत से कहीं अधिक समृद्ध एवं सशक्त देश भी है. यदि हमें अपनी भाषा को विश्व की भाषा बनानी है तो हमें भी हमारी एक भाषा को मान्यता देनी होगी तथा उसकी भविष्यगत यात्रा पर ध्यान देना होगा.

वर्तमान समय कम्प्यूटरों, काल्पनिक बुद्धिमत्ता, ऑनलाइन लेनेदेन, विपणन का है. विश्व में माइक्रोसॉफ्ट ने अपने कार्यक्रम विस्तार हेतु कई देशों की शर्त मानी कि उनकी भाषा में प्रोग्राम की उपलब्धता पर ही उसे अपनाएंगे, इसके विपरीत कई देशों ने ऐसी कोई शर्त माइक्रोसॉफ्ट के सामने नहीं रखी. हम यह कहते नहीं थकते कि संस्कृत एक वैज्ञानिक भाषा है, संस्कृत कम्प्यूटर के लिए सर्वश्रेष्ठ भाषा है. हिन्दी की लिपि भी देवनागरी अर्थात जो संस्कृत की है, वही है. परंतु हमने माइक्रोसॉफ्ट से अपनी भाषा में प्रोग्राम तैयार करने की कोई शर्त नहीं रखी और आज स्थिति यह हो गई है कि हम हिन्दी तो जानते हैं. लेकिन हिंग्लिश के रूप में! सोशल मीडिया के बढ़ते प्रयोग से हिन्दी को बढ़ावा देने के इस आधुनिक प्रयोग को क्या कहें, भाषा का विस्तार या भाषा का रूपांतरण? हम अपनी ही मजबूतियों को कमजोर करते जा रहे हैं अपनी विरासतों को गंभीरता से नहीं ले रहे हैं और अपने ज्ञान, साहित्य और इतिहास को विदेशी भाषाओं में अनुवाद कर प्रसन्नता का अनुभव कर रहे हैं. हमारे पूर्वजों ने ज्ञान की लाखों बातों को विरासत में दिया परंतु हम उन्हें सहज उपलब्ध कराते हुए और विदेशी भाषाओं में अनुवाद कर वाहवाही लेते हुए उन सबके साथ खिलवाड़ कर बैठे हैं.

यदि हमें अपनी भाषा को समृद्ध करना है तो हमें भी भाषा के मामले में स्वयं को सक्षम बनाना होगा ताकि हिन्दी को जानना दूसरे देशों की जरूरत बन सके. भाषाओं की भविष्यगत यात्रा तभी सुरक्षित होगी जब वह किसी समृद्ध देश या सशक्त देश की होगी, जिस पर कारोबारी भाषा का टैग लगा होगा, जिसके नागरिक उसे स्नेह एवं सम्मान देते हुए गर्व करते होंगे, वह भाषा जो अन्य भाषाओं के साथ घुल मिल जाने के लिए तत्पर होगी. जिसमें उसके प्रयोग पर अनावश्यक बंदिशें न होंगी, वह भाषा जिसका व्याकरण सहज और वाक्यांश सरल होंगे, वही भविष्य में जिंदा रहेगी, उसी की भविष्यगत यात्रा आसान और लंबी होगी.

प्रदीप सिंह
क्षे.म.प्र. का., अहमदाबाद

राजभाषा पुरस्कार

वित्तीय वर्ष 2017-18 के लिए क्षेत्रीय कार्यालय, भोपाल को दिनांक 31.08.2018 को बैंक नराकास, भोपाल से तृतीय पुरस्कार प्राप्त हुआ. इस अवसर पर पुरस्कार ग्रहण करते हुए क्षेत्र प्रमुख, श्री गुरतेज सिंह एवं राजभाषा प्रभारी, श्रीमती उपासना सिरसैया.

नराकास बैंक, वेंगलुरु द्वारा उत्कृष्ट राजभाषा कार्यान्वयन हेतु वर्ष 2017-18 के लिए हमारे नोडल क्षेत्रीय कार्यालय, वेंगलुरु को द्वितीय पुरस्कार प्रदान किया गया. इस अवसर श्री संजय कुमार रथ, सहायक महाप्रबंधक, क्षेमप्रका, बेंगलुरु एवं राजभाषा प्रभारी, श्री कृष्ण कुमार के साथ उपस्थित विजेता एवं अन्य गणमान्य.

दिनांक 27.09.2018 को बैंक नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति राजकोट की 15 वीं बैठक में हमारे क्षेत्रीय कार्यालय, राजकोट को वर्ष 2017-18 के लिए प्रथम पुरस्कार प्राप्त हुआ. डॉ. सुनीता यादव, उप निदेशक (कार्यान्वयन), (पश्चिम क्षेत्र), राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय से पुरस्कार प्राप्त करते हुए उप क्षेत्र प्रमुख, श्री पी. एन. चौधरी एवं राजभाषा अधिकारी, श्री राजेश जोशी.

नराकास (वैंक) इलाहाबाद, संयोजक (भारतीय स्टेट बैंक) द्वारा वर्ष 2017-18 में राजभाषा में बेहतर कार्यान्वयन हेतु हमारे क्षेत्रीय कार्यालय, इलाहाबाद को द्वितीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया. इस अवसर पर पुरस्कार ग्रहण करते हुए क्षेत्र प्रमुख, श्री टाटा वेंकट वेणुगोपाल व राजभाषा प्रभारी, श्रीमती प्रीति प्रिया

दिनांक 24.08.2018 को आयोजित नराकास (बैंक), पटना की बैठक के अवसर पर श्री एन.पी. टोपना, क्षेत्रीय निदेशक सह अध्यक्ष नराकास (बैंक), पटना तथा श्री निर्मल कुमार दुबे, उप निदेशक, भारत सरकार, गृह मंत्रालय, राजभाषा विभाग, पूर्वी क्षेत्र (कोलकाता) के कर-कमलों से नराकास बैंक, पटना का प्रथम पुरस्कार ग्रहण करते हुए श्री जी.बी. त्रिपाठी, उप महाप्रबंधक, क्षेत्रीय कार्यालय, पटना तथा राजभाषा प्रभारी डॉ. विजय कुमार पाण्डेय.

दिनांक-24.07.2018 को नराकास (बैंक), विशाखपट्टनम् की ओर से हमारे क्षे. का., विशाखपट्टनम् को तृतीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया. इस अवसर पर श्री टेक चंद, उप निदेशक (कार्यान्वयन), गृह मंत्रालय, राजभाषा विभाग, बेंगलुरु से पुरस्कार प्राप्त करते हुए, क्षेत्र प्रमुख, श्री के. एस. एन. मूर्ति एवं श्री कृष्णा साव, राजभाषा अधिकारी.

राजभाषा पुरस्कार

नराकास बैंक, बेंगलुरु द्वारा दिनांक-19.07.2018 को हमारे स्टाफ महाविद्यालय बेंगलुरु को तृतीय पुरस्कार प्रदान किया गया. इस अवसर पर पुरस्कार ग्रहण करते हुए श्री ए. बीजू, सहायक महाप्रबंधक व संकाय, स्टाफ महाविद्यालय, बेंगलुरु एवं राजभाषा प्रभारी, श्री दीपक कुमार तथा अन्य गणमान्य.

नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति, ग्वालियर की ओर से वर्ष 2017-18 के लिए हमारे क्षे.का. ग्वालियर को तृतीय पुरस्कार प्राप्त हुआ. इस अवसर पर समिति के अध्यक्ष, श्री अजित सिंह एवं श्री हरीश सिंह चौहान, सहायक निदेशक, (कार्यान्वयन) भोपाल से पुरस्कार ग्रहण करते हुए, श्री सोवन सेनगुप्ता, क्षेत्र प्रमुख, ग्वालियर एवं राजभाषा प्रभारी, श्री आनंद कुमार.

क्षेत्रीय कार्यालय, सिलीगुड़ी को नराकास सिलीगुड़ी द्वारा वर्ष 2017-18 में सर्वश्रेष्ट कार्यनिष्पादन हेतु प्रथम पुरस्कार से सम्मानित किया गया. इस अवसर पर पुरस्कार ग्रहण करते हुए उप क्षेत्र प्रमुख, श्री वेंकटराव एवं राजभाषा प्रभारी, सुश्री अपूर्वा सिंह.

नराकास, रीवा की ओर से दिनांक-27.06.2018 को आयोजित अर्धवार्षिक बैठक में हमारे क्षेत्रीय कार्यालय, रीवा को प्रथम पुरस्कार से सम्मानित किया गया. इस अवसर पर पुरस्कार प्रदान करते हुए श्री हरीश सिंह चौहान, सहायक निदेशक, भारत सरकार, गृह मंत्रालय, राजभाषा विभाग, भोपाल एवं पुरस्कार ग्रहण करते हुए क्षेत्र प्रमुख, रीवा, श्री महेंद्र श्रीवास्तव तथा राजभाषा प्रभारी, श्री अखिलेश सिंह.

नराकास, नासिक की छमाही बैठक (दिनांक 25.06.2018) में हमारे क्षेत्रीय कार्यालय, नासिक को तृतीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया एवं विशेष योगदान हेतु विशेष पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया. पुरस्कार ग्रहण करते हुए नासिक क्षेत्र प्रमुख, श्री विनायक टेंभुर्णे एवं राजभाषा अधिकारी, श्रीमती कुमुद ढाकने.

नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति, करनाल द्वारा क्षेत्रीय कार्यालय, करनाल को वर्ष 2017-18 के दौरान राजभाषा के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य करने हेतु प्रथम पुरस्कार से सम्मानित किया गया. शील्ड एवं प्रमाण पत्र ग्रहण करते हुए क्षेत्र प्रमुख, श्री नवनीत कुमार एवं राजभाषा अधिकारी श्री संजीव कुमार.

द्रविडियन एवं आर्यन भाषाएं

अपने विचारों, आवश्यकताओं को एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक आदान प्रदान करने के लिए हम विभिन्न प्रकार के ध्वनियों, संवेदनाओं एवं हाव-भाव इत्यादि का प्रयोग करते हुए विशिष्ट शब्दों एवं उन शब्दों को मिलाकर वाक्यों का निर्माण करते हैं और उसका उच्चारण करते हुए अपने विचारों को व्यक्त करते हैं, इसे ही मूल रूप से बोली कहा जाता है, वस्तुत: इस बोली में घरेलू शब्दावली का बाहुल्य रहता है तथा यह आपसी बातचीत का माध्यम होता है, परंतु इसमें व्याकरण एवं वर्तनी संबंधी अपवाद होते हैं. जब इसी बोली को व्याकरण तथा सुसंगठित शब्दों द्वारा परिष्कृत करके लिपिबद्ध कर दिया जाता है जो व्याकरण की दृष्टि से उपयुक्त होती है तो इसे भाषा कहा जाता है.

सामान्यत: भाषा को वैचारिक आदान-प्रदान का माध्यम कहा जा सकता है, भाषा आभ्यांतर अभिव्यक्ति का सर्वाधिक विश्वसनीय माध्यम है. इसके साथ ही वह हमारे आभ्यांतर के निर्माण, विकास, अस्मिता, सामाजिक एवं सांस्कृतिक पहचान का भी साधन है. भाषा के बिना मनुष्य सर्वथा अपूर्ण है और अपने इतिहास एवं परंपराओं से विछिन्न है इसके साथ ही उसका भविष्य भी अंधकारमय है. यह कहना गलत न होगा कि भाषा ही मनुष्य के प्रगति का मार्ग प्रशस्त करती है.

संसार की सभी बातों की भांति भाषा का भी मनुष्य की आदिम अवस्था के साथ ही बराबर विकास होता आया है और इसी विकास प्रक्रिया में भाषा का दायरा भी बढ़ता जा रहा है, यही नहीं समाज में एक जैसी भाषा बोलने वाले व्यक्तियों के बोलने का ढंग, उनका शब्द भंडार और वाक्य, भौगोलिक और सामाजिक स्थिति और उनकी भाषा में भी पर्याप्त अंतर पाया जाता है और इसी अंतर को भाषा की शैली कहा जाता है. यही भाषाई शैली एक पृथक क्षेत्रीयता का निर्माण करती है. भारत देश के संबंध में यह विषमता विश्व के किसी अन्य देश से सर्वाधिक है. यहाँ हर क्षेत्र की भाषा अलग-अलग है जिससे विविधता और मुख्य रूप से भाषाई विविधता का दर्शन होता है. भारत के पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण सभी दिशाओं में अलग-अलग भाषा बोली जाती है जिसके कारण सभ्यता भी अलग-अलग है और यही विविधता भारत को ''विविधता में एकता'' का कारण बनाता है. भारत में मुख्य रूप से 2 भाषा शैली अधिक प्रचलित है, पहला समूह आर्य भाषा समूह कहलाता, है जिसमें हिन्दी, उर्दू, मराठी, पंजाबी, मैथिली, भोजपुरी, इत्यादि प्रमुख रूप से बोले जाने वाली भाषाएं हैं तथा दूसरा समूह द्रविड़ भाषा परिवार जिसमें तमिल, कन्नड़, तेलुगू एवं मलयालम मुख्य रूप से बोली जाने वाली भाषाएँ हैं. वस्तुत: भारत में बोली जाने वाली सभी भाषाओं का मूल 'संस्कृत' है, जिसे देवभाषा भी कहा जाता है और अधिकतर भाषाओं की लिपि ब्राह्मी लिपि है.

द्रविडियन भाषा परिवार

द्रविड़ भाषा परिवार दक्षिण भारत के राज्यों से संबन्धित भाषाओं का समूह है, ये राज्य विविध प्राकृतिक सुंदरताओं और नाना प्रकार के सांस्कृतिक विरासत को समेटे है. मुख्यत: तमिलनाडु, केरल, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तेलंगाना राज्यों की भाषाओं को 'द्रविड़ भाषा' परिवार कहा जाता है इनमें तमिल, तेलुगू, कन्नड़ और मलयालम प्रमुखता से बोली जाने वाली भाषाएं हैं. इन सभी भाषाओं में तमिल विश्व की प्राचीनतम भाषाओं में से एक है.

तमिल भाषा :

तमिल भाषा की उत्पत्ति के विषय में विभिन्न इतिहासकारों में विभिन्न मत हैं, परंतु सभी इतिहासकार इस बात पर एकमत हैं कि तमिल विश्व की प्राचीनतम भाषाओं में से एक है. तमिल की उत्पत्ति आज से लगभग 3000 साल पूर्व हुई थी, ऐसी एक मान्यता है कि तमिल भाषा सर्वप्रथम भगवान शंकर के मुख से निकली थी, जिसे कालांतर में व्याकरणबद्ध किया गया. वर्तमान में, तमिल भाषा बोलने वालों की संख्या लगभग 7 करोड़ है, भारत के तमिलनाडु राज्य की यह राजभाषा है तथा तमिलनाडु के साथ ही श्रीलंका, सिंगापुर तथा मलेशिया के कुछ भागों में मुख्य रूप से बोली जाती है. साथ ही पॉण्डिचेरी एवं अंडमान निकोबार द्वीप समूह की यह आधिकारिक भाषा है. द्रविडियन भाषा परिवार में यह सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा है. तमिल व्याकरणिक रूप से पूरी तरह से परिष्कृत भाषा है और लयबद्ध तरीके से बोली जाती है. इसके साथ ही तमिल विश्व में सबसे ज्यादा अक्षरों वाली लिपि भी है जिसमें कुल 247 अक्षर हैं.

तेलुगू :

तेलुगू भारत के आंध्र प्रदेश और तेलंगाना राज्यों की मुख्य भाषा और राजभाषा है. इसके साथ ही कर्नाटक तथा उड़ीसा के कुछ भागों में भी बोली जाती है. तेलुगू की उत्पत्ति संस्कृत की उपभाषा के रूप में हुई है और आज भी इसके 75% से भी अधिक शब्दों का सम्मिश्रण संस्कृत ही है. तेलुगू भाषा काफी मात्रा में गोलाकार लिखी जाती है और यह भाषा संगीत के लिए सबसे उपयुक्त भाषा मानी जाती है.

कन्नड़ :

कन्नड़ भाषा भारत के कर्नाटक राज्य में बोली जाने वाली भारत की उन 22 भाषाओं में से एक है जिन्हें संविधान की 8वीं अनुसूची में स्थान मिला है. तेलुगू और तमिल की भांति यह भाषा भी संस्कृत से काफी प्रभावित है. भारत सरकार ने कन्नड़ भाषा को नवम्बर, 2008 को शास्त्रीय भाषा घोषित किया था. कन्नड़ की लिपि देवनागरी लिपि से काफी भिन्न दिखाई देती है लेकिन दोनों के ध्वनि समूहों में अधिक अंतर नहीं है. संस्कृत तथा तमिल के बाद कन्नड़ भारत की तीसरी सबसे प्राचीन भाषा है.

मलयालम:

मलयालम भाषा भारत के केरल राज्य के साथ ही लक्षद्वीप एवं खाड़ी देशों में बहुतायत बोली जाने वाली भाषा है. यह भाषा लिपि और शब्दों के आधार पर तमिल से काफी प्रभावित लगती है. इसके साथ ही यह केरल की अधिकृत राजकीय भाषा भी है. सभी केरलवासी मलयालम को अपनी मातृभाषा मानते हैं. इस भाषा की अपनी स्वतंत्र लिपि एवं आधुनिक समृद्ध साहित्य है. मलयालम भाषा बोलने वालों की संख्या वर्तमान में लगभग 40 लाख है तथा यह भाषा आज भी विश्व मानस पटल पर अपनी एक विशिष्ट पहचान बनाने में सफल रही है.

दक्षिण भारतीय भाषा चाहे वह तमिल, तेलुगू या कोई अन्य द्रविडियन भाषा हो, ने अपने आप को समाज और साहित्य के साथ कंधे से कंधा मिलाते हुए अभूतपूर्व बदलावों को स्वीकृत किया और वर्तमान वैश्विक परिदृश्य में अपने आप को अद्यतन करते हुए अपने अस्तित्व को बचाए रखा.

आर्य भाषा परिवार

आर्य भाषा परिवार भारत का सबसे बड़ा भाषाई परिवार है, इसका विभाजन 'इंडो-यूरोपियन' भाषा परिवार से हुआ है. इसकी दूसरी शाखा 'इंडो-ईरानी' भाषा परिवार है जिसकी प्रमुख भाषाएँ फ़ारसी, ईरानी, पश्तो, बलूची इत्यादि है. भारत की दो तिहाई से भी अधिक आबादी आर्य भाषा परिवार की कोई न कोई भाषा विभिन्न स्तरों पर प्रयोग करती है. कश्मीर से लेकर महाराष्ट्र तक और मध्यप्रदेश से लेकर पूर्वोत्तर भारत के सभी हिस्सों में आर्य भाषाओं का प्रयोग किया जाता है. जिसमें लगभग 210 भाषाएँ और बोलियाँ आती हैं जो भारत के साथ-साथ एशिया के कई हिस्सों में बोली जाती हैं. आर्य भाषाओं का महत्व संसार की सभी भाषाओं में अधिक है, जिसका श्रेय मुख्य रूप से संस्कृत को जाता है. विश्व की किसी भी भाषा का साहित्य इतना समृद्ध नहीं है जितना आर्य भाषाओं का है. विश्व के प्राचीन से प्राचीनतम ग्रंथ इन्हीं भाषाओं में लिखे गए हैं. इस समूह मे मुख्य रूप से संस्कृत, हिन्दी, उर्दू, बांग्ला, कश्मीरी, सिंधी, पंजाबी, नेपाली, गुजराती, मराठी इत्यादि भाषायें आती हैं.

संस्कृत भाषा :

संस्कृत को यदि 'जगत जननी' भाषा कहा जाए तो गलत नहीं होगा, सभ्यता की शुरुआत से ही संस्कृत मौजूद है. विश्व का सर्वप्रथम ग्रंथ 'ऋग्वेद' संस्कृत भाषा में ही लिखा गया है इसलिए इसे 'देवभाषा' भी कहते हैं. आधुनिक भारतीय भाषाओं का जन्म संस्कृत से ही हुआ माना जाता है. इसका व्याकरण अत्यंत शुद्ध और वैज्ञानिक है जिसमें संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया द्वारा शब्द रूप बनाए जाते हैं. देवनागरी लिपि इसके लिए सबसे उपयुक्त और परिपूर्ण मानी जाती है. संस्कृत की कुछ विशेषताएँ निम्न हैं:-

- संस्कृत विश्व की सबसे प्राचीन भाषा है, जिसमें सुस्पष्ट व्याकरण और वर्णमाला की वैज्ञानिकता है.
- संस्कृत केवल स्वविकसित भाषा नहीं है अपितु संस्कारित भाषा भी है.
- विश्व की अन्य भाषाओं में एक शब्द का एक या कुछेक रूप होते हैं जबकि संस्कृत में प्रत्येक शब्द के 27 रूप होते हैं. संस्कृत में एक वचन, बहुवचन और द्विवचन भी होता है.
- संस्कृत में वाक्यों को किसी भी क्रम में रखा जा सकता है.
- संस्कृत भारत के संविधान की आठवीं अनुसूची में विद्यमान है.

हिन्दी :

हिन्दी भारत की राजभाषा है और पूरे विश्व में दूसरी सबसे ज्यादा बोली और समझी जाने वाली भाषा है. भारत के अतिरिक्त यह भाषा नेपाल, संयुक्त राज्य अमेरिका, जर्मनी, सिंगापुर, मॉरीशस, पाकिस्तान, एवं खाड़ी देशों में बहुतायत बोली जाने वाली भाषा है.

हिन्दी को देवनागरी लिपि में लिखा जाता है जिसमें 11 स्वर और 33 व्यंजन होते हैं. हिन्दी के चार प्रमुख रूप या शैलियाँ हैं:

- **उच्च हिन्दी :** यह हिन्दी का मानकीकृत रूप है जिसकी लिपि देवनागरी है, इसमे संस्कृत के शब्द प्रचुर मात्रा में हैं.
- **दक्खिनी हिन्दी :** यह हिन्दी और उर्दू का मिश्रित रूप है जो हैदराबाद और उसके आस पास बोली जाती है.
- **रेख्ता :** हिन्दी की इस शैली का प्रयोग अधिकतर शायरी में किया जाता है.
- **उर्दू :** हिन्दी का यह स्वरूप देवनागरी लिपि के बजाय अरबी और फ़ारसी लिपि में लिखा जाता है और खड़ी बोली पर आधारित है.

इसके अतिरिक्त हिन्दी की प्रमुख बोलियों में अवधी, ब्रज, कनौजी, बुंदेलखंडी, बघेली, हरियाणवी, झारखंडी, कुमाउंनी, मगही, भोजपुरी इत्यादि हैं. वास्तव में हिन्दी का क्षेत्र विशाल है जिसमें अनेक बोलियाँ उपबोलियाँ हैं. ये बोलियाँ हिन्दी की विविधता हैं और उसकी शक्ति भी.

बंगला भाषा :

बंगला भाषा भारत के पश्चिम बंगाल, बांग्लादेश, त्रिपुरा, असम में बोली जाने वाली प्रमुख भाषा है, जिसको बोलने वालों की संख्या वर्तमान में लगभग 23 करोड़ है. यह विश्व की छठी सबसे बड़ी भाषा बन जाती है. भारत की अन्य प्रादेशिक भाषाओं की तरह ही बंगला का जन्म 1000 ई पूर्व के आसपास का माना जा सकता है, जो मागधी से पृथक होकर एक अलग भाषा बनी. बांग्ला भाषा की लिपि नागरी से थोड़ी भिन्न जान पड़ती है लेकिन उच्चारण और शब्द कोश मे अधिकतर शब्द हिन्दी से मिलते जुलते ही हैं. साहित्य की दृष्टि से बांग्ला भाषा का विस्तार अधिक है.

पंजाबी :

पंजाबी भाषा पंजाब की आधुनिक भारतीय आर्य भाषा है जो मुख्यतया पंजाब और पाकिस्तान के बीच विभाजित क्षेत्र में बोली जाती है और संख्या की दृष्टि से विश्व की 11वीं सबसे बड़ी भाषा है. पंजाबी भाषा का मानक रूप मांझी बोली पर आधारित है. पंजाब असल में दो फ़ारसी शब्द 'पंज' और 'आब' का मेल है जिसमे पंज का अर्थ पाँच होता है और आब का मतलब पानी/नदी. पिछले वर्षों में साहित्यिक रूप से पंजाबी भाषा ने कई नए मोड़ लिए हैं. पंजाबी भाषा को गुरुमुखी लिपि में लिखा जाता है.

अन्य आर्य भाषाएं :

आर्य भाषाओं का क्षेत्र बहुत ही विशाल है, भारत के उत्तरी, पश्चिमी, पूर्वी भागों में भाषा पग-पग पर अपनी शैली बदलती है, कश्मीर की भाषा कश्मीरी (कोशूर) है, जिसकी लिपि शारदा है और जिसकी मूल उत्पत्ति ब्राह्मी लिपि से हुई थी. इसी प्रकार गुजरात में गुजराती भाषा है. इसी प्रकार कई अन्य भाषाएँ हैं जो इतने परिवर्तन के बाद भी वर्तमान में मौजूद हैं. भोजपुरी भाषा में केवल मैथिली ही एक ऐसी भाषा है जिसकी अपनी लिपि है.

सारांश :

प्राकृत और संस्कृत, दोनों भाषाओं की उत्पत्ति प्रकृति के साथ ही हुई. माटी की गोद में पली बढ़ी हरियाली, नदी पर्वत और स्थान आदि की स्थानीय विशिष्टता को लेकर चलती प्राकृत. प्रकृति को अपने आप में समेटे हुए सामान्य लोग और उनके समुदाय और उनकी अपनी बोलियाँ! इन समुदायों के बीच परस्पर संपर्क से परिवर्तित होते आचार-विचार, शब्द समूह और बोली रूप जो युग-युगांतर तक प्रगतिशील रही और व्याकरण के सुनिश्चित नियमों में बांध दी गयी. संस्कृत उस महानदी की तरह है जिसमें से अनेक शाखाएँ निकली और हर-एक शाखा ने अपनी एक अलग सभ्यता का निर्माण किया. हर एक सभ्यता का एक भौगोलिक क्षेत्र रहा है जिसमें वह फलती फूलती रही.

वास्तविक रूप में भाषा हमारे विचारों के सम्प्रेषण का महत्वपूर्ण माध्यम हैं जिसमें व्यक्ति, समाज, संस्कृति को प्रतिबिम्बित करने की क्षमता निहित है. जीवन का कोई ऐसा क्षण नहीं है, जहां भाषा का उपयोग और आवश्यकता न हो. भाषा ही अपनी संस्कृति और सभ्यता का प्रतीक और परिचय होती है.

गौरव प्रताप सिंह
क्षे. का., एर्णाकुलम

पूर्वोत्तर भारत की भाषाएँ

दुनिया में बहुत कम ऐसे देश हैं, जिनमें एक से ज्यादा भाषाएं बोली जाती हैं. पूरे विश्व में 196 देश हैं और इन देशों में कुल मिलाकर लगभग 6900 भाषाएं बोली जाती हैं और विशेष बात यह है कि अकेले भारत में 1652 भाषाएं बोली जाती हैं. इसका मतलब है कि पूरे विश्व की लगभग एक चौथाई भाषाएं भारत में बोली जाती हैं. अत: इस दृष्टि से भारत एक बहुजातीय और बहुभाषी देश है.

एक बात और भी है कि भारत में एक ही भाषा के अनेक रूप देखने को मिलते हैं, जैसे हिंदी. लेकिन हिंदी के कई रुप हैं. बिहार से लेकर पंजाब तक बचपन से हम यह लिखते-पढ़ते आए हैं कि भारत में एकता में विभिन्नता और विविधता में एकता है. यह हमारे देश की एक विशिष्ट पहचान है परंतु आपने कभी सोचा है कि भारत की इस छवि का निर्माण कैसे हुआ. दरअसल इसके लिए भारत की भाषाई, सामाजिक और सांस्कृतिक विविधता का योगदान है. वैसे भी भारत में भाषाओं एवं संस्कृतियों का सदियों पुराना साथ है. कोई भी भाषा बिना संस्कृति की नहीं होती और कोई संस्कृति बिना भाषा की नहीं हो सकती. भारत में सभी भाषाएं एक साथ विकसित हुई हैं इसीलिए इनकी संस्कृति में भी बहुत सी बातें एक जैसी हैं, तो कुछ बातें अलग भी हैं.

यह कहा जा सकता है कि भाषा मात्र बोलचाल का माध्यम नहीं है बल्कि संस्कृति का वाहक भी होती है. हमारे देश में भाषा से ही संस्कृति की पहचान हो जाती है. क्योंकि भाषाओं पर कोई भी संवाद उस भाषा की संस्कृति के बिना पूरा नहीं हो सकता. इसीलिए आज तक कोई भी ऐसी भाषा नहीं है जो संस्कृतिहीन हो या कोई भी ऐसी संस्कृति नहीं है जो भाषाहीन हो. भाषा के बिना संस्कृति, संस्कृति के बिना भाषा का अस्तित्व नहीं हो सकता. इसीलिए कहा जाता है कि जब एक भाषा मरती है तो उसके साथ उसकी संस्कृति व समाज की भी मृत्यु हो जाती है.

संस्कृति और समाज को लेकर पूर्वोत्तर भारत का मेरा अनुभव एकदम अलग है. पूर्वोत्तर भारत में आपको बहुत सारी भाषाएं, संस्कृति समाज का संगम देखने को मिलेगा. पूर्वोत्तर भारत को एक भाई और सात बहनों का प्रदेश भी कहा जाता है. जिसमें सिक्किम को भाई कहा जाता है और असम, मेघालय, मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मिजोरम, त्रिपुरा को सात बहनों का प्रदेश कहते हैं. सबसे पहले हम सिक्किम की बात करेंगे-यह भारत का एक प्रसिद्ध पर्यटन स्थल है. हर वर्ष देश-विदेश से हजारों लोग यहां घूमने आते हैं. यहां बहुत सी जातियां और उप जातियां निवास करती हैं और उन सबकी अपनी भाषाएं और बोलियां हैं. भूटिया, लेपचा तथा नेपाली भाषा के साथ-साथ उपभाषाओं का भी प्रयोग किया जाता है. जिनकी अपनी संरचना और भाषा संस्कार है. राज्य सरकार द्वारा कुल 11 भाषाओं को मान्यता दी गई है- भूटिया, लेपचा, लिंबू, ग्रुप, निवाड़ी, मगर, शेरपा, तमांग, सुनुवार, राई और नेपाली. नेपाली यहां की मुख्य भाषा है. नेपाली भाषा बोलने वाले लोगों की बहुलता है. यहाँ की दो तिहाई जनता नेपाली है. नेपाली के कई रुप देखने को मिलते हैं, जैसे-राय, गुरुंग, लिंबू और तमांग लेपचा. जनजाति की संख्या राज्य में बहुत कम है और नेपाली ही प्रमुख संपर्क भाषा है.

हिंदी और नेपाली भाषा में काफी समानता है. यहां तक कि दोनों की लिपि देवनागरी ही है. राज्य में नेपाली प्रमुख संपर्क भाषा है. लेकिन सभी लोग हिंदी भी बहुत अच्छे से बोलते, समझते हैं. लेपचा जनजाति की संख्या राज्य में बहुत कम है, लेकिन इनकी भी अपनी भाषा व लिपि है और इसे राज्य सरकार द्वारा मान्यता भी प्राप्त है.

लेपचा और द्रुंग भाषाएं राज्य सरकार द्वारा स्कूलों में प्राथमिक और माध्यमिक स्तर पर पढ़ायी जाती हैं. ये भाषाएं वनस्पति व जीव जंतु संबंधी शब्दों के मामले में बहुत धनी है. यहां भी अंग्रेजी भाषा ने स्थानीय भाषाओं को बहुत नुकसान पहुंचाया है. लेपचा भाषा को यूनेस्को द्वारा अति संकटग्रस्त भाषाओं की श्रेणी में रखा गया है. इसके अलावा सिक्किम में भूतिया भाषा का भी प्रयोग होता है. सिक्किम की दूसरी प्रमुख जनजाति भूटिया द्वारा इस भाषा का प्रयोग किया जाता है. लामा लोबसांग ने इस भाषा के प्रचार-प्रसार के लिए उल्लेखनीय कार्य किया है.

सिक्किम से आगे चलने पर पूर्वोत्तर भारत का सबसे प्रमुख राज्य असम आता है, जिसकी राजधानी गुवाहाटी दीसपुर है. असम को अहोम भी कहा जाता है क्योंकि यहां कई सौ सालों तक

अहोम राजवंश का शासन रहा है. इसके अलावा कुछ लोग असम शब्द की उत्पत्ति संस्कृत के आसमा शब्द से मानते हैं. प्राचीन काल में मंगोलियन, आर्य, द्रविड़ और आस्ट्रिक जातियां यहां पर आकर बस गईं और वर्तमान में यह असमिया संस्कृति में ही घुल मिल गए. असम की प्रमुख भाषाओं में असमिया और बंगाली आती हैं. असम की संस्कृति में बंगाली संस्कृति की बहुत झलक मिलती है क्योंकि यहां बंगाली लोगों की तादाद बहुत ज्यादा है. यहां तक कि असम के दूसरे बड़े शहर सिलचर में तो बंगाली लोग बहुमत में हैं. अत: राज्य की राजभाषा में बंगाली और असमिया दोनों शामिल हैं. सिलचर शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है. 'सील' और 'चर' अर्थात पर्वत क्षेत्र. सिलचर को मणिपुर में मिजोरम का प्रवेश द्वार भी कहा जाता है. सिलचर में बंगाली लोग सिलहटी भाषा बोलते हैं, असमिया और बंगाली भाषा के बावजूद पूरे राज्य में हिंदी बहुत अच्छे से बोली और समझी जाती है, इसके अलावा असम राज्य में कुछ अन्य भाषाएं भी बोली जाती हैं. कार्वी, संथाली, नेपाली, ओडिया, बोडो, मिसिंग आदि.

असम पूर्वोत्तर का सबसे महत्वपूर्ण राज्य है. असम में मारवाड़ी भाषा का भी प्रयोग किया जाता है. गुजरात और राजस्थान के बहुत से व्यापारी यहां पर अंग्रेजों के समय पर आए थे और यहीं पर बस गए. आज वह लोग भी पूरी तरह से असमिया संस्कृति में घुल मिल गए हैं, लेकिन उन्होंने भी अपनी गुजराती, राजस्थानी संस्कृति की छाप यहां पर छोड़ी है. दुर्गा पूजा के अंदर आपको यहां गरबा भी देखने को मिलेगा तो रामलीला और रावण दहन भी यहां पर किया जाता है.

गुवाहटी से तीन घंटे की दूरी पर मेघालय है, जिसकी राजधानी शिलांग है. मेघालय का अर्थ है बादलों का घर. मेघालय में चेरापूंजी है, जहां सबसे अधिक वर्षा होती है. मेघालय अतीत में असम राज्य का ही एक हिस्सा था. 21 जनवरी, 1972 को इसे एक अलग राज्य बनाया गया.

ख़ासी, गारो एंव जैंतिया पर्वतीय जिलों को काटकर मेघालय राज्य बनाया गया है. यहाँ पर मुख्य रूप से ख़ासी, गारो, हजोंग, बियट और बंगला भाषाएँ बोली जाती हैं. अंग्रेजी भाषा भी यहाँ की लोकप्रिय भाषा है. क्योंकि मिशनरियों द्वारा पूर्वोत्तर में बड़े पैमाने पर धर्म परिवर्तन किया गया और अंग्रेजी का प्रचार-प्रसार किया गया. लेकिन इन सबके बावजूद हिन्दी का यहाँ अपना अलग अस्तित्व है. अधिकतर लोग हिन्दी बोलते और समझते हैं. मेघालय को पूर्व का स्कॉटलैंड भी कहा जाता है.

पूर्वोत्तर का अगला राज्य है-मणिपुर! मणिपुर की राजधानी है-इम्फ़ाल. इसके उत्तर में नागालैंड व दक्षिण में मिज़ोरम है. पश्चिम में इसकी सीमा असम से और पूर्व में इसकी सीमा म्यांमार से मिलती है. मणिपुर का अर्थ है-आभूषणों की भूमि! मणिपुर में मैयती जनजाति के लोग रहते हैं. जो मैयतिलोन भाषा अर्थात मणिपुरी भाषा बोलते हैं. यहाँ पर मुख्य रूप से मितई, बिष्णुप्रिया, नागा, कूकिचिन जनजातियां निवास करती हैं. ये लोग पहाड़ियों में निवास करते हैं. मणिपुर में 4 बोलियाँ देखने में आती हैं. आंदरो, . फाएंग , सेंगमे, क्वाया! हालांकि मणिपुरी बोलने वालों की संख्या बहुत तेजी से घट रही है. भारत की आठवीं अनुसूची में शामिल यह प्रथम तिब्बती-बर्मी भाषा है. मणिपुर में मणिपुरी संपर्क भाषा है. इस भाषा में क्रिया को वाक्य के अंत में लगाया जाता है. कर्ता या कर्म जैसे कोई व्याकरण संबंध नहीं हैं. लिंगभेद का अभाव है. वर्तमान मणिपुरी भाषा निम्नलिखित समूहों से विकसित हुई है. अंगामे, चेंगलई, खाबा, खुमान, लुबांग, मोइरांग, और निङ्‌थाओजा (NINGTHAUJA) कालांतर में मैईतई भाषा में मिल जाने से यह मणिपुरी भाषा बन गई.

मणिपुर का पड़ोसी राज्य है नागालैंड. पड़ोसी राज्य होने के कारण दोनों राज्यों की भाषाओं में काफी समानताएं है. नागालैंड सीधे रेल मार्ग से जुड़ा होने के कारण यहाँ पहुंचना आसान है. इसकी राजधानी का नाम है-कोहिमा. परंतु इसका दूसरा प्रमुख राज्य दिमापुर ही रेल मार्ग से जुड़ा है और दिमापुर बहुत बड़ा शहर है. दिमापुर के बाज़ार में घूमने पर ज्यादातर दुकानों पर आपको बिहार और पश्चिम बंगाल के लोग सामान बेचते दिखाई देंगे. इसीलिए यहाँ पर बंगला और हिन्दी का बहुत प्रचार है. सभी लोग हिन्दी व बंगला भाषा आसानी से समझते हैं.

नागालैंड की सीमा भी पूर्व में बर्मा से मिलती है. यह भारत के छोटे राज्यों में से एक है, परंतु भाषाई व सांस्कृतिक दृष्टि से यह धनी राज्य है. नागालैंड में लगभग 16 जनजातियां निवास करती हैं. प्रत्येक जन जाति की अपनी विशिष्ट पोशाक, भाषा और संस्कृति है. वैसे तो अंग्रेजी यहाँ की आधिकारिक भाषा है क्योंकि यहाँ पर ईसाई मिशनरियों का प्रभाव ज्यादा है. बहुत बड़ी तादाद में यहाँ भी धर्म परिवर्तन हुआ है लेकिन फिर भी इन जन जतियों ने अपनी भाषा व संस्कृति को बचाकर रखा है. आओ, अंगामी, लोथा, संगतामम, सेमा, रेगमा, कुकी, कोनयक, यहाँ की प्रमुख जनजातियां है. नागामीज भाषा यहाँ की संपर्क भाषा है. यह भाषा बहुत सी भाषाओं का मिश्रण है. जो वर्तमान में संपर्क भाषा के रूप में लोकप्रिय है. नागालैंड में भी हिन्दी भाषा को अच्छे से बोला व समझा जाता है. 'हॉर्न बिल फेस्टिवल' यहाँ का विश्व प्रसिद्ध फेस्टिवल है. इस फेस्टिवल में देश-विदेश से लोग आते हैं. फरवरी माह में एक हफ्ते चलने वाला यह फेस्टिवल नागालैंड व इसकी संस्कृति की पूरी झलक देता है. सभी जन जातियाँ इसमें भाग लेती हैं.

नागालैंड की सीमाओं से जुड़ा हुआ अगला राज्य है, मिज़ोरम.

इसकी राजधानी है - आइज़ोल. मिज़ोरम की साक्षरता दर 92% है. 1972 में केंद्र शासित प्रदेश बनने से पहले यह भी असम राज्य का ही एक हिस्सा था. 1987 में इसे एक पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया. इसके दक्षिण में म्यांमार, पश्चिम में बांग्लादेश होने से सामरिक दृष्टि से भी यह राज्य अत्यंत महत्वपूर्ण है. मिज़ोरम प्राकृतिक रूप से बहुत ही खूबसूरत प्रदेश है.

मिज़ोरम का अर्थ होता है - पर्वतवासियों की भूमि. 19वीं सदी में यहाँ भी मिशनरियों का प्रभाव ज्यादा होने से बड़ी तादाद में लोग ईसाई धर्म में परिवर्तित हो गए. परिणामस्वरूप वर्तमान में इस राज्य में भी ईसाई लोगों का बहुमत है. लेकिन फिर भी यहाँ के लोगों ने अपनी भाषा व संस्कृति को बचा कर रखा है. मिज़ोरम में मिज़ो भाषा, संपर्क भाषा है. हालांकि मिज़ो भाषा की अपनी कोई लिपि नहीं है. औपचारिक शिक्षा के लिए रोमन लिपि को अपनाया गया है. साक्षरता के लिए यह केरल के बाद दूसरे नंबर पर आता है. मिज़ोरम में 8 जिले हैं. इनके सभी त्योहार कृषि व वन से जुड़े हुये भाषा हैं. त्योहार को मिज़ो भाषा में 'कूट' कहते हैं. यहाँ भी सभी लोग हिन्दी भाषा आसानी से समझ लेते हैं. यहाँ की स्थानीय बोली को 'लूसी डूहलियन' कहा जाता है, जो तिब्बती-बर्मन परिवार की बोली है.

मिज़ोरम का पड़ोसी राज्य है-त्रिपुरा. इसकी राजधानी है-अगरतला. इसके उत्तर-दक्षिण और पश्चिम में बांग्लादेश है जबकि पूर्व में असम राज्य है. अभी हाल ही में अगरतला को रेल मार्ग से भी जोड़ा गया है. गुवाहाटी से अगरतला तक सीधे रेल सेवा आरंभ की गई है. यह भारत का तीसरा सबसे छोटा राज्य है. त्रिपुरा पर कई सौ वर्षों तक त्रिपुरी राजवंश ने राज्य किया है इसलिए इसका नाम त्रिपुरा पड़ गया. इस राज्य में बंगला और त्रिपुरी (कोक-बोरोक) भाषाएँ बोली जाती हैं. बांग्लादेश सीमा जुड़ने के कारण यहाँ अक्सर घुसपैठ होती रहती है. इसी कारण यहाँ बांग्लादेशियों की संख्या बहुत बढ़ गई है. 1972 में इसे पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया था. इसका ज़्यादातर हिस्सा जंगलों से घिरा हुआ है.

कहा जाता है कि त्रिपुरा में 36 से ज्यादा बोलियाँ बोली जाती थीं, परंतु कालांतर में इनका लोप हो गया. वर्तमान में यहाँ बंगला, असमिया, हिन्दी, मणिपुरी, कोक-बोरोक, नोथाखली और चकमा भाषाएँ बोली जाती हैं. सबरम और चक्र प्रमुख बंगला भाषाएं है, जो आदिवासी बोलते हैं. ऐसा भी कहा जाता है कि त्रिपुरा का प्राचीन नाम कीरत था.

यहाँ पर त्रिपुरा सुंदरी का विशाल प्राचीन मंदिर है, जिसमें सिंह पर सवार माँ भगवती की अष्टादश भुजा मूर्ति स्थित है. त्रिपुरा में मात्र आठ जिले हैं तथा बंगाली लोगों का बहुमत है. इसी कारण दुर्गा पुजा यहाँ का प्रमुख त्योहार है.

अंत में हम अरुणाचल प्रदेश की बात करेंगे. भौगोलिक दृष्टि से पूर्वोत्तर के सबसे बड़े राज्य-अरुणाचल प्रदेश की राजधानी-इटानगर है. इटानगर रेल मार्ग से सीधे जुड़ा हुआ है. नाहर-लुगुन यहाँ के रेल्वे स्टेशन का नाम है.

अरुणाचल का अर्थ है - उगते सूरज का देश. अरुणाचल का अधिकांश भाग पर्वत और जंगलों से घिरा हुआ है. इस राज्य का गठन वर्ष 1987 में किया गया था. यहाँ कि राजभाषा अंग्रेजी है परंतु वास्तविक स्थिति में थोड़ा परिवर्तन है. पूर्वोत्तर में अरुणाचल एक ऐसा राज्य है, जहां सबसे ज्यादा बोलियों व भाषाओं का प्रयोग होता है. वर्तमान में 40 के करीब भाषाएँ यहाँ बोली जाती हैं. इनमें से अधिकतर भाषाएँ तिब्बती-बर्मन परिवार से हैं. जैसे-न्यसि, आदि, बंगला, नेपाली, हिन्दी, असमिया, मोनपा, बाँचो, तड्सा, मिशमी. अभी हाल ही में कुछ वर्ष पहले एक दुर्लभ भाषा का पता चला जिसका नाम था-कोरो. यह अपेन भाषा समूह की दूसरी भाषाओं से अलग भाषा है. लेकिन इस भाषा पर भी विलुप्त होने का खतरा मंडरा रहा है. कोरो भाषा तिब्बत-बर्मन परिवार कि 150 भाषाओं से एकदम अलग है. अरुणाचल प्रदेश का इतिहास कहीं भी लिखित में उपलब्ध नहीं है. बस यहाँ की लोक कथाओं व बुजुर्गों द्वारा चली आ रही मौखिक परंपराओं से ही इसके बारे में पता चलता है. इस राज्य में लगभग 100 के करीब जन जातियाँ पाई जाती हैं. परंतु इन सभी जन जातियों में संपर्क भाषा के रूप में हिन्दी प्रचलित है. यहाँ के त्यौहारों में भी भारतीय संस्कृति की झलक मिलती है. पूर्व में अरुणाचल भी असम का ही एक हिस्सा था. अरुणाचल में 16 जिले हैं.

भारत के सभी पूर्वोत्तर राज्यों में भाषाओं व विभिन्न संस्कृतियों की विपुलता है. कई सौ भाषाओं का प्रयोग पूर्वोत्तर में किया जाता है. बहुत सी भाषाएँ लुप्त होने के कगार पर हैं और काफी सारी भाषाएँ लुप्त हो चुकी हैं. पूर्व की बात करें तो पूर्वोत्तर के सभी राज्य असम राज्य का हिस्सा थे परंतु धीरे-धीरे सरकार द्वारा सबको अलग-अलग राज्य बना दिया गया. इसीलिए अगर आप ध्यान से देखोगे तो पाओगे कि असमिया भाषा पूर्वोत्तर के सभी राज्यों में सबसे अधिक प्रचलित भाषा है, इसके बाद ही हिन्दी का नंबर आता है.

कमल कुमार
क्षे. का., सूरत

दक्षिण भारतीय भाषाएं और बोलियां

भाषा और बोली- किसी भाषा के सबसे छोटे व सीमित रूप को व्यक्ति-बोली कहा जाता है. जो व्यक्ति विशेष के भाषा-प्रयोग पर आधरित होती है.

जबकि भाषा किसी राष्ट्र, राज्य या समाज की वह प्रतिनिधि तथा आदर्श भाषा होती है, जिसका प्रयोग वहां के सुशिक्षित समुदाय द्वारा अपने साहित्यिक, प्रशासनिक, व्यापारिक, वैज्ञानिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक आदि सभी औपचारिक कार्यों में समान रूप से किया जाता है.

प्रारंभिक स्तर पर हर 'भाषा' अपने रूप में किसी सीमित क्षेत्र के साधारण समाज में बोलचाल के रूप में प्रचलित 'बोली' होती है. इस स्थानीय, आंचलिक या क्षेत्रीय बोली का शब्द-भंडार सीमित होता है. इसका अपना कोई नियमित व्याकरण या भाषा शास्त्र नहीं होता इसलिए जीवन के औपचारिक संदर्भो में इसका प्रयोग नहीं हो पाता.

दूसरे स्तर पर विकसित होते हुए वही 'बोली' कुछ विशेष भौगोलिक, सामाजिक, प्रशासनिक आदि कारणों से अपने प्रदेश की अन्य बोलियों की अपेक्षा अधिक महत्त्व प्राप्त कर लेती है. उसके लिखित रूप तथा व्याकरणिक रूप भी विकसित होने लगते हैं. इसके अलावा वह शिक्षा, प्रशासन, साहित्य आदि का माध्यम भी बनने लगती है, तब वह 'बोली' न रहकर 'भाषा' की संज्ञा प्राप्त कर लेती है. बोली का भाषा की संज्ञा पा लेना इस प्रक्रिया का दूसरा सोपान है.

तीसरे स्तर पर पहुंचकर, यह प्रक्रिया तब पूर्ण हो जाती है जब शिक्षित समाज द्वारा इस भाषा की एकरूपता, स्थिरता, व व्याकरण सम्मतता को निश्चित आदर्श रूप दे दिया जाता है. शिक्षित समाज द्वारा निरंतर परिभाषित होते हुए सरकारी कामकाज, समाचार पत्र, सामाजिक, शैक्षणिक आदि क्षेत्रों में प्रयोग की दृष्टि से उसकी अपनी तकनीकी तथा पारिभाषिक शब्दावली विकसित होती है. इस स्तर पर पहुंचकर वह 'भाषा' कहलाने लगती है. यदि कोई भाषा इस प्राथमिक प्रक्रिया से न गुजरे तो वह बनाई गई अस्पष्ट, बोझिल और थोपी हुई भाषा लगने लगेगी.

भाषा और बोली का अंतर:

किसी भाषा के अन्तर्गत कई बोलियाँ हो सकती हैं.

'बोली' कालक्रम से विकसित होते हुए भाषा बनती है और प्रत्येक भाषा का आरंभिक रूप उसकी बोली में ही निहित होता है.

भाषा का क्षेत्र व्यापक होता है जबकि बोली का सीमित.

भाषा व्याकरण सम्मत तथा सुगम होती है जबकि बोली का कोई निश्चित व्याकरण नहीं होता.

भाषा के मौखिक और लिखित रूपों में भी एकरूपता व समानता होती है. उसमें जो शब्द-रूप उच्चरित किया जाता है उसकी वर्तनी भी व्याकरणिक नियमों के अनुसार निश्चित होती है जबकि बोली अधिकतर मौखिक रूप में प्रयुक्त होती है. अत: उसके कुछ मौखिक व लिखित रूपों में एकरूपता नहीं भी होती.

भाषा में ये चार विशेषताएँ होना अत्यन्त आवश्यक है-स्वायत्तता, मानकीकरण, ऐतिहासिकता और जीवंतता. जबकि बोली में ये नहीं मिलती.

भारत के दक्षिणी भाग को दक्षिण भारत भी कहते हैं. अपनी संस्कृति,इतिहास और प्रजातीय मूल की भिन्नता के कारण यह शेष भारत से अलग पहचान बना चुका है. इसके बाबजूद यह भारत की विविधता का एक अंग है और यही अनेकता में एकता सिद्ध करता है. भारत में 22 प्रधान भाषाएँ बोली जाती हैं. दक्षिण भारत में तमिल भाषा को जननी कहा जाता है. दक्षिण भारत में मूल रूप से चार भाषाएं तमिल, तेलगु, कन्नड़ और मलयालम बोली जाती है.

तेलुगु

आंध्र शब्द का प्रयोग ऋग्वेदीय ऐतरेय ब्राम्हण में मिलता है. तेलुगु शब्द का मूलरूप संस्कृत में 'त्रिलिंग' है. इसका तात्पर्य आंध्र प्रदेश के श्रीशैल के मल्लिकार्जुन लिंग, कालेश्वर और द्राक्षाराम के शिवलिंग से है. इन तीनों सीमाओं से घिरा देश त्रिलिंगदेश और यहाँ की भाषा त्रिलिंग (तेलुगु) कहलाई. यह शब्द त्रिनग शब्द से भी उत्पन्न हुआ माना जाता है. इसका आशय तीन बड़े-बड़े पर्वतों की मध्य सीमा में व्याप्त इस प्रदेश से है. आंध्र जनता उत्तर दिशा से दक्षिण की ओर जब हटाई गई तो दक्षिणवासी होने के कारण इस प्रदेश और भाषा को ''तेनुगु'' नाम दिया गया. (तमिल भाषा में दक्षिण का नाम तेन है). तेनुगु नाम होने का एक और कारण भी है. तेनुगु में तेने (तेने उ शहद, अगु उ जाहो) शब्द का अर्थ है शहद. यह भाषा मधुमधुर होने के कारण तेनुगु नाम से प्रसिद्ध है. यह प्रदेश ''वेंगिनाम'' से भी ज्ञात है. ''वेंगि'' का अर्थ है कृष्णा गोदावरी नदियों का मध्यदेश, जो एक बार जल गया था.

भाषा

अधिकांश संस्कृत शब्दों से संकलित भाषा 'आंध्र' भाषा के नाम से व्यवहृत होती है. तेलुगुदेशीय शब्दों का प्राचुर्य जिस भाषा में है वह तेलुगु भाषा के नाम से प्रख्यात है. इसका विकास प्राकृतजन्य और द्रविड़ परिवार की भाषाओं के सम्मेलन से हुआ है. आजकल तीन नामों से प्रचलित इस भाषा में लगभग 75 प्रतिशत संस्कृत शब्दों का सम्मिश्रण है. इसकी मधुरता का मूल कारण संस्कृत तथा तेलुगु का मणिकांचन संयोग ही है. पश्चिम के विद्वानों ने भी तेलुगु को 'पूर्व की इतालीय भाषा' कहकर इसके माधुर्य की सराहना की है.

तमिल (उच्चारण:तमिळ्)

तमिल द्रविड़ भाषा परिवार की प्राचीनतम भाषा मानी जाती है. विश्व के विद्वानों ने संस्कृत, ग्रीक, लैटिन आदि भाषाओं के समान तमिल को भी अति प्राचीन तथा सम्पन्न भाषा माना है. अन्य भाषाओं की अपेक्षा तमिल भाषा की विशेषता यह है कि यह अति प्राचीन भाषा होकर भी लगभग 2500 वर्षों से अविरत रूप से आज तक जीवन के सभी क्षेत्रों में व्यवहृत है. तमिल भाषा में उपलब्ध ग्रंथों के आधार पर यह निर्विवाद निर्णय हो चुका है कि तमिल भाषा ईसा से कई सौ वर्ष पहले ही सुसंस्कृत और सुव्यवस्थित हो गई थी.

मुख्य रूप से यह भारत के दक्षिणी राज्य तमिलनाडु, श्रीलंका के तमिल बहुल उत्तरी भागों, सिंगापुर और मलेशिया के भारतीय मूल के तमिलों द्वारा बोली जाती है. भारत, श्रीलंका और सिंगापुर में इसकी स्थिति एक आधिकारिक भाषा के रूप में है. इसके अतिरिक्त यह मलेशिया, मॉरीशस, वियतनाम, रियूनियन इत्यादि में भी पर्याप्त मात्रा में बोली जाती है. लगभग 7 करोड़ लोग तमिल भाषा का प्रयोग मातृ-भाषा के रूप में करते हैं. यह भारत के तमिलनाडु राज्य की प्रशासनिक भाषा है और यह पहली ऐसी भाषा है जिसे 2004 में भारत सरकार द्वारा शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया है.

इस भाषा का इतिहास कम से कम 3000 वर्ष पुराना माना जाता है. प्राचीन तमिल से लेकर आधुनिक तमिल में उत्कृष्ट साहित्य की रचना हुई हैं.

तमिल भाषा के साहित्य तथा निघण्टु में तमिल शब्द का प्रयोग 'मधुर' अर्थ में हुआ है. तमिल में हिंदी तथा कुछ अन्य भारतीय भाषाओं के विपरीत लिंग-विभेद प्रमुख नहीं होता है. देवनागरी वर्णमाला के कई अक्षरों के लिये तमिल में एक ही वर्ण का प्रयोग होता है.

तमिल भाषा 'वट्ट एळत्तु' लिपि में लिखी जाती है. अन्य भारतीय भाषाओं की तुलना में इसमें स्पष्टतः कम अक्षर हैं. देवनागरी लिपि की तुलना में इसमें दीर्घ 'ए' तथा दीर्घ 'ओ' भी हैं. प्रत्येक वर्ग (क वर्ग, च वर्ग आदि) का केवल पहला और अंतिम अक्षर उपस्थित है, बीच के अक्षर नहीं हैं 'र' और 'ल' के अधिक तीव्र रूप भी हैं. वहीं 'न' का कोमलतर रूप भी है. श, ष एक ही अक्षर द्वारा निरूपित हैं.

कन्नड़

भारत के कर्नाटक राज्य में बोली जानेवाली भाषा तथा कर्नाटक की राजभाषा है. यह भारत की उन 22 भाषाओं में से एक है जो भारतीय संविधान की आठवीं अनुसूची में सम्मिलित हैं. यह भारत की सबसे अधिक प्रयोग की जाने वाली भाषाओं में से एक है. 4.50 करोड़ लोग कन्नड़ भाषा प्रयोग करते हैं. एन्कार्टा के अनुसार, विश्व की सर्वाधिक बोली जाने वाली 30 भाषाओं की सूची में कन्नड़ 27वें स्थान पर आती है. यह द्रविड़ भाषा परिवार में आती है पर इसमें संस्कृत के भी बहुत से शब्द हैं. कन्नड़ भाषी लोग इसको 'सिरिगन्नड' कहते हैं. कन्नड भाषा का अस्तित्व कोई 2500 वर्ष पूर्व से है तथा कन्नड़ लिपि का प्रयोग कोई 1900 वर्ष से हो रहा है. कन्नड अन्य द्रविड़ भाषाओं की तरह है और तेलुगु, तमिल और मलयालम इन भाषाओं से मिलती-जुलती हैं. कन्नड संस्कृत भाषा से बहुत प्रभावित है और संस्कृत के बहुत सारे शब्द कन्नड में भी उसी अर्थ में प्रयुक्त होते हैं. भारत सरकार ने कन्नड़ को भी भारत की एक शास्त्रीय भाषा (क्लासिकल लैंगवेज) घोषित किया है.

पंचद्रविड़ भाषाओं के अंतर्गत कन्नड़, तमिल, तेलुगु, मलयालम तथा तुलु मानी जाती हैं. वस्तुतः तुलु कन्नड़ की ही एक पुष्ट बोली है जो दक्षिण कन्नड़ जिले में बोली जाती हैं. तुलु के अतिरिक्त कन्नड़ की अन्य बोलियाँ हैं-कोडगु, तोड, कोट तथा बडग. कोडगु कुर्ग में बोली जाती है और बाकी तीनों का नीलगिरि जिले में प्रचलन है. नीलगिरि जिला तमिलनाडु राज्य के अंतर्गत है.

रामायण-महाभारत-काल में भी कन्नड़ बोली जाती थी. प्रारंभिक कन्नड़ का लिखित रूप शिलालेखों में मिलता है. कन्नड़ के उपलब्ध सर्वप्रथम ग्रंथ का नाम 'कविराजमार्ग' के उपरांत कन्नड़ में ग्रंथ निर्माण का कार्य उत्तरोत्तर बढ़ा

और भाषा निरंतर विकसित होती गई. कन्नड़ भाषा के विकासक्रम की चार अवस्थाएँ मानी गई हैं जो इस प्रकार है: **अतिप्राचीन कन्नड़** (आठवीं शताब्दी के अंत तक की अवस्था), **हळ कन्नड़** (प्राचीन कन्नड़) (9 वीं शताब्दी के आरंभ से 12 वीं शताब्दी के मध्य-काल तक की अवस्था), **नडु गन्नड** (मध्ययुगीन कन्नड़) (12 वीं शताब्दी के उत्तरार्ध से 19 वीं शताब्दी के पूर्वार्ध तक की अवस्था) और **होस गन्नड** (आधुनिक कन्नड़) (19 वीं शताब्दी के उत्तरार्ध से अब तक की अवस्था).

मलयालम

यह भाषा केरल, लक्षद्वीप, कर्नाटक, तमिलनाडु, माहे, अण्डमान और निकोबार द्वीपसमूह फारस की खाड़ी में लगभग चार करोड़ लोगों द्वारा बोली जाती है.

मलयालम लिपि ब्राह्मी लिपि से व्युत्पन लिपि है. इसका उपयोग मलयालम भाषा सहित पनिय, बेट्ट कुरुम्ब, रवुला और कभी-कभी कोंकणी लिखने में होता है.

मलयालम् या कैरली (कैरलि) भारत के केरल प्रान्त में बोली जाने वाली प्रमुख भाषा है. ये द्रविड़ भाषा-परिवार में आती है. केरल के अलावा ये तमिलनाडु के कन्याकुमारी तथा उत्तर में कर्नाटक के दक्षिण कन्नड़ जिला, लक्षद्वीप तथा अन्य कई देशों में बसे मलयालियों द्वारा बोली जाती है.

मलयालम् भाषा और लिपि के विचार से तमिल भाषा के काफी निकट है. इस पर संस्कृत का प्रभाव ईसा के पूर्व पहली सदी से हुआ है. संस्कृत शब्दों को मलयालम शैली के अनुकूल बनाने के लिए संस्कृत से अवतरित शब्दों को संशोधित किया गया है. अरबों के साथ सदियों से व्यापार संबंध अंग्रेजी तथा पुर्तगाली उपनिवेशवाद का असर भी भाषा पर पड़ा है.

नाम- मलयालं का संधि-विच्छेद है - मलै (मूलशब्द: मलय - अर्थ: पर्वत) + अळम (मूलशब्द: आलयम - अर्थ: स्थान). इस भाषा के भाषिक भारत के पश्चिमी घाट के गर्भ में निवास करते हैं और इसी कारण यह नाम पड़ा है. इसका सही उच्चारण 'मलयाळम्' होता है.

मलयालम साहित्य की प्राचीनता लगभग एक हजार वर्ष तक की मानी गई हैं. भाषा के संबंध में हम केवल इस निष्कर्ष पर ही पहुँच सके हैं कि यह भाषा संस्कृतजन्य नहीं है - यह द्रविड़ परिवार की ही सदस्या है.

सन् 3100 ईसापूर्व से लेकर 100 ईसापूर्व तक यह प्राचीन तमिळ का एक स्थानीय रूप थी. ईसा पूर्व प्रथम सदी से इस पर संस्कृत का प्रभाव हुआ. तीसरी सदी से लेकर पन्द्रहवीं सदी के मध्य तक मलयालम का मध्यकाल माना जाता है. इस काल में जैनियाँ ने भी भाषा को प्रभावित किया. आधुनिक काल में सन् 1795 में परिवर्तन आया जब इस राज्य पर अंग्रेजी शासन पूर्णरूपेण स्थापित हो गया.

केरल की उत्पत्ति भी मलयालम भाषा से मानी गई है. ऐसा माना जाता है कि यह दो शब्दों मल यानी पर्वत एवं आलय यानी भूमि से मिलकर बना है. कालांतर में इसी शब्द के आधार पर यहां बोली जाने वाली भाषा को मलयालम कहा जाने लगा. यह भाषा हमारे संविधान में स्वीकृत प्रमुख भाषाओं में स्थान रखती है.

इस भाषा की अपनी स्वतंत्र लिपि एवं आधुनिक समृद्ध साहित्य है. मलयालम भाषा की पांच बोलियां भी हैं, जिनके माध्यम से लोग आपस में संप्रेषण करते हैं. मलयालम भाषा के ज्यादातर शब्द संस्कृत से लिए गए हैं. इस भाषा में 37 व्यंजन तथा 16 स्वर होते हैं. मलयालम भाषा की लिपि नौवी शताब्दी से ही चली आ रही है. इसके बाद 13वीं शताब्दी में इसमें थोड़े परिवर्तन किए गए. इस लिपि को कोलेझेतु कहा जाता है, जो ग्रंथ लिपि से व्युत्पन्न हुई है. मलयालम कई आयामों में द्रविड़ भाषा से अलग है.

वर्तमान में मलयालम भाषा की स्वतंत्र लिपि है, परंतु ऐतिहासिक साक्ष्यों के अनुसार यह भाषा वतेझुतु से प्रेरित थी. आज मलयालम में ही पत्र, दस्तावेज तथा पुस्तकें आदि तैयार की जा रही हैं. यहां तक कि बच्चों को भी स्कूलों में यह भाषा पढ़ाई जाती है. हालांकि उन्हें तमिल और मलयालम पढ़ाने के लिए वतेझुतु अक्षरों का उपयोग भी लिया जाता है.

वतेझुतु से ही एक और लिपि का जन्म हुआ था और उसे कोलेझुतु कहते हैं. हालांकि दोनों ही भाषाओं के बीच में कोई आधारभूत अंतर नहीं है. बस एक अंतर जो कोलेझुतु को वतेझुतु से अलग करता है वह है इसके पास किसी भी ऐसे अक्षर का ना होना, जिससे 'यू', 'ए' या 'फिर' 'ओ' जैसे शब्द बनाए जा सकें. हालांकि यह भाषा सबसे ज्यादा कोचीन, मालाबार और त्रावणकोर में इस्तेमाल की जाती है.

मलयालम भाषा लगभग तीस लाख लोगों की मातृभाषा है और भारत के दक्षिण पश्चिमी राज्य में द्रविण जनसंख्या सबसे ज्यादा है. मलयालम को भी प्रमुख भाषा बनने में कई शताब्दियां लग गई थी और इसका विकास आज तक जारी है. यह भाषा क्षेत्रवाद के रोग से कभी पीड़ित नहीं हुई. इसके साहित्य का इतिहास भी बहुत पुराना नहीं है. लेकिन मूल रूप से मलयालम साहित्य में द्रविड़ झलक देखने को मिलती है.

भाषाई आधार पर मलयालम को लेकर शोध कार्य आज भी जारी हैं. इसलिए अभी तक इसके इतिहास और साहित्य को लेकर कोई ठोस नतीजा नहीं मिल सका है.

समीर चन्द्र झा
क्षे. का., एर्णाकुलम

भाषा का मानकीकरण

मानक भाषा अर्थात भाषा का शुद्ध रूप जिसे किसी क्षेत्र के लोग सभी औपचारिक परिस्थितियों, जैसे कि लेखन, प्रशासन, शिक्षा आदि में उसी का प्रयोग करते हैं. मानक भाषा सर्वमान्य और नवीन आवश्यकताओं के अनुरूप तो होती ही है और उसके सम्प्रेषण में भी कोई भ्रांति नहीं होती.

मानकीकरण की आवश्यकता

भाषा का क्षेत्र देश और काल की दृष्टि से व्यापक है. परिणामस्वरूप भाषा के कई रूप मिलते हैं इसलिए भाषा का एक शुद्ध रूप आपसी संवाद और लेखन के लिए आवश्यक है. हर क्षेत्र में बहुत सारी बोलियाँ प्रचलित हैं. सभी बोलियों में प्रशासन, साहित्य-रचना, शिक्षा देना या आपसी बातचीत करना कठिन भी है और अव्यावहारिक भी! उदाहरण के तौर पर हिन्दी में 'ओ' के अनेक उच्चारण सुनाई देते हैं. बिहार का आदमी 'ओ' के स्थान पर 'अउ' का उच्चारण करता है. यह उच्चारण भेद क्षेत्रीय प्रभाव के कारण होता है. मानकीकरण की प्रक्रिया में इस प्रकार के भेद स्वीकार नहीं किए जाते हैं बल्कि एक समरूप उच्चारण निर्धारित किया जाता है. इसी तरह से क्षेत्रीय बोलियों के संपर्क के कारण एक वस्तु के लिए अनेक शब्दरूप भाषा में आ जाते हैं. इन शब्दों के साथ बोलियों में उनके प्रचलित लिंग भी आ जाते हैं. परिणामत: एक शब्द दो लिंगों में सुनाई पड़ता है. 'दही खट्टा है' और 'दही खट्टी है'? दही शब्दों का दो लिंगों में प्रयोग हुआ है. ऐसे में मानकीकरण के द्वारा ही शब्दों का सही प्रारूप चुना जाता है. क्योंकि अगर इस प्रकार की विषमता चलती रही तो स्थिति ऐसी भी हो सकती है कि एक प्रदेश की हिन्दी का रूप दूसरे प्रदेश के हिन्दी भाषी के लिए मुश्किल हो जाएगा. फिर पूरे देश में हिन्दी का स्वरूप अलग-अलग हो जाएगा. मानकीकरण इसी विषमरूपता को दूर कर समरूपता लाने की प्रक्रिया है. ऐतिहासिक विकास के क्रम में भाषा के सभी स्तरों पर विषमता उत्पन्न होती है, मानकीकरण इस विषमता का परिहार करती है. मानकीकरण के कारण ही भाषा किसी भी क्षेत्र में समरूपता हासिल करती है और लोगों द्वारा मान्य होती है अगर हिन्दी का मानक रूप नहीं होता तो हम एक दूसरे की बात को आसानी से समझ नहीं पाते.

मानव भाषा के इतिहास की बात करें तो मानकीकरण के तीन प्रमुख रूप हैं-

ऐतिहासिक प्रक्रिया: इस प्रक्रिया में जब भाषा का कोई रूप बहुत लंबे समय तक प्रचलन में रहता है, वह भाषा या भाषा रूप सहज रूप में मानक हो जाता है और उसे समाज द्वारा स्वीकृत कर दिया जाता है. इस प्रकार सामाजिक स्वीकृति मिलने के बाद ये भाषा-रूप, भाषा संपदा और परंपरा के अंग हो जाते हैं और आगे आने वाली पीढ़ी के लिए मानक बन जाते हैं.

शुद्धिकरण प्रक्रिया: ऐतिहासिक प्रक्रिया द्वारा भाषा का मानकीकरण एक सहज प्रक्रिया है, जिसमें कोई व्यक्तिगत या राष्ट्रीय हित का उद्देश्य निहित नहीं होता. परंतु कई बार अपनी संस्कृति और राष्ट्रीय गौरव की उन्नति के लिए कोई संस्था अपनी भाषा को अवांछित विदेशी तत्वों से मुक्त करने के लिए या एक ही प्रकार्य के लिए प्रयोग किए जाने वाले

विकल्पों को कम करने और उनके बीच मानक रूपों की स्थापना करने के लिए करती है. 17 वीं और 18वीं शताब्दी में कई यूरोपियों देशों में ऐसी भाषा अकादमियाँ उभरकर सामने आईं, जैसे स्पेन में स्पेनिश अकादमी (1783), जर्मनी में जर्मन अकादमी (1617), इंग्लैंड में अंग्रेजी अकादमी (1712) आदि.

साथ ही, भारत की बात करें तो पाणनी का 'अष्टाध्यायी' (700-500 ई पूर्व) संस्कृत व्याकरण के मानकीकरण का ऐसा उदाहरण है जिसमें भाषा के समस्त व्याकरण को नियमबद्ध करके मानक रूपों को स्थिर करने का प्रयास किया गया है.

आधुनिकीकरण प्रक्रिया: इस आधुनिक वैज्ञानिक युग में आधुनिक विज्ञान और प्रोद्योगिकी के ज्ञान को अपनी भाषाओं में व्यक्त करने की विकासशील देशों की चाह के कारण कई भाषाओं में आधुनिकीकरण और मानकीकरण की प्रक्रिया शुरू हुई है. जिसमें तकनीकी शब्दावली का विकास, अंतर्राष्ट्रीय शब्दों जैसे कि स्टेशन,मोबाइल आदि और प्रतीकों को शामिल करना है. आधुनिकीकरण के कारण भाषा के प्रयोग संभावनाओं में बहुत वृद्धि हुई है परंतु कई बार यह विस्तार दिशाहीन और क्षेत्रीय भी हो सकता है, इसलिए मानकीकरण की आवश्यकता है.

मानकीकरण के विकास के तीन चरण हैं

बोली- पहले चरण में भाषा का मूल रूप एक सीमित क्षेत्र में आपस में बातचीत करने के लिए प्रयोग होता है, जिसे स्थानीय बोली कहा जाता है. इसका न तो विकसित शब्द भंडार होता है और न ही कोई व्याकरण. इसलिए इसे शिक्षा, साहित्य, आधिकारिक कार्य का माध्यम नहीं बनाया जा सकता.

भाषा- जब वही बोली अपना क्षेत्र विस्तार कर लिखित रूप में विकसित हो जाती है, व्याकरण के सांचे में ढाल दी जाती है और उसका प्रयोग शिक्षा, पत्राचार आदि में होने लगता है तो उसे भाषा कह दिया जाता है.

मानक भाषा- यह वह चरण है जब भाषा एक आदर्श रूप ग्रहण कर लेती है. उसकी अपनी शैक्षणिक, वाणिज्यिक, साहित्यिक, तकनीकी एवं कानूनी शब्दावली होती है. भाषा को मानक रूप प्रदान करने के लिए भाषा के विविध रूपों में से एक संकल्पना के लिए एक शब्द का चयन कर लिया जाता है, जिससे उसका सफल सम्प्रेषण संभव होता है.

मानकीकरण के बारे में एक विचार यह भी है कि मानकीकरण के कारण भाषा में स्थिरता तो आती है लेकिन वह उसके प्रवाह के विकास में बाधक बनती है. यह सही है कि मानकीकरण से भाषा के रूप निश्चित होते हैं, प्रयोगों का निर्धारण होता है,पर इस स्थिरता का मतलब जड़ होना नहीं है. दरअसल इस स्थिरता में भी लचीलापन होता है. इसका अर्थ है कि मानकीकरण से स्थिर हुई भाषा भी नए ज्ञान- विज्ञान और जीवन की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए तैयार रहती है. इसलिए इस स्थिरता को 'लचीली स्थिरता' कहते हैं. स्थिरता, मानकीकरण की पहचान है. पर यह स्थिरता आवश्यकता के अनुरूप ग्रहण करने के लिए तत्पर होती है, इसलिए इसे लचीली स्थिरता माना गया है. इसी के कारण भाषा अन्य भाषाओं से आए हुए तत्वों को ग्रहण करती है, इन आगत तत्वों का अपनी भाषा प्रकृति के अनुसार अनुकूलन किया जाता है. उदाहरण के लिए कंप्यूटर, कंप्यूटराइजेशन जैसे शब्द आए. हिन्दी में कम्प्यूटर शब्द को यथावत ग्रहण कर लिया गया, किन्तु कंप्यूटराइजेशन के लिए कंप्यूटरीकरण बना लिया गया है, यही अनुकरण कहलाता है.

भाषा के मानक स्वरूप की आवश्यकता की बात करें तो यह सिर्फ शिक्षा और सम्प्रेषण में ही सहायक नहीं होती बल्कि आधुनिकीकरण की प्रक्रिया को दिशा देती है और मर्यादित करती है.

मानक भाषा एक तरफ तो कई स्त्रोतों से कई अलग-अलग प्रकार के तत्व ग्रहण करती है और उनमें समन्वयन कर अपनी सरंचना में एकरूपता लाती है. साथ ही अनेक क्षेत्रों तथा विषयों में प्रयुक्त होने के कारण विभिन्न प्रकार के क्षेत्रीय और वैषयिक प्रभावों से युक्त होकर अपने में बहुरूपता लाने को भी बाध्य होती है. विकासशील देशों में किसी अन्य विकसित भाषा का प्रभुत्व रहा है इसलिए मानकीकरण द्वारा अपने ही देश की भाषाओं को शुद्ध और मानक बनाकर,विभिन्न व्यवहार क्षेत्रों में प्रयोग के लिए भाषा शैली का विकास कर एक नियोजित रूप से भाषा का विस्तार होता है. मानकीकरण भाषा को एक शुद्ध और परिनिष्ठित रूप प्रदान करता है, परंतु मानकीकारण तभी सफल है जब इस प्रक्रिया में चुने हुए शब्द न केवल प्रचलित हों और सामाजिक रूप से स्वीकारें जाएँ बल्कि भाषा के प्रवाह को भी बढ़ावा मिले.

- अविनाश कौर
राजभाषा कार्यान्वयन प्रभाग,
केंद्रीय कार्यालय, मुंबई

मातृभाषा

महान साहित्यकार भारतेन्दु हरिश्चंद्र ने मातृभाषा का महत्व कुछ इस प्रकार से बताया है -

'निज भाषा उन्नति अहै, सब उन्नति को मूल / बिनु निज भाषा ज्ञान के, मिटत न हिय को शूल..
अंग्रेजी पढ़ि के जदपि, सब गुन होत प्रवीण / पै निज भाषाज्ञान बिन, राहत हीन के हीन..

मातृभाषा के बिना, किसी भी देश की संस्कृति की कल्पना करना मुमकिन नहीं है. मातृभाषा हमें राष्ट्रीयता से जोड़ती है और देश प्रेम की भावना से उत्प्रेरित करती है. माँ के आँचल में पल्लवित हुई भाषा बालक के मानसिक विकास को शब्द व पहला सम्प्रेषण देती है. मातृभाषा ही इंसान को सबसे पहले सोचने-समझने और व्यवहार की शिक्षा प्रदान करती है. यही कारण है कि बालक की प्राथमिक शिक्षा मातृभाषा में ही होनी चाहिए. भाषा की सत्ता उसके प्रयोग से बनती है और उससे आदमी इस कदर जुड़ जाता है कि वह उसके अस्तित्व की निशानी बन जाती है. इसकी याद दिलाने के लिए यूनेस्को ने 21 फरवरी को 'मातृभाषा दिवस' घोषित किया है. परंतु इसके प्रति गंभीरता का अभाव बड़ी खटकने वाली बात है. मातृभाषा दिवस का उद्देश्य है, भाषाओं और भाषाई विविधताओं को बढ़ावा देना. लेकिन याद रखना होगा कि आज हम भारतीय भाषाओं के संरक्षण और संवर्धन के लिए उतने सजग नही हैं, जितनी समय की मांग की पूर्ति के लिए आवश्यक है.

मातृभाषा एक नैसर्गिक आवश्यकता है, इसमें कोई संदेह नहीं है. मातृभाषा के द्वारा ही मनुष्य ज्ञान को आत्मसात करता है, नवीन सृष्टि का सृजन करता है. विचारों और भावनाओं की अभिव्यक्ति तो मूलतः मातृभाषा में ही होती है. समूचा विश्व अपने राष्ट्रों, प्रत्येक राष्ट्र अपने राज्यों एवं प्रत्येक राज्य अनेक प्रादेशिक क्षेत्रों में बंटा होता है. प्रत्येक क्षेत्र की अपनी भाषा होती है. भारतीय संविधान ने 22 भाषाओं को मान्यता दे रखी है. इसका तात्पर्य यह है कि भारत में मुख्यतः 22 भाषाएँ बोली जाती हैं. यह भाषाएँ प्रत्येक भारतीय राज्य का प्रतिनिधित्व करती हैं. उदाहरण के लिए कश्मीर में डोगरी भाषा, पंजाब में पंजाबी (गुरुमुखी) भाषा, उत्तर प्रदेश में हिन्दी, गुजरात में गुजराती, आंध्र प्रदेश में तेलुगू, तमिलनाडु में तमिल, पश्चिम बंगाल में बंगाली, असम में असमी आदि अर्थात प्रत्येक राज्य की अपनी एक भाषा है, जो वहाँ के निवासियों की मातृभाषा कहलाती है. यह मातृभाषा दो व्यक्तियों के मध्य संचार एवं सम्प्रेषण का माध्यम बनती है.

पूर्व राष्ट्रपति श्री ए.पी.जे. अब्दुल कलाम 'आज़ाद' ने स्वयं के अनुभव के आधार पर कहा है कि ''मैं अच्छा वैज्ञानिक इसलिए बना, क्योंकि मैंने गणित और विज्ञान की शिक्षा मातृभाषा में प्राप्त की थी''. पंडित मदन मोहन मालवीय अंग्रेजी के ज्ञाता थे. उनकी अंग्रेजी सुनने अंग्रेजी विद्वान भी आते थे. लेकिन उन्होंने कहा था ''मैं 60 वर्षों से अंग्रेजी का प्रयोग करता आ रहा हूँ, परंतु बोलने में हिन्दी जितनी सहजता अंग्रेजी में नही आ पाती है''. इसी प्रकार विश्व कवि रवीन्द्रनाथ ठाकुर ने कहा है - ''यदि विज्ञान को जन-सुलभ बनाना है तो मातृभाषा के माध्यम से विज्ञान की शिक्षा दी जानी चाहिए''. इन सभी महान लोगों ने भी मातृभाषा का महत्व समझा है व उसे सभी लोगों को समझाने की कोशिश भी की है. महात्मा गांधी ने ठीक ही कहा ''बच्चों के मानसिक विकास के लिए मातृभाषा उतनी ही आवश्यक है जितना शारीरिक विकास के लिए आहार''.

विभिन्न शोधों के आधार पर मनोविज्ञानियों, शिक्षाविदों और वैज्ञानिकों का यह मत है कि बच्चों को मातृभाषा में शिक्षण देना सर्वाधिक फलदायी होता है. विशेषकर प्रारम्भिक शिक्षा तो मातृभाषा में ही दी जानी चाहिए. क्योंकि कोई भी बालक या

कोई भी व्यक्ति, चिंतन अपनी मातृभाषा में ही करता है. अत: यदि शिशु को आरंभ से ही उसकी मातृभाषा में शिक्षा प्रदान की जाए तो किसी अन्य भाषा की तुलना में बच्चा अधिक शीघ्रता से सीखता है. विश्व में उन्नति के शिखर पर विराजमान अधिकांश विकसित देशों के उदाहरण से यह स्पष्ट हो जाता है कि किसी भी राष्ट्र के विकास में मातृभाषा का और उसमें शिक्षण का सर्वाधिक महत्व है. चीन, जापान, जर्मनी और फ्रांस इसके ज्वलंत उदाहरण हैं. यह मातृभाषा का ही प्रभाव है कि एक छोटा शिशु भी जो कि अपनी भाषा के व्याकरण को नहीं जानता है, लेकिन वह अपने परिजनों अपने सगे संबंधियों आदि के साथ संवाद में भाषा की दृष्टि से शुद्ध वाक्यों का और कभी-कभी तो लंबे वाक्यों का प्रयोग कर लेता है.

यह भी सत्य है कि आज हमारे देश के अधिकतर लोग अपनी मातृभाषा को समझते हैं क्योंकि मातृभाषा हमारे दिल से जुड़ी हुई है. यही एक ऐसी भाषा है जो किसी भी व्यक्ति के प्रथम विकास में एक महत्वपूर्ण योगदान देती है. मातृभाषा की उपयोगिता क्या हो सकती है, यह जानने के लिए हमें इतिहास में झांकना होगा. भारत में अनेक युद्ध लड़े गए हैं. हर बार भारत को लूटा गया, तोड़ा गया, छिन्न-भिन्न किया गया परंतु भारत की अपनी एक मातृभाषा, जो इस मातृभूमि की भाषा थी, ने हर भारतीय को बांध कर रखा. इसे टूटने न दिया और न ही इसे बिखरने दिया. मातृभाषा को भारतीय संस्कृति का एक अटूट तत्व माना गया है. अनेक विद्वान - जैसे दयानन्द सरस्वती, स्वामी विवेकानंद, स्वामी रामकृष्ण परमहंस जैसे लोगों ने मातृभाषा के माध्यम से समूचे राष्ट्र को एक सूत्र में पिरोया व समूचे राष्ट्र की मातृभाषा को स्थापित किया.

शब्द साधक पत्रकार अजीत वाडनेकर के मतानुसार, 'मातृभाषा' शब्द को लेकर दुनियाभर में ज़्यादातर लोग भ्रांति पालते हैं. अक्सर मातृभाषा शब्द का अभिप्राय उस भाषा से लगाया जाता है, जिसे माँ बोलती है. सिर्फ 'मातृ' शब्द की वजह से मातृभाषा का सही अर्थ और भाव समझने में हमें दिक्कत होती है. 'मातृभाषा' बहुत पुराना शब्द नहीं है, मगर इसकी व्याख्या करते हुये लोग अक्सर इसे बहुत प्राचीन मान लेते हैं. हिन्दी का मातृभाषा शब्द दरअसल अंग्रेजी भाषा मुहावरे का शाब्दिक अनुवाद है. बच्चे का शैशव जहां बीतता है, उस माहौल में ही जननी भाव है. जिस परिवेश में वह गढ़ा जा रहा है, जिस भाषा के माध्यम से वह अन्य भाषाएँ सीख रहा है, वह विकसित हो रहा है, वह महत्वपूर्ण है.

अनेक देशों में वैज्ञानिकों का अध्ययन यह स्थापित कर चुका हैं कि मातृभाषा में सीखना, प्रभावी सीखने का आधार होता है. आज 'सबके लिए शिक्षा' का लक्ष्य सामाजिक विकास के लिए महत्वपूर्ण माना जा रहा है. इस लक्ष्य की प्राप्ति मातृभाषा के द्वारा ही की जा सकती है. यूनेस्को द्वारा अनेक देशों में हुये/किए शोध से यह प्रमाणित होता है कि छात्रों की शैक्षिक उपलब्धि, दूसरी भाषा की उपलब्धि, चिंतन की क्षमता, जानकारी को ज्ञात कर समझ पाने की क्षमता, मातृभाषा के माध्यम से ही उपजती है. कुल मिला कर मातृभाषा के माध्यम से सीखने के बौद्धिक विकास पर बहु-आयामी सकारात्मक प्रभाव पड़ता है. मातृभाषा को आरंभिक माध्यम न बनाना एक गंभीर सामाजिक और सांस्कृतिक चुनौती है, जिसकी उपेक्षा नहीं की जा सकती है.

राष्ट्र की क्षमता और राष्ट्र के वैभव के निर्माण में मातृभाषा का महत्वपूर्ण योगदान है. आयातीत भाषाएँ न तो राष्ट्र के वैभव की समृद्धि करती हैं और न ही राष्ट्रत्व भाव को जागृत करती हैं. संस्कार, साहित्य, संस्कृति, सोच, समन्वय, शिक्षा, सभ्यता का निर्माण, विकास और उसकी विशिष्टता मातृभाषा में ही संभव है. मातृभाषा के प्रति समर्पण और अनुराग भाव की दृष्टि से विचार करें तो यह स्पष्ट होता है कि आज विश्व के अधिकांश देशों का इतिहास और प्रमाण यह दर्शाता है कि यह देश अलग-अलग कालखण्डों में औपनिवेशिक शक्तियों के गुलाम रहे हैं परंतु स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद उन्होंने अपनी-अपनी मातृभाषाओं को स्थापित किया.

हमें मातृभाषा के प्रचलन को व्यापक रूप में व्यवहार में लाना होगा. हिमालय से कन्याकुमारी तक तथा असम से सौराष्ट्र तक सांस्कृतिक और आर्थिक विनिमय के साथ-साथ प्रशासन, व्यापार और राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय लक्ष्यों को प्राप्त करने की क्षमता मातृभाषा में है. बहुभाषिक संस्कृति को जोड़ने, उनको नेतृत्व प्रदान करने तथा भारतीयता की अवधारणा को व्यावहारिकता के धरातल पर अवतरित करने का सामर्थ्य मातृभाषा में ही है. क्यों न हम भी इसी दिशा में सोचें, विचार करें और अनुकरण भी करें.

डिम्पल कौर
क्षे. का., आगरा

लिपिहीन भाषाएं/ मौखिक बोलियां

भाषा एक ऐसी प्रणाली है, जिसमें संप्रेषण का बहुत ही अधिक महत्व होता है. इसमें 'भाषा का विकास', अधिग्रहण और प्रयोग शामिल है. मानव और भाषा ऐसी प्रणाली का विशिष्ट उदाहरण है. भाषा के वैज्ञानिक अध्ययन को 'भाषा विज्ञान' कहा जाता है. भाषा का दर्शन से संबन्धित प्रश्न जैसे कि शब्द, अनुभव का प्रतिनिधित्व कर सकते हैं. इस विषय पर कम से कम ग्रेसिया और प्लूटो, प्राचीन ग्रीस में बहस कर चुके हैं. रसेउ जैसे विचारकों ने तर्क दिया है कि भाषाएं भावना से उत्पन्न हुई है जबकि कंट जैसे अन्य लोगों ने यह तर्क दिया है कि यह तर्कसंगत और तार्किक विचार से उत्पन्न हुई है. 20वीं शताब्दी के दार्शनिकों, जैसे विट्जस्टीन ने तर्क दिया है कि दर्शन भाषा का अध्ययन है. भाषा विज्ञान में प्रमुख, आकरे फर्डिनेक्क डी सौसुर और नोयम चाकेसकी शामिल है. दुनिया में मानव भाषाओं की संख्या का अनुमान 5000 से 7000 के बीच बदलता है.

हम जानते हैं कि भाषा, संवाद का एक सशक्त माध्यम हैं. भाषा के बिना ऐसा लगता है कि सबकुछ खाली-खाली है. भाषा के बिना कुछ भी नहीं है अथवा भाषा के साथ हम सार्थक सशक्त संवाद एवं विचार कर सकते हैं. भाषाएं हमारे लिए एक सीढ़ी का काम करती है जोकि आपसी चर्चा इसे बलवती करती जाती है.

सभ्यता पूर्व स्थितियों का अवलोकन करने पर हम पाते हैं कि कोई भी लिखित भाषा अस्तित्व में नहीं थी और लोग सांकेतिक भाषा की मदद से अपना काम चलाते थे. परंतु जैसे-जैसे सभ्यता का विकास हुआ, भाषाएं सांकेतिक से मौखिक रुप लेने लगीं और तत्पश्चात लिखित रुप में हमारे सामने आयीं.

सांकेतिक भाषा:

एक बोली जाने वाली भाषा, एक लिखित भाषा के विपरीत स्पष्ट ध्वनि दवारा उत्पादित भाषा है. कई भाषाओं में कोई लिखित रूप नहीं है, इसलिए केवल बोली जाती है. मौखिक या मुखर भाषा, भाषा के साथ उत्पादित एक भाषा है जो एक संकेत भाषा के विपरीत है, जो हाथों और चेहरे से उत्पन्न होती है. बोली जाने वाली भाषा में शब्द का प्रयोग कभी-कभी केवल मुखर भाषाओं के लिए किया जाता है. खासतौर पर भाषाविद द्वारा संकेत भाषाओं को छोड़कर सभी तीन शब्द समानार्थी बनाते हैं. अन्य लोग साइन भाषा (सांकेतिक भाषा) को बोले गये के रूप में संदर्भित करते हैं. खासकर संकेतों के लिखित प्रतिलेखों के विपरीत!

यह वे भाषाएं हैं, जिनकी न तो लिपि है और न हीं वे कहीं पर स्पष्ट रुप में लिखित माध्यम में उपलब्ध है. परंतु प्रचलन में रहने के कारण आज भी यह संवाद का सशक्त माध्यम बनी हुई है. यदि हम देखते हैं कि जो लोग बोलने में असमर्थ है अथवा सुनने में असमर्थ है उनके लिए एक विशेष भाषा जोकि सांकेतिक भाषा के रुप में प्रयोग में लायी जाती है. आम जीवन में भी हम सभी एक लिपिहीन सांकेतिक भाषा का रोज प्रयोग करते हैं. चाहे किसी को बुलाना हो अथवा किसी को डांटना हो अथवा कोई अन्य संवाद स्थापित करना हो, इसके लिए विभिन्न संकेतों का प्रयोग करते हुए हम अपनी भावनाओं का संप्रेषण करते हैं. इन सांकेतिक भाषाओं की कोई लिपि नहीं होती वरन ये भाषाएं लिपिहीन रुप में सांकेतिक तौर पर प्रयोग में रहती है.

मौखिक बोलियां:

हम जानते हैं कि भारत एक विविधताओं से भरा हुआ देश है. यहां पर एक मुहावरा प्रचलित है कि 'कोस-कोस पर पानी बदले चार कोस पर बानी'. अर्थात भारत में व्याप्त 22 भाषाओं के अलावा लाखों ऐसी मौखिक बोलियां हैं, जिन्हें संवाद हेतु प्रयोग में लाया जाता

है. ये बोलियां केवल बोलियां ही नहीं बल्कि स्थानीय सभ्यता एवं संस्कृति की झलक हैं. ये बोलियां विरासत एवं देश की धरोहर हैं. हालांकि इन बोलियों की लिपिबद्धता किए जाने का प्रयास जारी है. कुछ बोलियों का लिपिकरण किया जा रहा है जबकि कुछ बोलियां अभी भी अपने लिपिहीन स्वरुप में उपलब्ध हैं. उदाहरण स्वरुप बिहार विविध संस्कृतियों की पवित्र स्थली है. यहां कई भाषाएं मौखिक रुप में अभी भी प्रचलन में हैं. अंगिका एवं वज्जिका ऐसी दो भाषाएं आज भी प्राचीन अंग प्रदेश एवं वैशाली के प्रक्षेत्र में धड़ल्ले से प्रयोग में लायी जाती है. इनकी लिपियां हमारे पास बेशक नहीं है परंतु मौखिक रुप से इन भाषाओं को नकारा नहीं जा सकता है. इसी तरह भोजपुरी, मगही, हरियाणवी, छत्तीसगढ़ी सहित सैकड़ों भाषाएं अपनी लिपिहीनता के बावजूद भी हमारे समाज में प्रयोग में लायी जाती है.

यदि भोजपुरी एवं मगही भाषाओं को देखें तो कई जगह इससे संबंधित साहित्य की रचना भी अब होने लगी है. हालांकि इन भाषाओं के लिए देवनागरी लिपि का ही प्रयोग किया जा रहा है. यदि झारखंड सहित विभिन्न क्षेत्रों में, जहां अनुसूचित जनजातियों की तादाद काफी है, उनके कबिलाई समाज में दर्जनों भाषाएं मौखिक रुप से प्रयोग में जारी है.

मौखिक भाषा के अंतर्गत बोलना और सुनना आता है. मौखिक भाषा ही मूल भाषा है, जिसे हर बच्चा सबसे पहले सीखता है और बोल कर भावों को प्रकट करता है. लिखित भाषा का प्रयोग सीखने में व्यक्ति को समय लगता है जबकि मौखिक भाषा को प्रत्येक व्यक्ति तभी सीख लेता है जब वह बोलना सीखता है. मौखिक भाषा के बिना हम पशु की भांति मूक-बधिर ही हैं. मनुष्य अपने रोज़मर्रा के जीवन में भी ज़्यादातर मौखिक भाषा का ही प्रयोग करता है. कोई भी अनपढ़ व्यक्ति मौखिक भाषा से ही जीवन की आवश्यकताओं को पूरा करता है.

भारत में भारतीय जनगणना 1961 के अनुसार 1652 मात्र भाषाएं, चार भाषा परिवार में वर्गीकृत की गई है. बोलियों के विवरण के आधार पर डॉ. गियर्सन का 'भारत भाषा सर्वेक्षण' उल्लिखित है किन्तु नवीनतम शोध अनुसंधान सर्वोपरि माने गए हैं.

मराठी की 65 बोलियां है, जैसे हलबी, बस्तर, कमरी, रायपुर. ओडिशा की 24 बोलियां हैं, जैसै रल्लीअंधरिय, पईडी, आदि. बिहार में बोलियों की संख्या 35 के लगभग है, जिनमें भोजपुरी, पूर्वी फैजाबादी, दक्षिणी मिर्जापुरी के साथ साथ वाराणसी, गाजीपुर, बलिया, गोरखपुर, देवरिया, चंपारण, मुंगेर, मुजफ्फरपुर, भागलपुर, सहरसा, माल्टा, मगही (गया, पटना) की प्रमुख बोलियां आज भी प्रचलन में हैं. विभिन्न बोलियों में भोजपुरी की विभिन्न बोलियाँ जिला वार बदल जाती हैं. वाराणसी की बोली एवं गोरखपुर की भोजपुरी में स्पष्ट अंतर देखा जा सकता है. इसी तरह मिर्जापुर, फैजाबाद हो या फिर आरा एवं बक्सर, हर जगह की भोजपुरी बोली अलग तरह की पायी जाती है. मुजफ्फरपुर या बेगुसराय में भी मुजफ्फरपुरी या फिर तिरहुत की बोली बोली जाती है. बेगुसराय में ठेठी बोली पायी जाती है जोकि न तो मगही है न ही भोजपुरी और न ही मैथिली ! मुंगेर में अंगिका बोली बोली जाती है जो भागलपुर में जाते जाते बदलने लगती है. इसी तरह सहरसा जिले में मैथिली की अपभ्रंश बोली देखने को मिलती है. इस तरह से जिला वार विभिन्न भाषाओं को देखें तो वे अलग अलग बोलियों में परिवर्तित होती दिखाई देती हैं.

इस प्रकार देश अथवा पूरे विश्व में बोलियों, सांकेतिक भाषाओं तथा मौखिक एवं लिपिहीन बोलियों को देखते हैं तो ऐसा लगता है कि भले ही लिपिबद्ध भाषाएं आज अपने महत्व को चरितार्थ कर रही है परंतु लिपिहीन भाषाएं एवं मौखिक बोलियों की वास्तविकता को नकारा नहीं जा सकता. भले ही लिपिबद्ध भाषाएं लिपि रुप में हमारे सामने हैं परंतु लिपिहीन एवं मौखिक बोलियों का प्रयोग एवं महत्व भी यथावत जारी रहेगा. अपने हर औपचारिक आयोजनों तथा आपके लिए संप्रेषण हेतु इन बोलियों का प्रयोग अब भी महत्वपूर्ण है.

राजेश कुमार

क्षे. का. पटना

भविष्य की भाषाएं

सभ्यता के दौर से लेकर आज तक पूरे विश्व एवं प्राचीन भारत के इतिहास का संदर्भ लिया जाए तो हम पाते हैं कि जब से भाषाएं अस्तित्व में आयीं हैं तब से दुनिया में आमूल-चूल परिवर्तन हुआ है. जब इस विश्व के लोग जंगलों में रहते थे तथा आपस में सांकेतिक भाषा का प्रयोग करते हुए संवाद करते थे तब भी उनका जीवन चल ही रहा था तथा वे अपने विचारों को एक दूसरे तक पहुंचाने में सफल होते थे. परंतु जब से भाषाएं अस्तित्व में आयीं तब से व्यक्ति का जीवन, रहन-सहन तथा संवाद का तरीका बदल गया. पूरे विश्व के लोग एक दूसरे के नजदीक आने लगे एवं आपसी संवाद बढ़ने से आपसी संबंध भी प्रगाढ़ होने लगे.

भाषाविहीन समाज

यह अवधारणा तब की है जब हमारे समाज में भाषा का प्रयोग नहीं होता था. लोग जंगलों में जानवरों की तरह जीवन जीते थे. कंद-मूल खाकर अपना जीवन यापन किया करते थे. जैसे-जैसे सभ्यता का विकास शुरु हुआ हमारे समाज में अग्नि, अनाज के साथ-साथ भाषाओं का भी प्रादुर्भाव शुरु हो गया. सांकेतिक भाषा संकेत न रह कर एक लिपि का रुप धारण करने लगी. अब सवाल यह है कि क्या भाषाहीन समाज उस समय आपस में सुलभ तरीके से काम करने जीवन यापन करने तथा आपसी संवाद करने में समर्थ थे? यहां यह भी सवाल सामने आता है कि क्या आज के जमाने में जबकि लाखों भाषाएं हमारे समक्ष एक विकल्प के रुप में उपलब्ध है तो क्या यह युग अधिक सार्थक एवं समर्थ है? यह एक चिंतन का विषय हो सकता है. परंतु यदि एक वाक्य में कहा जाए तो स्पष्ट है कि वर्तमान युग में जबकि लाखों भाषाएं हमारे सामने होती हैं तो हमारी जुबां ज्यादा चलती है एवं हम अधिक से अधिक सहज महसूस करते हैं. यदि भाषाहीन समाज से आज के समाज की तुलना करें तो भाषायुक्त समाज भाषाविहीन समाज से कहीं बेहतर रुप में हम लोगों के सामने आता है.

प्राचीन भाषाएं

लिपि, अक्षर एवं भाषा का विकास एक निरंतर प्रक्रिया है. विभिन्न सभ्यताएं जिसमें सिंधु घाटी सभ्यता, चीन की सभ्यता, मेसोपोटामिया की सभ्यता, रोम की सभ्यता के विकास के साथ सामाजिक समीकरण तथा रहन-सहन में काफी सुधार हुआ. लोग एक दूसरे के करीब आए, व्यापार को भी बढ़ावा मिला. आपसी रिश्ते कायम होने लगे एवं मानव अपनी अवधारणा के अनुकूल मानव की तरह पेश आने लगा. हालांकि जंगलों में रहकर आदिवासी की तरह जीवन-यापन करने वालों की संख्या भी काफी रही. तदुपरांत हिब्रू, ब्राह्मी लिपि सहित कई लिपियां एवं मौखिक बोलियां/भाषाएं अस्तित्व में आयी. जनमानस आपस में बातचीत करने लगा और उससे आपसी संवाद प्रगाढ़ होते गए.

यदि शुरुआती भाषाओं को देखा जाए तो इन्हें 05 श्रेणियों में बांटा जाता है:-

क. संस्कृत
ख. पालि
ग. प्राचीन मिस्त्री भाषा
घ. फोनीशियाई भाषा
ङ. लैटिन भाषा

तदुपरांत भाषा के विकास के साथ ही संस्कृत, अवकादी भाषा, अवस्ताई भाषा, आदिम हिन्द इरानी भाषा, आदी हिन्द यूरोपीय भाषा, कवि भाषा सहित कई अन्य भाषाएं उत्पन्न हुई.

वर्तमान भाषाएं

आज वर्तमान में लाखों भाषाएं प्रचलन में हैं. यदि संयुक्त राष्ट्र संघ के अंतर्गत अधिकृत भाषाओं को लिया जाए तो इसके अंतर्गत अंग्रेजी, अरबी, फ्रेंच, रशियन एवं मंदारिन तथा स्पेनिश भाषाएं अधिकृत हैं. हालांकि इन भाषाओं के साथ-साथ हजारों ऐसी भाषाएं भी हैं जो अपनी विशेषता एवं तकनीक के कारण विश्वस्तरीय भाषा बनने में सक्षम हैं. इसी में से प्रमुख रुप से हिन्दी, उर्दू, बांग्ला, जापानी, कोरियन, जर्मन, इटालियन आदि हैं. इन भाषाओं में अपना माद्दा है कि ये भाषाएं कहीं भी अपने आपको स्थापित करने एवं अपने को सबके समक्ष प्रस्तुत कर स्वीकार्यता बढ़ाने में सक्षम हैं.

आने वाले समय की भाषाएं

यदि विभिन्न शोधों तथा विस्तृत रिपोर्टों का संदर्भ लिया जाए तो ऐसा लगता है कि हिन्दी एक ऐसी भाषा है जो वर्तमान में व्याप्त विभिन्न भाषाओं का स्थान ले सकती है. जैसा कि हम जानते हैं, आज विश्व की जनसंख्या लगभग 08 अरब के करीब है. इनमें से करीब 01 अरब लोग हिन्दी जानते हैं, बोलते हैं एवं लिखते हैं. यदि हम भविष्य की भाषा की बात करें तो हिन्दी में वह सारी निम्नलिखित विशेषताएं हैं जोकि इसे विश्व भाषा/भविष्य की भाषा बनाने की ताकत रखती है.

वैश्विक प्रयोग

वैश्वीकरण के इस युग में प्रत्येक देश चाहे वह कोरिया हो या जापान या फिर अमेरिका, हिन्दी को अपनाकर विभिन्न उत्पादों के विपणन के लिए हिन्दी का प्रयोग कर रहा है. सारे देश अपने आंत्रप्रनर को हिन्दी भाषा का ज्ञान देकर उन्हें भारत में अपने उत्पादों का प्रचार-प्रसार करने हेतु भेज रहे हैं. अभी हाल ही में हुए विश्व हिन्दी सम्मेलन (मॉरीशस) के मंच से हिन्दी के अंतर्राष्ट्रीय महत्व को चिह्नित किया गया है.

तकनीकी भाषा के रुप में

हिन्दी को तकनीकी आधार पर भी सक्षम भाषा का दर्जा प्राप्त है. यही कारण है कि विश्व में इसकी प्रायोगिकता एवं प्रामाणिकता निर्धारित हो गयी है. हिन्दी भाषा का अपना व्याकरण एवं लिपि इसे और अधिक प्रामाणिक बनाती है. क्योंकि इसका व्याकरण काफी समृद्ध एवं सशक्त है. पाणिनि से लेकर बाणभट्ट तक सभी विद्वानों ने देवनागरी लिपि को वैज्ञानिकता प्रदान करने में अपनी भूमिका का निर्वहन किया है.

स्वीकार्यता:

हिन्दी भाषा सरल एवं सहज भाषा है. इसके करीब जो भी आता है वह या तो इसका हो जाता है या फिर हिन्दी उसकी हो जाती है. हिन्दी को जिसने भी अपनाया वह शिखर तक पहुंच गया. कारण स्पष्ट है कि हिन्दी की स्वीकार्यता, सारगर्भिता के सभी कायल हैं. आज पूरे विश्व के करीब 250 विश्वविद्यालयों में हिन्दी का पठन-पाठन हो रहा है.

कंप्यूटर की भाषा:

भले ही कंप्यूटर का आविष्कार अमेरिका में हुआ हो. परंतु जब से कंप्यूटरों पर हिन्दी का प्रयोग शुरु हुआ है तब से हिन्दी भी कंप्यूटर की भाषा बनने में आगे बढ़ती जा रही है. आज यूनिकोड के माध्यम से हिन्दी कंप्यूटरों पर भी राज करने लगी है. भविष्य उसी भाषा का होगा जिसकी बुनियाद मजबूत हो, ताकि समयरूपी सीढ़ी के साथ वह भाषा छत दर छत चढ़ते हुये एक बहुमंजिले इमारत की शक्ल में दिखे और उस इमारत के शीर्ष से वह विश्व का अवलोकन कर सके. भविष्य में एक विशाल पेड़ वही हो सकता है, जिसकी जड़ें काफी गहरी हों और जिसके मीठे फल किसी की जिह्वा की मिठास की पूर्ति करने में सक्षम हो. उसी प्रकार भावी इतिहास उसी भाषा का होगा जो आधुनिकता के पैमाने पर खरी उतरेगी, अपने स्वर्णिम इतिहास को अपने में समेटने हेतु सक्षम होगी, वर्तमान के हर सवाल का जबाब होगी और समय के साथ कदम-ताल कर चलने में उपयुक्त हो. जिसकी वैज्ञानिकता पर कोई संदेह न हो, जिसकी ग्राहयता, स्वीकार्यता आशंकारहित हो.

भविष्य की भाषा की यदि मैं परिकल्पना करूं तो केवल और केवल देवभाषा संस्कृत की लिपि देवनागरी को ही सर्वथा उपयुक्त पाता हूँ. जिसे आज की कम्प्यूटर की भाषा के लिए सबसे सटीक व सिद्ध पाया गया है. यह कई भाषाओं की जननी है, तो कई की सहचर! वर्तमान के निशाकाल में भले ही कृत्रिम रोशनी के मायाजाल में तेज को कुछ क्षण तक भुलाया जा सकता है और नज़रअंदाज़ करने की नाकाम कोशिश की जा सकती है परंतु याद रहे कि भोर की लालिमा यही थी और सांझ की सिंदुरी भी यही, भरोसा रखे पुन: निशांत होने वाला है.

क्योंकि यह भाषा नहीं जान है
हमारी सभ्यता की पहचान है
आर्यावर्त की आन है।
जम्बूद्वीप की शान है।।

हम कह सकते हैं कि हिन्दी भाषा एवं देवनागरी लिपि संभावनाओं के रंगमंच पर एक विशेष अभिनय के लिए तैयारी की मांग कर रही है. हिन्दी को अपने पूर्व संचित पुण्य का बल है. हिन्दी अपने बल पर विश्व की भविष्य की भाषा बनने को बेताब है. अत: हम हिन्दी के बेहतर भविष्य की कामना करते हुए भविष्य की भाषा के रुप में देखते हैं.

संतोष कुमार खां
क्षे. का., पटना

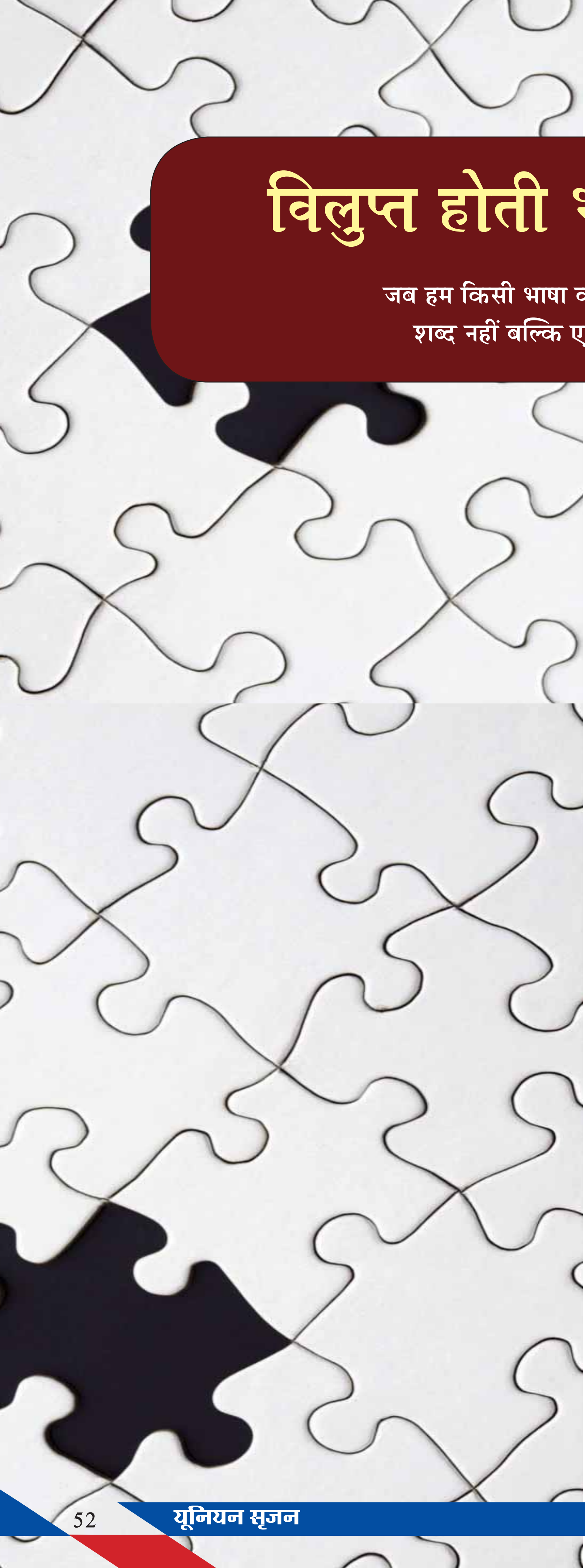

विलुप्त होती भाषाओं की शोकांतिका

जब हम किसी भाषा को खो देते हैं तो हम केवल उस भाषा के शब्द नहीं बल्कि एक पूरा का पूरा संदर्भ खो देते हैं.....

जब मैं यह लेख लिखने के लिये बैठा हूं, उससे क़रीब 7 महीने पहले समाचार पत्रों में एक ख़बर छपी थी कि भारत की 42 भाषाएं विलुप्त होने की कगार पर हैं. ये ख़बर भाषाविदों, भाषासेवियों या उस बोली/भाषा से संबंध रखने वालों के लिये भले ही चिंता का विषय बनी हो लेकिन हममें से ज़्यादातर के लिये यह अखबार के पन्ने काले करने से ज़्यादा कुछ भी नहीं था.

लेकिन ठहरिये. एक बार इस बारे में सोचिये, कि क्या यह . खबर वाक़ई इतनी महत्त्वहीन थी? चलिये, अगर अब भी यह ख़बर आपको महत्वहीन या ध्यान देने योग्य न लगी हो तो एक पल के लिए यह सोचिये कि आप दुनिया में किसी भाषा को जानने वाले अकेले शख़्स बचे हैं. जी हां, इतनी बड़ी धरती पर किसी भाषा को बोलने वाले इकलौते मनुष्य. यानि जो आप बोलते हैं उसे कोई नहीं समझता और जो बाक़ी के लोग बोलते हैं उसे आप नहीं समझते. शायद अब आपको लगेगा कि यह ख़बर वैसी नहीं थी, जैसी इसे आपने समझा था.

दरअसल किसी भाषा पर ऐसे ख़तरे के संकेत हमें तमाम समाचार माध्यमों से लगातार मिलते रहते हैं लेकिन हम उस पर ध्यान नहीं देते, क्योंकि वो हमारे मतलब के नहीं होते. दरसअल 'मतलब' की जिस संकीर्ण परिभाषा से हमने अपने दायरे को समेट लिया है वो ही हमें इस ख़बर को जानने के बाद डराता नहीं है. हम सहमते नहीं है, यह सोचकर कि, 'अरे! हमारे आसपास की कोई भाषा अब इतनी छोटी हो गई है कि उसे बोलने वाले आख़िरी चंद लोग बचे हैं'. 'मतलब' ने ही हमें संचार के इस युग में भाषा के महत्त्व को दरकिनार करने में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाई है.

नि:संदेह परिवर्तन और विकास शाश्वत है, होना भी चाहिये, लेकिन ऐसा परिवर्तन जो पुराना सब छोड़ दे, जड़ों को छोड़ दे और आप आधारहीन हो जाए, ऐसे परिवर्तन और विकास से हमें बचना चाहिये. लेकिन इसके विपरीत आज के संचार युग में जहां भाषाएं समृद्ध होनी चाहिये थीं, भाषाओं का विलोपन बढ़ता जा रहा है. कुछ

भाषाओं के साम्राज्यवाद ने दुनिया की बहुत बड़ी आबादी के हिस्से को अकेलापन दिया है, वो छोटी-छोटी भाषाएं जो किसी देश, महाद्वीप की या फिर विश्व की भाषाई बहुलता का प्रतीक थीं, आज पहचान के संकट से जूझ रही हैं. दुनिया में लाखों की संख्या में ऐसे लोग हैं जिनकी भाषा को समझने वाले दुनिया में इक्का-दुक्का लोग बचे हैं, इसलिये उनका जीवन एकदम एकाकी हो गया है. वैसा ही जैसे रेगिस्तान के भयानक अंधड़ में फंसा कोई अकेला इंसान.

भाषाओं का यह विलोपन कोई नई बात नहीं है. पहले भी भाषाओं का विलोपन होता रहा है, आगे भी होता रहेगा. बस कल और आज में फ़र्क़ इतना है कि अब भाषाओं का विलोपन इतनी तेज़ी से हो रहा है कि अब इसकी चिंता सबको होनी ही चाहिये. मगर इस बात का अफ़सोस है कि इस दिशा में बहुत थोड़े सरकारी प्रयास किये जा रहे हैं और सामाजिक स्तर पर लगभग शून्य.

संयुक्त राष्ट्र संघ का अनुमान है कि 2021 तक विश्व की 96 प्रतिशत भाषाएं और उनकी लिपियां समाप्त हो जाएंगी. आज की तिथि में विलोपन की कगार पर पहुंच चुकी भाषाओं की संख्या 250 का आंकड़ा छूने को है, वहीं विलुप्तप्राय बोलियों की संख्या 2500 से अधिक है. 2008 में संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा किये गए एक अध्ययन के अनुसार विश्व में लगभग 6780 भाषाएं बोली जाती हैं, जिनमें से 6432 ऐसी भाषाएं हैं, जिन्हें 1.50 करोड़ लोग बोलते हैं. 585 करोड़ लोग ऐसे हैं जो 268 भाषाओं का प्रयोग करते हैं. भूमंडलीकरण के दौर में 6432 भाषाएं अपने अस्तित्व को बचाने के लिये संघर्षरत हैं.

एक नज़र डालिये निम्नलिखित तालिका पर! इस तालिका से आपको भारत में विलुप्तप्राय भाषाओं की स्थिति का राज्य वार आँकड़ा मिल जाएगा.

राज्य	भाषा
अंडमान निकोबार द्वीप समूह	ग्रेट अंडमानीज़, जरावा, लामोंगजी, लुरो, मियोत, ओंगे, पु, सनेन्यो, सेंलिलीज, शोम्पेन, तकाहनयिलांग
मणिपुर	एमोल, अक्का, कोईरेन, लामगैंग, लैंगरोंग, पुरुम, तराओ
हिमाचल प्रदेश	बगाती, हंदुरी, पंगवाली, सिरमौदी
ओडिशा	मंडा, परजी, पेंगो
कर्नाटक	कोरागा, कुरुबा
आंध्र प्रदेश	गडाबा, नैकी
तमिलनाडु	कोटा, चोडा
असम	नोरा, ताई रोंग
उत्तराखंड	बंगानी
झारखंड	बिरहोर
महाराष्ट्र	निहाली
मेघालय	रुगा
पश्चिम बंगाल	टोटो

उपर्युक्त तालिका से स्पष्ट है कि ये भाषाएं अगले कुछ सालों में इतिहास के पन्नों में होंगी. साथ ही हमारी आखों के सामने से ओझल हो जाएगा एक पूरा समाज, पूरी की पूरी संस्कृति और विचारों का जखीरा, जो इन भाषाओं के माध्यम से हमारे साथ रहा होता. बात अगर यहां तक ही होती तब भी ठीक था लेकिन भारतीय लोक भाषा सर्वेक्षण के एक अध्ययन के अनुसार अगले 50 सालों में दुनिया की 4000 भाषाओं के विलुप्त होने का ख़तरा है, जिनमें से 400 भाषाएं भारत की होंगी. यानि भारत की कुल 780 भाषाओं में से 400 भाषाएं 50 साल बाद नहीं रहेंगी. इस अध्ययन के अनुसार इनमें से ज़्यादातर भाषाएं वो होंगी जो तटीय क्षेत्रों के लोगों की भाषाएं हैं, क्योंकि तटीय क्षेत्रों में अब रो. जगार और आजीविका सुरक्षित नहीं रही, इसलिये लोग इन इलाक़ों से बड़ी संख्या में पलायन कर रहे हैं, नतीजतन तटीय इलाक़ों की भाषाओं के अस्तित्व पर ख़तरा मंडरा रहा है.

भारत में मैसूर स्थित भारतीय भाषाओं का केंद्रीय संस्थान देश की उन सभी भाषाओं को बचाने के लिये काम कर रहा है जो ख़तरे में हैं. यह संस्थान इन भाषाओं के व्याकरण, नियम, लोककथाओं इत्यादि को केंद्रीय योजना के तहत संरक्षित कर रहा है. इस संस्थान द्वारा उन सभी भाषाओं/बोलियों को बचाने की कोशिश की जा रही है, जिन्हें 10,000 से कम लोग बोलते हैं. वैश्विक स्तर पर भी यूनेस्को की अगुवाई में बहुत सी विलुप्तप्राय भाषाओं को बचाने की कोशिश की जा रही है. लेकिन संस्थागत प्रयासों के अतिरिक्त यह हम सबकी ज़िम्मेदारी है कि हम अपनी मातृभाषाओं का सम्मान करें और अपने सामाजिक और पारिवारिक जीवन में अपनी मातृभाषाओं का व्यवहार बढ़ाएं, क्योंकि जिस दिन ये भाषाएं ख़त्म हो गईं उस दिन सबसे ज़्यादा नुकसान निजी तौर पर हमारा होगा, समाज का होगा. यदि सामाजिक और निजी स्तर पर भाषाओं के विलोपन की गति को कम न किया गया तो वह दिन दूर नहीं जब हम, हमारी ज़बान में बोलने वाले हम, इस धरती पर इकलौते शख़्स होंगे.

आशीष कुमार गुप्ता
क्षे. का., मुंबई (पश्चिम)

हिंदी दिवस

लुधियाना

दिल्ली (दक्षिण)

इंदौर

जालंधर

देहरादून

मुंबई (उत्तर)

रायपुर

मदुरै

मुंबई (दक्षिण)

दुर्गापुर

जयपुर

सिलीगुड़ी

जबलपुर

इलाहाबाद

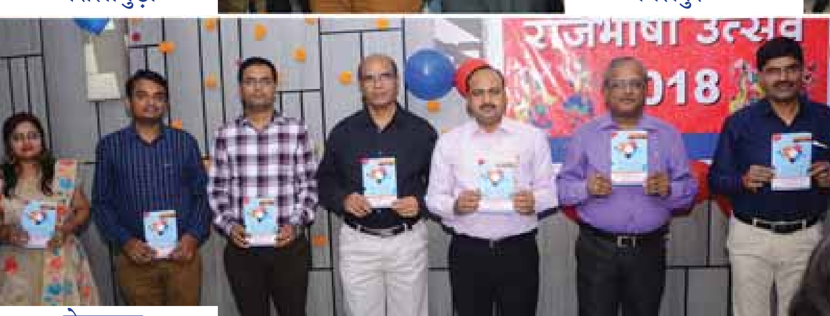
मेहसाणा

अहमदाबाद

राजकोट

गाजीपुर

उदयपुर

भुवनेश्वर

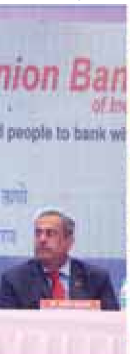

विजयवाड़ा

कोयंबटूर

राँची

समारोह,
2018

नासिक

कोलकाता

गोरखपुर

बेंगलुरु

हावड़ा

मुंबई (पश्चिम)

वड़ौदा

भोपाल

रीवा

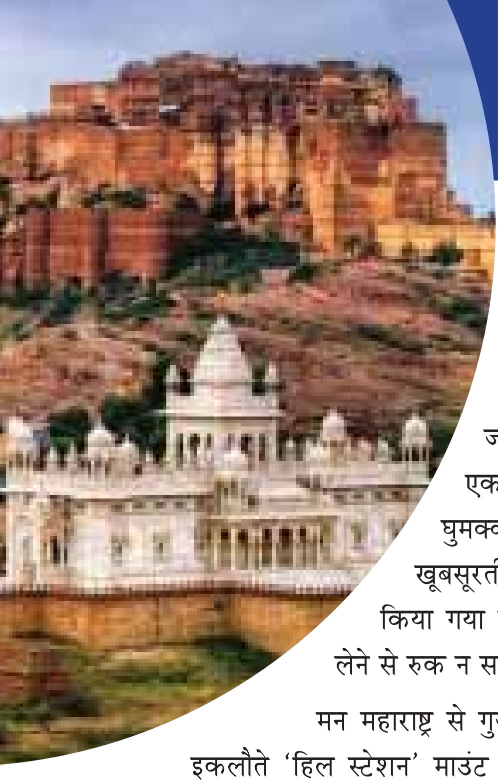

माउंट आबू : रवानगी भरा सफर

'अथातो घुमक्कड़ी जिज्ञासा' अज्ञेय जी का यह संस्मरण मुझे सदैव एक नयी दुनिया में रमा देता है. घुमक्कड़ी को जिस दिलचस्पी और खूबसूरती से प्रस्तुत संस्मरण में व्यक्त किया गया है कि मेरा चंचल मन प्रेरणा लेने से रुक न सका.

मन महाराष्ट्र से गुजरात होते हुये राजस्थान के इकलौते 'हिल स्टेशन' माउंट आबू की वादियों में विचरने लगा. वैसे यहाँ बताना आवश्यक है कि माउंट आबू की हवा यूं ही नहीं आई थी, ये तो मेरे भोले बचपन के मन में दबी कशिश थी. जी टीवी पर एक सीरियल आता था 'कसम से' जो माउंट आबू नाम के स्थान में रहने वाली बहनों की कहानी बताता था. कुछ एक दृश्य भी थे, इन खूबसूरत वादियों के! वो कहते हैं न 'एक उम्र में दबी हुई. ख्वाहिशों की उम्र नहीं होती' बस वही किस्सा था, दिल के किसी कोने में अकुलाहट कहाँ से उत्पन्न हुई कि मुंबई एयरपोर्ट से सीधे मुंबई सेंट्रल! वहाँ से ट्रेन पकड़कर अहमदाबाद पहुंचे. फिर अगली ट्रेन पकड़कर माउंट आबू से हर क्षण घटती दूरियों का सफर शुरू हुआ.

आखिरकार रेगिस्तान के एकमात्र हरियाली भरे हिल स्टेशन का दीदार करने का वो क्षण, आ गया. आबू रोड पर हमारी ट्रेन रुकी. जब हम स्टेशन से बाहर आए तो ऐसा लगा किसी ग्रामीण इलाके में आए हैं, बैल गाड़ियाँ, पारंपरिक घाघरा और चोली में बाजार करती स्थानीय स्त्रियाँ! मेरे कल्पना वाले माउंट आबू से यह भिन्न था परंतु सुखद आश्चर्य से लबालब. स्टेशन पर ही अंदाजा हो चला था कि 'राहें सफर में मुकाम बहुत हैं', राही भी हैं, मंजिल भी है और यहाँ गुजरने वाली खूबसूरत शामें बहुत हैं.'

हम आबू रोड से माउंट आबू में टैक्सी से कुल 30 मिनट में पहुंच गए. माउंट आबू, हरियाली आसमान से टपकती ओस की बूंदें और कुहासों को चीरती हुई शीतल हवा, निश्चय यह किसी स्वर्गीय अनुभूति से भिन्न न था. ऐसा नहीं था कि मैं प्रथम बार किसी पहाड़ी स्थान पर गई थी. इससे पहले सिक्किम और दार्जिलिंग आदि के सौन्दर्य का साक्षात्कार मैंने किया हुआ था. पर निश्चय रूप से माउंट आबू में कुछ भिन्न था, कुछ अलग था जिसे व्याख्यायित नहीं पर सिर्फ महसूस कर सकते हैं.

इतने लंबे सफर की थकान थी अत: हमने आराम किया. फिर संध्या समय हमने निश्चय किया, यहाँ की खूबसूरती से दो चार होने का! शाम को नक्की झील की ओर बढ़ चले; नक्की झील में माउंट आबू का दिल बसता है. पहाड़ों की छाँव और अरावली की हरियाली के मध्य बहती इस बेहद रमणीय झील को निहारना अत्यंत सुकून देता है. 11,000 फिट की ऊंचाई पर ढ़ाई किलोमीटर लंबी झील है यह! कहते हैं देवताओं ने बांरुखली राक्षस से रक्षा के लिए अपने नाखूनों से इस झील का निर्माण किया था. इसीलिए इसका नाम नक्की झील पड़ा. गरेशिया जनजाति के लिए यह पवित्र झील आस्था का प्रतीक है. आस्था का एक अन्य उदाहरण झील के किनारे स्थित गांधी घाट भी है, जहां 1948 में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की अस्थियाँ विसर्जित की गई थीं. झील में बोटिंग की भी सुविधा है और अगर आप झील के घेरे से खड़े होकर झील में देखे तो आपको कई साँपों का दर्शन बड़ी आसानी से हो जाएगा. हमने झील में बोटिंग नहीं की लेकिन वहाँ से हम बढ़े स्ट्रीट शॉपिंग का मजा लेने! खरीददारी के लिए यहाँ दो प्रमुख बाज़ार हैं- एक नक्की झील एवं दूसरा तिब्बती मार्केट! यहाँ स्ट्रीट शॉपिंग का अपना मजा है. मोलभाव करने वाले फायदे में रहते हैं. चाहे तो चाचा म्यूजियम, कश्मीर एम्पोरियम आदि से यहाँ की पारंपरिक राजस्थानी ज्यूलरी, लाह की चूड़ियाँ, चन्दन की लकड़ियों से बनी वस्तुएँ, राजस्थानी पेंटिंग्स व अन्य हैंडीक्राफ्ट्स की खरीददारी कर सकते हैं. वैसे माउंट आबू कोटा साड़ियों, सांगनेरी प्रिंट्स एवं हल्के वजन वाली जयपुरी रजाइयों के लिए भी मशहूर है.

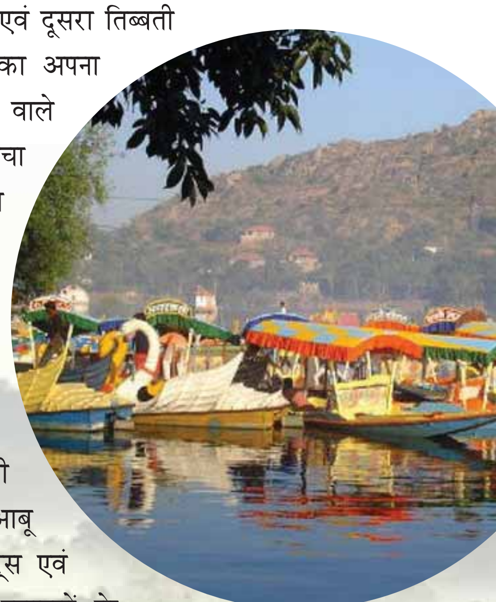

हमने कुछ खरीददारी की, राजस्थानी नाश्ते का लुत्फ उठाया और होटल लौटे. अगले दिन सुबह-सुबह हमारा कारवां निकला, माउंट आबू की वादियों से और भी अधिक प्रगाढ़ सानिध्य स्थापित करने को! हम चले और सबसे पहले पीस पार्क की ओर बढ़े, बारिश की बूँदा-बांदी ने सचमुच भीतर तक शांति का प्रसार कर दिया था.

ब्रम्ह्कुमारी पीस पार्क, विविध प्रजाति के पेड़ पौधों के बीच एक अलग ही जगत में होने का एहसास कराता है. यहाँ फूलों के अलावा फलों के उद्यान भी हैं, जहां गुलाब, अड्हुल, लतेदार पौधों के अलावा नींबू, बांस समेत अनेक पौधे व वृक्ष देखे जा सकते हैं. यहाँ खूबसूरत रॉक गार्डेन एवं अन्य लैंडस्केपिंग को देखना भी कम दिलचस्प नहीं है. पार्क में ध्यान के लिए विशेष कोना भी है.

आबू रोड से लगभग 20 किलोमीटर एवं माउंट आबू से 45 किलोमीटर की दूरी पर गुजरात सीमा के समीप है- अरासुरी अंबाजी का मंदिर! उत्तर गुजरात के बनासकांठा जिले में स्थित इस मंदिर में देवी की कोई प्रतिमा नहीं है. यहाँ पवित्र श्रीयंत्र को देवता के रूप में पूजा जाता है. कहा जाता है कि इसे कोई सीधी आँख से देख नहीं सकता और आपको मंदिर तक दर्शन हेतु कई सौ सीढ़ियों को चढ़कर आना पड़ता है क्योंकि यहाँ पर ‘रोप वे’ जैसी कोई व्यवस्था नहीं है.

आमतौर पर आबू का सनसेट पॉइंट या हनीमून पॉइंट रोमांच से भरपूर एक ऐसा स्थान है, जहां आसमान को पल-पल रंग बदलते हुए और सूरज को उसकी ओट में पिघलते हुए देखा जा सकता है. यह नजारा ऐसा है, जिसे कैमरे के अलावा आप अपने ह्रदय में भी कैद कर लेंगे.

11वीं से 13वीं शताब्दी के दौरान चालुक्य वंश के वास्तुपाल और तेजपाल नामक दो भाइयों द्वारा माउंट आबू में दिलवाड़ा जैन टेंपल का निर्माण करवाया गया. पाँच मंदिरों के इस समूह में विमल शाह द्वारा निर्मित मंदिर सबसे पुराना है, जो प्रथम तीर्थंकर को समर्पित है. संगमरमर पर बारीक नक्काशी की जादूगरी के लिए पहचाने जाने वाले इस विश्वविख्यात मंदिर में शिल्प-सौन्दर्य का बेजोड़ नमूना है. मंदिर के ऊपरी हिस्से को देखकर लगता है कि यही कला है. ताजमहल की सुंदरता में तो कई पन्ने रंगीन हैं पर निश्चित रूप से यह कहना गलत न होगा कि दिलवाड़ा जैन मंदिर हेतु हाथियों पर रखकर संगमरमर लाना और बिना किसी तकनीक के तराशकर खूबसूरती का सागर बहाना अतुलनीय है. कहा जाता है कि दिलवाड़ा जैन मंदिर में बिना बैठे नहीं जाया जाता. कुछ स्थानीय लोग वहाँ से जुड़ी रोचक कहानियाँ भी सुनाते हैं और नहीं निकलते वक्त कोई अनुचित मोल मांगते हैं, बल्कि आप अपनी खुशी से जो भी दें, वो प्रसन्नता पूर्वक स्वीकार कर लेते हैं.

माता सीता और भाई लक्ष्मण के बिना यदि भगवान राम कहीं विराजमान हैं तो वे हैं, माउंट आबू के सर्वेश्वर रघुनाथ मंदिर में! वैष्णवों के चार संप्रदायों में से मुख्य रामानन्द संप्रदाय का उद्गम पीठ यहीं है. लोग राम के दर्शन हेतु यहाँ भारी संख्या में आते हैं और राजस्थान के सुदूर इलाकों से भी लोग विशेषतया बाइक पर बैठ कर यहाँ दर्शन हेतु आते हैं.

यहाँ सौन्दर्य का वो सागर है, जिसमें आपका मन अपने आप गोते लगाएगा. यहाँ की हरियाली आपकी आखों से ह्रदय तक उतर जाएगी, कण-कण अपने आप में सौन्दर्य का प्रतीक है. सुबह सुनहली तो शाम सुहानी होती है.

माउंट आबू एक धरोहर है. इसकी खूबसूरती शब्दों में बांधना संभव नहीं है. इसके सौंदर्य को आप जी सकते हैं, महसूस कर सकते हैं. तो अगली बार जब भी घूमने का मन बनाएं, तो एक बार माउंट आबू जरूर आयें. यहाँ आने के लिए माउंट आबू का सबसे निकटतम हवाई अड्डा, उदयपुर 185 किमी, जबकि अहमदाबाद 235 किमी दूर है. नजदीकी रेलवे स्टेशन आबू रोड 28 किमी की दूरी पर है, जो अहमदाबाद, दिल्ली, जयपुर और जोधपुर से जुड़ा है. राष्ट्रीय राजमार्ग-27 के जरिये यह देश के सभी प्रमुख शहरों से जुड़ा है. दिल्ली सहित अनेक शहरों से माउंट आबू के लिए सीधी बस सेवाएँ उपलब्ध हैं.

अपूर्वा सिंह

क्षे. का., सिलीगुड़ी

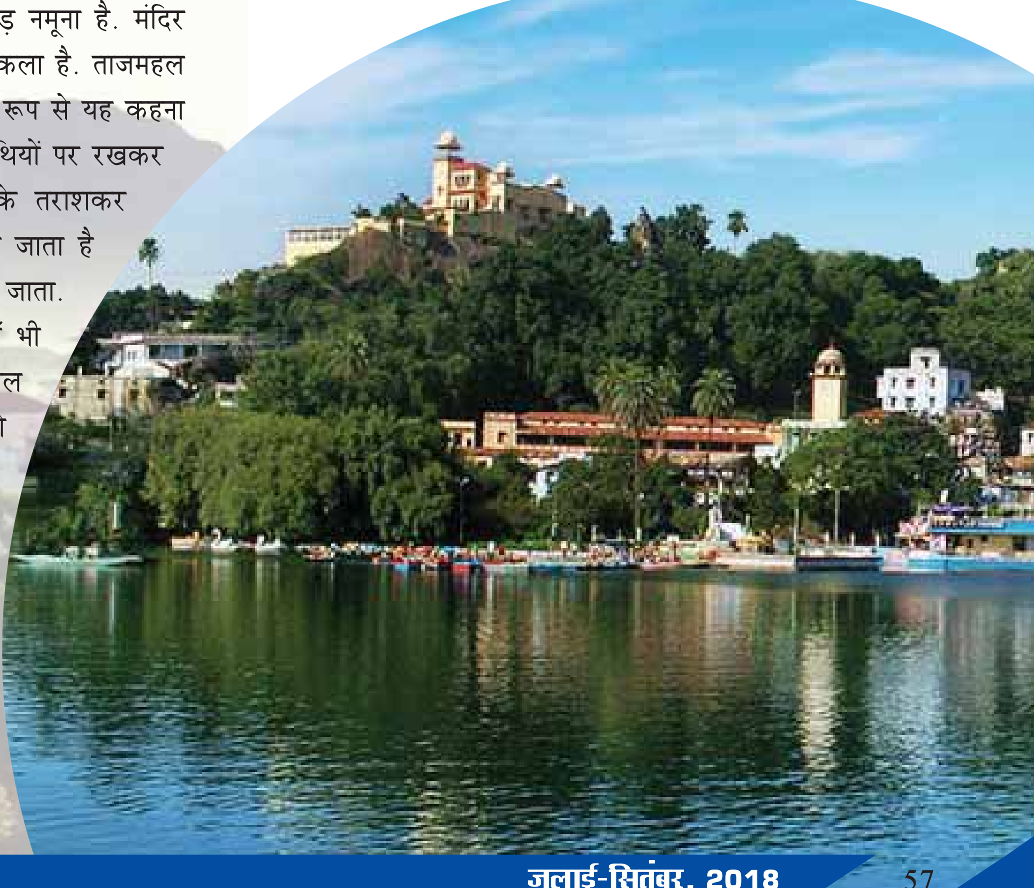

'नारियल पानी' कई बीमारियों का एक डाक्टर

बारिश का मौसम जैसे ही खत्म होता है, सूरज की तपिश से लोग परेशान होने लगते हैं. ऐसी तपिश में आप प्यास बुझाने के लिए पानी के अलावा कुछ अन्य पेय तलाश रहे हों, प्रकृति में अनेक ऐसी चीजें हैं जो उपयुक्त गुणों से लबरेज़ हैं. उन्हीं चीजों में से एक है 'नारियल पानी'- प्राकृतिक पैकेज्ड पानी! नारियल पानी का सेवन पूरे साल भर किया जाता है, लेकिन अधिकतर लोग गर्मियों में इसे पीते हैं. इससे शरीर का तापमान भी नार्मल रहता है. पके नारियल पानी की तुलना में कच्चे नारियल के पानी में अधिक पोषक तत्व होते हैं. डॉक्टरों के अनुसार नारियल पानी पीने का सही और सबसे अच्छा समय सुबह का समय है. इससे शरीर में पूरे दिन ऊर्जा बनी रहती है.

नारियल का पानी ठंड़ा, दिल के लिए हितकारी, अग्नि प्रदीपक (भूख बढ़ानेवाला), वीर्यवर्धक (धातु बढ़ाने वाला), तृषा (प्यास) और मूत्राशय को एकदम साफ करने वाला है. कच्चे नारियल का पानी पौष्टिक, मूत्रल (पेशाब को बढ़ाने वाला) होता है. नारियल का पानी जीवाणु मुक्त होता है. इसमें मौजूद कार्बोहाइड्रेट को शरीर तुरन्त ही सोख लेता है. जान लेते हैं नारियल पानी की उपयुक्तता.

- नारियल का पानी दिन में 3 बार पीते रहने से पथरी मूत्र के द्वारा बाहर निकल जाती है. नारियल के पानी में गुड़ और धनिये को मिलाकर पीने से पेशाब में जलन दूर हो जाती है. नारियल पानी शरीर से विषाक्त पदार्थों को बाहर निकालता है. अतः यह गुर्दे से जुड़े अनेक रोगों से शरीर की रक्षा करता है.
- अनेक गुणों से भरपूर नारियल पानी कम कैलोरी युक्त सुपाच्य पेय पदार्थ है, जो वजन कम करने में सहायक है. नारियल पानी में अनेक प्रकार के बायोएक्टिव एंजाइम होते हैं, जो वसा के चयापचय और वसा के पाचन को बढ़ा देते हैं. पोटैशियम युक्त नारियल पानी शरीर से सोडियम बाहर निकालने में मदद करता है. जो लोग वजन घटाना चाहते हैं, वे रोजाना ताजा नारियल पानी पीने की आदत डालें.
- नारियल पानी शरीर में एलडीएल अर्थात खराब कोलेस्ट्रॉल के स्तर को घटाकर एचडीएल अर्थात अच्छे कोलेस्ट्रॉल के स्तर को बढ़ाता है. इस प्रकार नारियल पानी हृदय के लिए लाभकारी है और हृदय रोग के खतरे को कम करने में सहायक है. नारियल पानी पीने से रक्त परिसंचरण में भी सुधार होता है.
- गर्मियों में अधिक पसीना आने या उल्टी दस्त जैसी बीमारियां होने पर शरीर में पानी की कमी हो जाती है. शरीर में पानी की कमी की पूर्ति के लिए और निर्जलीकरण की समस्या से बचने के लिए लगभग 2-3 बूंद नारियल का पानी नाक में टपकाने से आधासीसी का दर्द ठीक हो जाता है.
- नारियल पानी में कार्बोहाइड्रेट की उचित मात्रा होने के कारण यह शरीर में ऊर्जा स्तर को बनाये रखता है. नारियल पानी को 'स्पोर्ट ड्रिंक' भी माना जाता है. नारियल पानी शरीर में जल के स्तर को बढ़ाकर इलेक्ट्रोलाइट्स की कमी को पूरा करता है.
- फाइबर और एमिनो एसिड से युक्त नारियल पानी इंसुलिन के प्रति संवेदनशीलता और शर्करा को कण्ट्रोल करने में सहायक है. मधुमेह के रोगियों के लिए नारियल पानी पीना बहुत फायदेमंद है. फिर भी मधुमेह के मरीज नारियल पानी पीने से पहले किसी अच्छे डॉक्टर से सलाह लें.
- नारियल पानी त्वचा को पोषण देने के साथ साथ हाइड्रेट भी करता है, जिसके कारण त्वचा पर ग्लो आता है. अगर चेहरे पर कील, मुंहासे, चेचक के दाग, धब्बे काफी समय से हो तो कच्चे नारियल का पानी चेहरे पर लगाने से सब मिट जाते हैं. नारियल के तेल में हल्का कपूर को पीस कर मिला लें मिलाने के बाद तैयार लेप को दाद वाली जगह पर दिन में 2 से 3 बार लगाने पर दाद से आराम मिलता है.
- कच्चे नारियल (डाभ) का पानी पीने से पेट की जलन, कलेजे की जलन में अच्छा लाभ पहुंचता है और आम्लपित्त दूर होता है.
- नारियल के छिलके को पानी में उबालकर रोजाना सुबह-सुबह पीने से पेट के कीड़े मरकर मल के द्वारा बाहर निकल जाते हैं. या फिर नारियल के खोपरे को बारीक पीसकर चूर्ण बनाकर सेवन करने से पेट के कीड़े मरकर पेट के दर्द में भी लाभ होता है.

सावधानियाँ:- जिन लोगों को नारियल के पानी से एलर्जी होती है, उन्हें इसके सेवन से बचना चाहिए. जिन्हें पेट संबंधी गंभीर समस्या है, वे डॉक्टर के परामर्श के बिना इसका सेवन न करें.

सुप्रिया नाडकर्णी
यूनियन धारा, कें.का.

आपकी नज़र में...

आपके बैंक की तिमाही हिन्दी गृहपत्रिका 'यूनियन सृजन' का अंक प्राप्त हुआ. धन्यवाद! पत्रिका विशेष रूप से 'फिल्मी दुनिया विशेषांक' के रूप में प्रकाशित की गई है. पत्रिका में न केवल हिन्दी सिने जगत के बारे में बल्कि भारत की विभिन्न भाषाओं यथा बंगाली, तमिल, तेलुगू आदि के सिनेमा जगत के बारे में विस्तृत जानकारी दी गई है. पत्रिका में फिल्म अभिनेता, निर्माता, निर्देशक के साथ फिल्म लेखकों एवं गीतकारों के बारे में भी जानकारी दी गई है. पत्रिका की साज-सज्जा भी अत्यंत आकर्षक लगी.

पत्रिका के कुशल सम्पादन के लिए हमारी ओर से संपादकीय टीम को हार्दिक बधाई.

डॉ जवाहर कर्णावट

महाप्रबन्धक, बैंक ऑफ बड़ौदा

यूनियन सृजन, अप्रैल-जून 2018 अंक प्राप्त हुआ. श्री सुभाष चन्द्र का आलेख 'दक्षिण भारतीय फिल्में', सुश्री अंजलि मदन यावलकर का आलेख 'मराठी सिनेमा: विषयों का नयापन' तथा श्री मोहन बोधनकर का आलेख 'सिने जगत के प्रसिद्ध स्टूडियो' अत्यंत ज्ञानप्रद एवं संग्रहणीय है. श्री सुनील कुमार का यात्रा संस्मरण 'संदकफू-हिमालय का खूबसूरत नजारा' विशेष रूप से पठनीय है. आजकल राजभाषा की पत्रिकाओं में 'यात्रा संस्मरण' कम पढ़ने को मिलते हैं. यात्रा संस्मरण लिखना एक कला है. आशा है पत्रिका के आगामी अंक में एक और यात्रा संस्मरण पढ़ने को मिलेगा. पत्रिका में प्रकाशित समस्त रचनाओं के रचनाकारों ने एक सशक्त रचनात्मक कौशल का परिचय दिया है.

डॉ राजनारायण अवस्थी

संपादक 'ईसीआईएल गौरव'

आपका फिल्मी दुनिया विशेषांक पढ़ा. एक बार में ही अधिकांश सामग्री पढ़ ली. कारण फिल्मों को लेकर, उस पर केन्द्रित बहुत कम ऐसे विशेषांक निकले हैं, जिन्होंने भारतीय भाषाओं की फिल्मों पर कोई विशेषांक निकाला हो. हिन्दी फिल्मों पर तो बहुत सारे अंक निकले हैं, लेकिन बंगला, तमिल, तेलुगू फिल्मों पर आपने जो परिश्रम किया है, बहुत ठोस सामग्री दी है, परिश्रम को प्रणाम. ऐसे विषय विशेष केन्द्रित अंक हमेशा याद रह जाते हैं. आपकी पूरी संपादकीय टीम को मेरी ओर से बहुत सारी बधाई. यह अंक कोई मुझसे ले गया है, मुझे एक प्रति और भिजवाएँ ताकि यह मेरे संग्रह में रहे. भविष्य में भी ऐसे विषय विशेष केन्द्रित अंकों को अवश्य प्रकाशित करें, ऐसे अंक मील के पत्थर साबित होते हैं और तमाम सरकारी पत्रिकाओं में एक अलग छवि बनती है. आप औपचारिक रूप से अंक नहीं निकाल रहे हैं या केवल राजभाषा नियमों के अंतर्गत निकालना है इसलिए नहीं प्रकाशित कर रहे हैं बल्कि एक प्रतिबद्धता के साथ निकाल रहे हैं, यह प्रतिबद्धता आप बनाए रखें. मेरा एक सुझाव है कि जब विषय विशेष केन्द्रित अंक प्रकाशित करें तो उस विषय से संबन्धित एक व्यंग्य भी अंक में शामिल करें, जैसे इस फिल्मी दुनिया पर एक व्यंग्य लेख होना चाहिए था, यह इस विशेषांक को एक अलग तेवर देता. कुल मिलाकर एक अच्छे अंक के लिए बहुत सारी शुभकामनाएँ.

- डॉ अनंत श्रीमाली

भारत सरकार, गृह मंत्रालय,
बेलापुर, नवी मुंबई

आपके बैंक द्वारा प्रकाशित गृह पत्रिका 'यूनियन सृजन' अप्रैल-जून 2018 अंक प्राप्त हुआ, धन्यवाद! हमेशा की तरह इस बार भी पत्रिका का मुख पृष्ठ एवं साज-सज्जा अत्यंत सुंदर है. फिल्मी दुनिया पर आधारित इस अंक के संपादकीय में संपादक महोदय ने बहुत खूब लिखा है कि 'हमारा सामाजिक ढांचा नजदीकी रूप से फिल्मों के साथ जुड़ा हुआ है या आप यह कह सकते हैं कि हमारी फिल्में समाज के साथ चल सकती हैं. संक्षेप में, भारतीय फिल्मों ने सदियों से भारतीय समाज को प्रभावित किया है या यूं कह सकते हैं कि भारतीय समाज ने भारतीय फिल्मों पर अपनी अमिट छाप छोड़ी है.'

पत्रिका में भारतीय परिदृश्य पर आधारित हिन्दी एवं अन्य क्षेत्रीय भाषाओं जैसे मराठी, बंगाली, भोजपुरी, मलयालम, तमिल, तेलुगू, गुजराती, कोंकणी और पंजाबी आदि फिल्म जगत पर लिखे गए समसामयिक, सूक्ष्म एवं सूचनाप्रद लेख केवल रोचक ही नहीं वरन चित्ताकर्षक भी हैं. डॉ वी के पांडे का लेख 'राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार' एवं श्रीमती संध्या कोली की प्रस्तुति 'दादा साहेब फाल्के पुरस्कार' संग्रहणीय एवं ज्ञानवर्धक है. पत्रिका में संकलित अन्य सभी लेख भी काफी उत्कृष्ट हैं. पत्रिका का नियमित प्रकाशन आपकी हिन्दी कार्यान्वयन के प्रति विशेष रुचि का परिचायक है. आशा है भविष्य में भी हमें 'यूनियन सृजन' के अंक नियमित रूप से प्राप्त होते रहेंगे. इस अंक के लिए धन्यवाद तथा आगामी अंकों के लिए शुभकामनाएँ.

बि.कु. मित्र

महाप्रबंधक,
इलाहाबाद बैंक

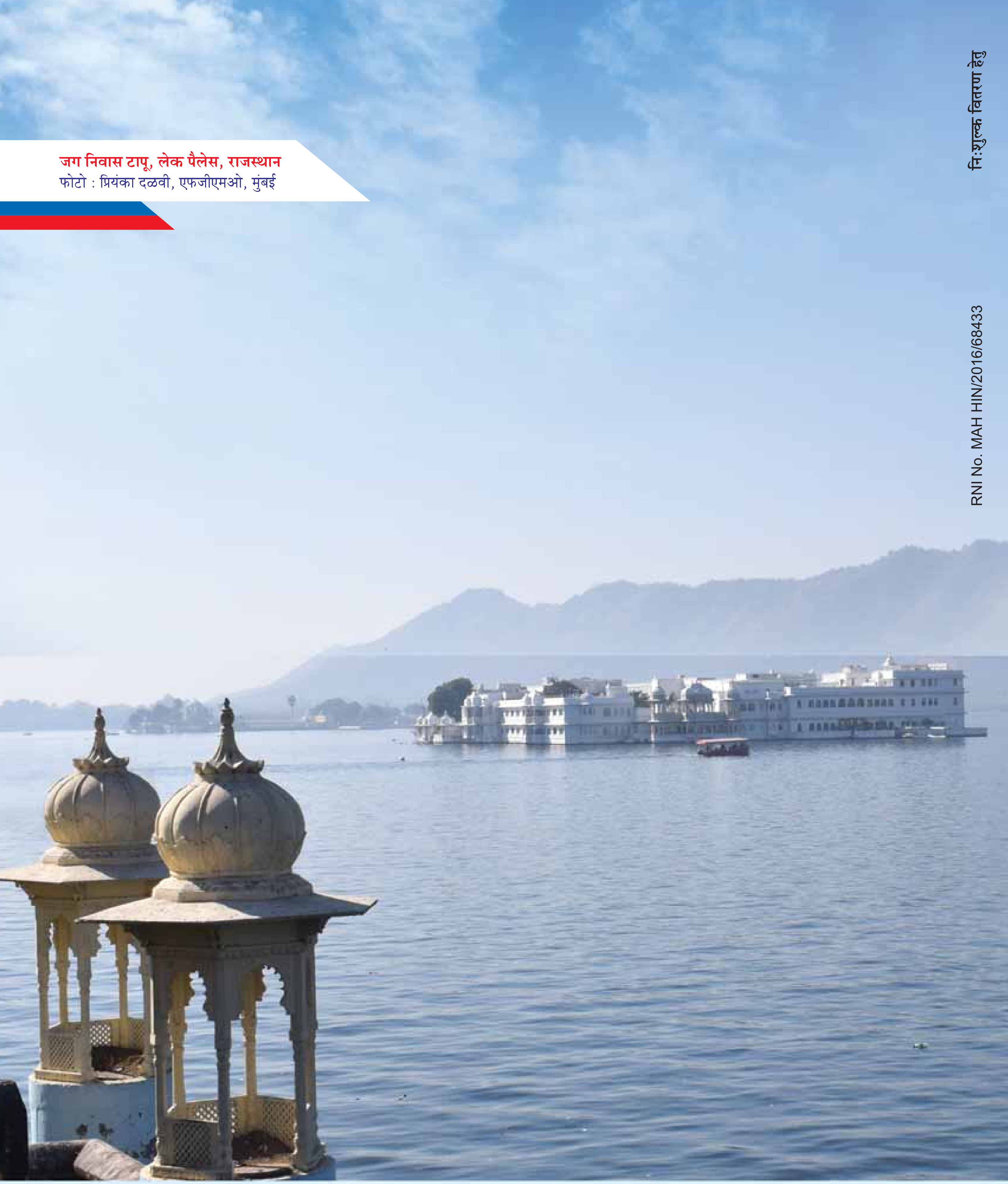

जग निवास टापू, लेक पैलेस, राजस्थान
फोटो : प्रियंका दळवी, एफजीएमओ, मुंबई

नि:शुल्क वितरण हेतु

RNI No. MAH HIN/2016/68433

Printed and Published by Dr. Sulabha Shrikant Kore, on behalf of Union Bank of India, Printed at Uchitha Graphic Printers Pvt. Ltd. 65, Ideal Ind Estate, Mathuradas Mill Compound, S. B. Marg, Lower Parel, Mumbai - 400 013 and Published at Union Bank of India, 239, Union Bank Bhavan Marg, Nariman Point, Mumbai - 400 021. Editor - Dr. Sulabha Shrikant Kore.